छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

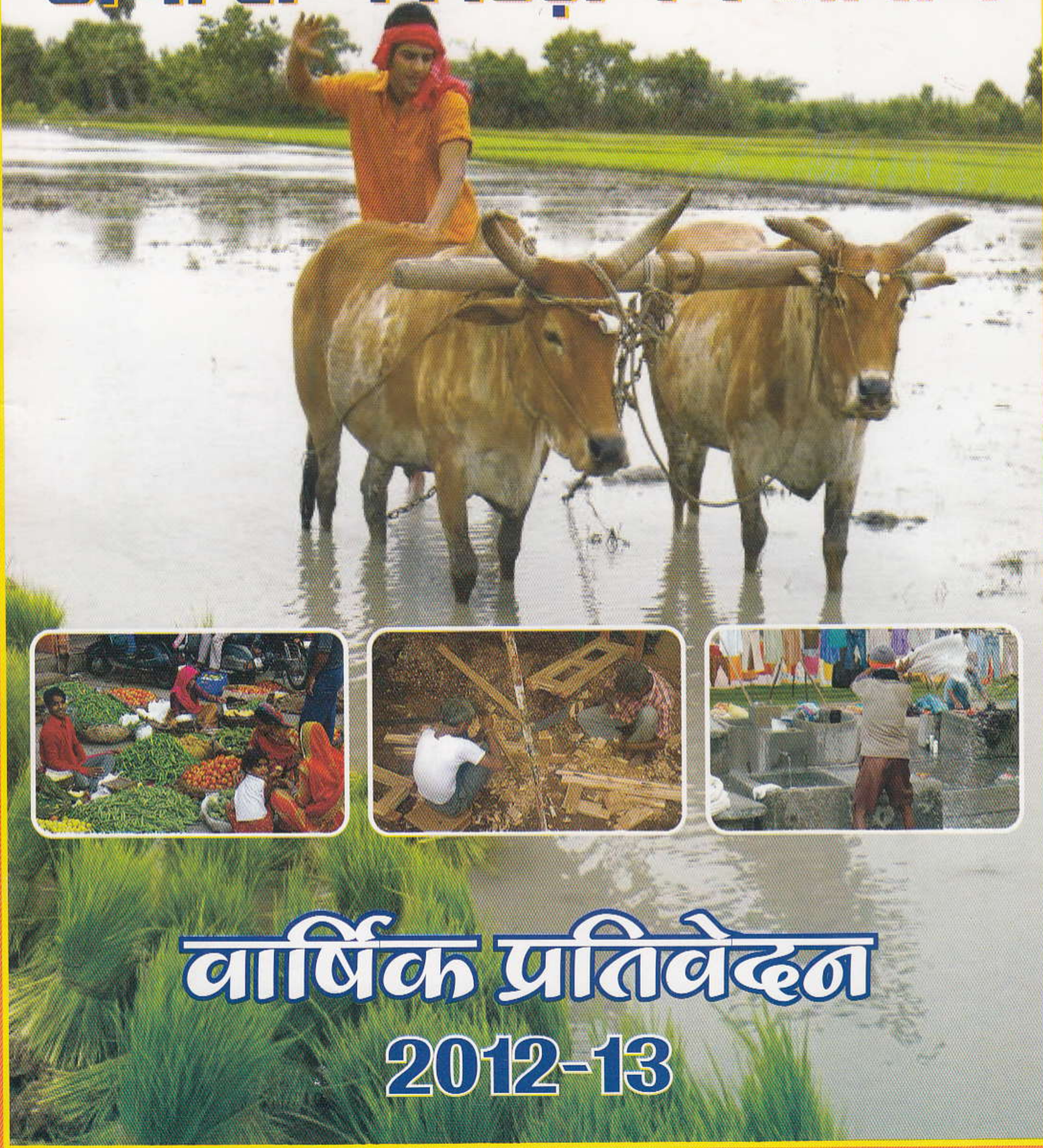

वार्षिक प्रतिवेदन

2012-13

मान. मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री बर्नाड एवं जगदलपुर के महापौर श्री किरणदेव के साथ मुस्लिम समाज के सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष मा. डॉ. सोमनाथ यादव

छ.ग. राज्य कृषक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष मा. पुरन्दर मिश्रा को एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक-साहित्यिक कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए आयोग के मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

पिछड़े वर्गों के हित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कृत संकल्पित

छत्तीसगढ़ राज्य

पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर

षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन : 0771- 2420352, 2429967, 2429968

Website - www.cgobc.com, E-mail : secretary_bcc@yahoo.in

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारीगण

हमारे प्रेरणास्त्रोत
मान. डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन

मान. केदार कश्यप
मंत्री, आ.जा. कल्याण विकास विभाग

मान. डॉ. सोमनाथ यादव
अध्यक्ष, छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. प्रह्लाद रजक (धोबी)
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. देवेन्द्र जायसवाल
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. शिव चंद्राकर
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. श्रीमती ममता साहू
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. मुनेश्वर सिंह केसर
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. छतरसिंह नायक
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

अग्रेषण...

नीतिशतक में राजा भृतहरि लिखते है कि-

''अल्पानामपि वस्तूनां संहितः कार्यसाधिका। तृणेगुर्णणत्वमापन्नै र्बध्यन्ते मत्तदन्तिन॥''

अर्थात छोटी-छोटी वस्तुओं का भी संगठन कार्य सिद्ध कर देता है जैसे जब तिनके-तिनके मिलकर रस्सा बन जाते है तो उन्मत्त हाथी भी उनसे बाँध लिए जाते हैं। बस ऐसा ही आपसी संगठन का तारतम्य हमारे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग परिवार में रहा है कि, हमने अपनी एकजुटता एवं सतत् कार्यसाधना से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ अपने आप को समर्पित कर दिया है।

राज्य के मुखिया जन-जन के प्रिय मान. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन हमारे आयोग परिवार को एक सतत् प्रहरी की भूमिका में सदैव सजग रखा है। मान. मुख्यमंत्री जी ने आयोग के अध्यक्ष पद के लक्ष्यपूर्ण दायित्व की कमान सौंपते वक्त मुझसे कहा था- सोमनाथ याद रखना प्रत्येक काम **परिश्रम से सफल होते है, केवल कामना करने से नही।** सच ही तो है हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि **''उद्यमेन हि सिद्धयन्ति''** अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होंगे।

वर्ष 2012-13 के इस वार्षिक प्रतिवेदन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समस्त क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिबिम्ब प्रकाशित किया जा रहा है। विगत एक में हमने अपने साथियों एवं कार्यालयीन स्टाफ के सहयोग से अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितों की दरकार शासन के समक्ष रखी है जिन पर अत्यन्त ही सकारात्मक ढंग से प्रशासनिक पहल प्रारंभ हो गयी है।

शासन के समक्ष हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ सुझाव प्रस्तुत किये गये है जिनमें विशेष उल्लेखनीय है, पौनी पसारी करने वाली पिछड़ा वर्ग की जाति निषाद (केंवट), धोबी, नाई, लोहार, कुम्भकर, यादव आदि को अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जावे। हमारे राज्य में भी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जावे। पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि तथा उनके लिए भी पृथक से स्थापित छात्रावास/आश्रमों में वृद्धि की जावे। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की बाहुल्यता को मांग में रखते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पृथक संचालनालय तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण कोष की स्थापना की जावे साथ ही हमारा एक विशेष सुझाव यह भी है कि राज्य में क्रीमीलेयर की दर 4 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 7 लाख तक अवश्य की जावे।

ज्ञातव्य हो कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विभिन्न समाजों का आयोजित जुड़ाव कार्यक्रम का सारगर्भित निचोड़ यह रहा है कि प्रदेश के कोने-कोने से आये विभिन्न फिरकों के समाज प्रमुखों से प्राप्त समाज हितकारी सुझाव शासन के समक्ष रखे गये हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ शासन द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन योजनाओं का भरपूर लाभ हमारे पिछड़ा वर्ग समाज को प्राप्त हो इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन पर जानकारी ली गयी तथा यथोचित निर्देश जारी हुए एवं स्वयं आयोग द्वारा भी इन जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रयास किये गये है और हमारा प्रयास भी जारी है।

गौरतलब है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन वर्ष 2007 के बाद सत्र 2012-13 का वर्ष ऐसा रहा है जिसमें अब तक सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए एवं अब तक का सर्वाधिक मसला निराकृत हुआ। नवीन जातियों पर शीघ्रता सर्वेक्षण व प्रतिवेदन कर शासन के समक्ष संस्तुति प्रस्तुत की गयी जिसका प्रतिफल यह है कि अनेक नवीन जातियों का सम्मिलन राज्य पिछड़ा वर्ग समाज की जातियों में हो सका। वर्ष 2012-13 के ऑकड़ों के अनुसार राज्य पिछड़ा वर्ग

आयोग को प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 356 रही है, जिसमें जाति में सम्मिलित करने सम्बधित आवेदनों की कुल संख्या 81 रही है, 31 मार्च 2013 की स्थिति में लगभग 290 शिकायतो एवं 67 जाति संबंधी आवेदनो को निराकृत किया गया है।

आशय यह है कि हमारे आयोग ने एक टीम भावना में संकल्पबद्ध होकर कार्य किया और अपने अंग्रेजों को यह बताने में अत्यन्त विनम्र हर्ष हो रहा है कि आप लोगो द्वारा प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन में हम कितने खरे उतरे उसका दस्तावेज सत्र 2012-13 का यह वार्षिक प्रतिवेदन है। **हमने आयोग को श्वेत गज नहीं अपितु कार्यसाधक चेतक बनाया है** और अपने अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के सर्वांग हितों को साकारित करने में सतत् समर्पित रहे है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मुखिया के रूप में मैं अपने आयोग परिवार की ओर से राज्य के यशस्वी मुख्यमुंत्री श्रद्धेय डॉ. रमन सिंह जी एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के ऊर्जावान युवा मंत्री मान. श्री केदार कश्यप जी को आत्मिक साधुवाद सम्प्रेषित करना चाहूंगा जिनके उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन के बिना हमारा लक्ष्यपूर्ण कार्य संभव नही था, साथ ही विभागीय सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ एवं आयुक्त श्री एम. एस. परस्ते तथा मंत्रालय में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री एल.के. मिश्रा सहित आदिम जाति विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी विनम्र धन्यवाद दूंगा जिनके सहयोग से हम अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकृत मार्ग तक पहुंचा सके।

मैं अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न फिरकों के समाज प्रमुखों एवं उन समस्त सम्मानीय साथियों का हृदय से शुक्रगुजार हूँ जिनका आत्मिक एवं सामाजिक सहयोग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मिला जिसके फलस्वरुप हमारे राज्य में परस्पर संवाद को नवीन आकार मिला और अन्याय विषयों पर शासन की समग्र दृष्टि पड़ी।

मैंने आयोग को एक ऊर्जावान परिवार के रूप में देखा और हमारे आयोग के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यालयीन स्टाफ का आपसी सामन्जस्य अत्यंत ही सरस व समधुर रहा है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ हमारे कार्यों में तीव्रतम गति प्राप्त हुई है। मैं सम्माननीय सदस्यगण सर्वश्री प्रहलाद रजक, देवेन्द्र जायसवाल, छत्तर सिंह नायक, शिव चन्द्राकर, मुनेश्वर सिंह केसर एवं सुश्री ममता साहू एवं आयोग के सचिव श्री एल.आर. कुर्रे, श्रीमती अनिता डेकाटे, श्री उत्तरा पटेल व अन्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा एक टीम भावना के साथ कार्य करने की परम्परा का प्रारंभ करने पर भी हृदय से सात्विक धन्यावाद व साधुवाद देता हूँ। आशा है कि, आगामी दिनों में हम अपने लक्ष्यों का क्रियान्वयन करने में अपनी इसी सामूहिकता का परिचय देंगे। अन्त में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग व मार्गदर्शन करने वाले सभी आत्मीयजनों के प्रति भी सादर सभार समर्पित है... आप सबका।

(डॉ. सोमनाथ यादव)
अध्यक्ष
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

प्राक्कथन...

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने गठनोपरांत से ही अपने लक्ष्य के उच्चतम सोपानों को स्पर्श करता हुआ 'बुद्ध चरित्र' के उस पंक्ति को सार्थक कर रहा है जिसमें उल्लेखित है-

दुष्कराण्यपि कार्याणि, सिद्धयन्ति प्रोद्यमेन वै ।
शिलापि तनुतां याति, प्रपातेनार्णसो मुहुः ।।

अर्थात प्रयास करने से कठिन से कठिनतम कार्य भी वैसे ही सिद्ध हो जाते है जैसे बारम्बार जल के गिरने से विशाल पत्थर भी पतला हो जाता है। वस्तुतः हमारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे ही ध्येयपूर्ण प्रयासों की एक लक्ष्यबद्ध संस्था है।

लोक कल्याणकारी राज्य शासन का अंतिम लक्ष्य होता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा लचार व्यक्ति शासन द्वारा प्रदत्त जनकल्याणकारी सुविधाओं का हिस्सेदार बन सकें, ऐसे अन्नतिम लक्ष्यों के संधान हेतु शासन अपना अनेक प्रभाग संस्थापित करता है, उन्हीं प्रभागों में एक महत्वपूर्ण संस्था 'छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग' है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम एवं अंतिम ध्येय है कि अन्य पिछड़े वर्गो के हितार्थ एक सजग प्रहरी के रुप में आयोग अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके। इसी तारतम्य में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के पुर्नजागरण हेतु इनके सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर के उत्कर्ष में अपनी पूर्ण सहभागिता बनाये हुए है। आयोग के इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि विगत वर्षों में कुल 437 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें अब तक 354 आवेदन निराकृत किये जा चुके है। प्रकरणों के निराकरण की प्रगति आयोग के सुलभ न्याय व विश्वसनीय सक्रियता की प्रतीक है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य के 21 जिलों में जिला स्तरीय समीक्ष बैठक ली गई जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएँ एवं लाभ प्राप्त हो रहे हैं या नहीं उस उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था का सूक्ष्मतम निरीक्षण/निगरानी कर यथोचित प्रक्रिया का परिपालन किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उपस्थित जनसमुदाय के सामाजिक एवं व्यवहारिक सुझाव का संकलन कर राज्य शासन को आयोग के अधिनियमानुसार सुझाव प्रेषित किया गया है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा 'जुड़ाव' कार्यक्रम के माध्यम से विविध समाज/समुदाय के साथ राज्य स्तरीय सम्मेलन कर संवाद करने का अभिनव प्रयास विशेष उल्लेखनीय रहा है।

छ.ग. राज्य में ई- गर्वेनेंस की अवधारणा के परिपालन में छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपना स्वतंत्र वेबसाइट बनाकर आयोग संबंधित गतिविधियों का प्रगटीकरण किया जा रहा है। पारदर्शिता की इस कड़ी में आयोग द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का पंजीयन किया जाता है एवं निराकरण संबंधित अद्यतन जानकारी दी जा रही है।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 2012-13 की समस्त गतिविधियों का व्यवस्थित एवं सुसज्जित अध्ययन सामग्री एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ शासन द्वारा संचालित विविध योजनाएँ, समय-समय पर जारी अनेक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की केन्द्रीय व राज्य सूची तथा अन्य ऐसे विषय जो पिछड़ा वर्ग समुदाय हेतु बहोपयोगी है उनका समावेश आयोग के प्रस्तुत षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से किया जा रहा है। प्रतिवेदन के प्रकाश्य सामग्री में किसी अनचाही मात्रात्मक एवं विषयात्मक त्रुटि के संदर्भ में खेद व्यक्त करते हुए आपके बहुमूल्य सुझाव/संशोधन स्वागतेय है।

(एल.आर. कुर्रे)
सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

विषय सूची

क्र.	विषय	पृ.सं.
	भाग- एक	
	पिछड़ा वर्ग आयोग : अतीत से आगत तक	
01.	पिछड़ा वर्ग आयोग : एक सामान्य परिचय	
02.	आयोग के मान. पदाधिकारियों की कलम से	
03.	आयोग की गतिविधियों के मुख्य छायाचित्र	
	भाग- दो	
	अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश	
01.	अन्य पिछड़ा वर्ग हितार्थ जारी महत्वपूर्ण परिपत्र	
02.	क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र संबंधित प्रमुख निर्देश	
	भाग- तीन	
	जाति प्रमाण -पत्रों के सत्यापन हेतु शासन के नवीन निर्देश	
01.	जाति प्रमाण- पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन	
02.	जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण- पत्र सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र	
03.	जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन	
04.	पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।	
	भाग- चार	
	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची एवं राज्य शासन की अनुसूची	
01.	भारत शासन के केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय	
02.	राज्य शासन की अनुसूची में सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय (नाम/परम्परागत व्यवसाय/ कैफियत)	
	भाग- पाँच	
	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यवाहियों का विवरण एवं अनुशंसा	
01.	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक का कार्यवाही विवरण	
02.	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ली गई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का सारगर्भित विवरण	
03.	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त प्रमुख प्रकरणों पर आयोग की कार्यवाही एवं अनुशंसा	
04.	आयोग को प्राप्त प्रकरणों के सांख्यिकी आँकड़े एवं रेखाचित्र	
05.	आयोग को प्राप्त प्रशस्ति पत्र	
	भाग- छः	
	आयोग का बजट एवं पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ संचालित शासन की प्रमुख योजनाएँ एवं अखबार की सुर्खियाँ	
01.	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक बजट	
02.	अन्य पिछड़े वर्ग समाज के समग्र हितार्थ हेतु शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ	
03.	अखबार की सुर्खियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की गतिविधियाँ	

षष्टम वार्षिक प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 14 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने क्रियाकलापों /गतिविधियों संबंधित वित्तीय वर्ष 2012-13 (01.04.12 से 31.03.13 तक की अवधि) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ. सोमनाथ यादव)
अध्यक्ष
छ.ग.रा.पि.व. आयोग, रायपुर

(प्रहलाद रजक)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर

(मुनेश्वर सिंह केशर)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर

(देवेन्द्र जायसवाल)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर

(शिव चन्द्राकर)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर

(ममता साहू)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर

(छतरसिंह नायक)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर

(एल.आर. कुर्रे)
सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

भाग-एक

पिछड़ा वर्ग आयोग : अतीत से आगत तक

01. पिछड़ा वर्ग आयोग : एक सामान्य परिचय
02. आयोग के मान. पदाधिकारियों की कलम से
03. आयोग की गतिविधियों के मुख्य छायाचित्र

भाग-1

अध्याय-1 पिछड़ा वर्ग आयोग : अतीत से आगत तक

पिछड़ा वर्ग आयोग : एक सामान्य परिचय

भारत देश की आबादी में विभिन्न वर्ग/समुदाय सम्मिलित है। इन विभिन्न समुदायों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एक-दूसरे से काफी भिन्न है। कुछ ऐसे समुदाय भी इस आबादी में है जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है। पिछड़ा वर्ग शब्द का उद्‌गम 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ माना जाता है। दीर्घकाल तक शोषित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समनार्थी शब्द माने जाते रहे। सन् 1928 में हट्टाक समिति द्वारा पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि ''वह वर्ग एवं जातियां जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग आदिम जनजाति, पहाड़ी जनजाति एवं आपराधिक जनजाति है पिछड़ी मानी जावेगी।'' भारतीय केन्द्रीय समिति ने 1929 में पिछड़ा वर्ग की ब्रिटिश कालीन सूची मानकर दलित वर्ग शब्द को इस समिति ने हटा दिया। 1930 में बम्बई सरकार द्वारा गठित समिति ने अपने रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों को तीन वर्गों अर्थात दलित वर्ग, आदिवासी तथा पर्वतीय जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में परिवर्तित किया था। अन्य पिछड़े वर्गों की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं दी गयी है। संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को सही न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत के संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत के पालन करने की संवैधानिक व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 46 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य शासन कमजोर वर्गो के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितो को विशेष सावधानीपूर्वक बढ़ावा देगा। सरकार द्वारा पिछड़ों के उत्थान का सार्थक प्रयास किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये शासकीय नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की दशा में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया इसके परिपालन हेतु भारत शासन ने सर्वप्रथम मार्च 1953 में काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की, दो वर्ष के परिश्रम के पश्चात मार्च 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट भारत शासन को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट पर वर्ष 1959 तक समय-समय पर बहस होती गई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले। पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात प्राय: भुला दी गई थी। जनता शासन में 31 दिसम्बर 1978 को पुन: श्री बी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और मण्डल आयोग ने 1 जनवरी 1979 से अपना कार्य प्रारम्भ किया और दिनांक 31.12.1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मण्डल आयोग के इस प्रतिवेदन पर अगस्त 1990 तक किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया। विदित हो कि मण्डल आयोग ने ही अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़े वर्ग कि दशा का अध्ययन करने के लिए 19 अगस्त 1980 को मध्यप्रदेश राज्य का दौरा किया एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री को प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया तथा पिछड़े वर्गों की अत्यंत दयनीय दशा के उत्थान एवं कल्याण के कार्य प्रारंभ करने के सुझाव दिये। अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सन् 1980 में श्री रामजी महाजन की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग गठन किया। महाजन आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर 1983 को शासन को प्रस्तुत किया। ज्ञातव्य हो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री व्ही.पी. सिंह ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़ा वर्ग को

27 प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा 8 अगस्त 1990 को की और 13 अगस्त 1990 को इसके विधिवत आदेश जारी किये एवं केन्द्र व राज्य सरकारो को अपने-अपने स्तर पर सम्पन्न वर्गो की पहचान 04 माह के अंदर करने निर्देश दिये थे। न्यायमूर्ति आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित प्रसाद समिति ने परिक्षणोपरान्त दिनांक 10.3.1993 को सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) की पहचान के सिद्धांत प्रतिपादित किये गये। केन्द्र सरकार ने प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ली एवं अविभाजित म.प्र. द्वारा तदउपरांत छ.ग. शासन द्वारा भी उक्त समिति की रिपोर्ट को केन्द्र द्वारा अनुमोदित सम्पन्न वर्ग में आधार अंगीकार किये।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापना के कुछ वर्षों के अंदर ही राज्य में अन्य पिछड़े वर्गो के हितों को आकार देने के उद्देश्य से सन् 2005 में ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया था। आयोग के प्रथम अध्यक्ष का दायित्व 18 जनवरी, 2007 को श्री नारायण चंदेल को प्रदत्त किया गया था। प्रारंभ में आयोग की संरचना 03 सदस्यीय थी किन्तु राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग समाज के अनुपात को देखते हुए आयोग की संरचना 07 सदस्यीय बना दी गई है। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है-

क्र.	पद	नाम	पद ग्रहण दिनांक
01.	मान. अध्यक्ष	मान. डॉ. सोमनाथ यादव	24.11.2011
02.	मान. सदस्य	मान. श्री प्रहलाद रजक	25.11.2011
03.	मान. सदस्य	मान. श्री मुनेश्वर सिंह केसर	26.11.2011
04.	मान. सदस्य	मान. श्री देवेन्द्र जायसवाल	24.11.2011
05.	मान. सदस्य	मान. श्री शिव चन्द्राकर	26.11.2011
06.	मान. सदस्य	मान. श्रीमती ममता साहू	26.11.2011
07.	मान. सदस्य	मान. श्री छतरसिंह नायक	26.11.2011

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य शासन की सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित कराने तथा राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश एवं निष्कासित करने की संस्तुति शासन को सम्प्रेषित करता है। अन्य पिछड़े वर्ग के सजग हितप्रहरी के रूप में आयोग का सदैव ही यह प्रयास रहा है कि पिछड़ा वर्ग समाज का अधिकतम कल्याण हो सके, शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पिछड़ा वर्ग समाज ले सकें इस हेतु आयोग द्वारा राज्य स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विषयों की समीक्षा भी की जाती है। वर्तमान में छ.ग. राज्य में 93 जातियां पिछड़े जाति के रूप में अधिसूचित हैं, जो इस प्रतिवेदन में प्रकाशित की गयी है। भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय शासन की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण सुनिश्चित करने केन्द्र शासन द्वारा राज्य सेवाओं में आरक्षण राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जा रही है। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान पदाधिकारियों की सक्रियता एवं आयोग के अमले की कार्यकुशलता ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को अपना एक हितकारी मंच प्रदान किया है। आयोग को प्राप्त प्रकरण एवं उसके निराकरण आयोग की अविरलता के प्रत्यक्ष प्रमाण है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अमला-

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर में पदस्थ अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व दूरभाष क्रमांक

क्र.	पद	पदनाम	दूरभाष कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
01.	मान. डॉ. सोमनाथ यादव	अध्यक्ष	0771-2429968 0771-2420352		09893078325
02.	मान. श्री प्रहलाद रजक	सदस्य	-"-		09424108942 09920919190
03.	मान. श्री मुनेश्वर सिंह केसर	सदस्य	-"-		08817909065
04.	मान. श्री देवेन्द्र जायसवाल	सदस्य	-"-		09993334126
05.	मान. श्री शिव चन्द्राकर	सदस्य	-"-		09425244966
06.	मान. सुश्री ममता साहू	सदस्य	-"-		09406126116
07.	मान. श्री छतरसिंह नायक	सदस्य	-"-		09754000999
08.	श्री लेखराम कुर्रे	सचिव	0771-2429967		09424280608
09.	श्रीमती अनिता डेकाटे	सहा. अनु. अधिकारी	-"-		09713513100
10.	श्री उत्तरा कुमार पटेल	सहा. ग्रेड-03	-"-		09669576851
11.	श्री झामन लाल निर्मलकर	सहा. ग्रेड-03	-"-		08109770687
12.	श्री कोमलप्रसाद यादव	निज सहा.	-"-		09685117444
13.	श्री ओमप्रकाश सिन्हा	निज सहा.	-"-		09752331971
14.	श्री त्रिलोचन सिंह नेताम	भृत्य	-"-		
15.	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	भृत्य	-"-		
16.	श्री उमाशंकर देवांगन	भृत्य	-"-		
17.	श्री ठाकुर राम ठाकुर	भृत्य	-"-		

भाग-1

अध्याय-2

आयोग के मान. पदाधिकारियों की कलम से...

प्रहलाद रजक
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग

मेरी कलम से . . .

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के अनुरूप पिछड़े वर्ग के कल्याण करने आयोग के उदेश्यों को प्राप्त करने मैं अपना पद ग्रहण किया। तब से मैने निरंतर पिछड़े वर्ग के लोंगों के प्रमुखों एवं सामान्य लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है और करता रहूंगा। **दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक** पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय मे प्राप्त आवेदनों में शिकायत एवं जाति शामिल करने वाले आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कर जन सुनवाई किया गया। बेमेतरा को जिला बनाने की मांग रखने एवं पूर्ण करवाने में जो सहयोग वरिष्ठो से मिला उनका श्रेय वरिष्ठों को जाता है, क्योंकि एक ही मांग पर जिला के रूप में स्वीकार करते हुये मूर्त प्रदान किया। जिला बनने के बाद कुछ ऐसे आफिस जो दुर्ग जिला में है जैसे जलसंसाधन अनुक्रमांक 04, के कार्यो के लिये किसानों को दुर्ग जाना पड़ता हैं, इसी तरह के छुटे हुये आफिस को बेमेतरा कार्यालय में लाने की मांग किया गया। शासन द्वारा चलाये अभियान 'जुड़ाव' कार्यक्रम को भव्यरूप रेखा देने के लिए पूरे छ.ग. में धोबी समाज एवं अन्य समाज को जोड़ते हुये एक महा सम्मेलन न्यायधानी बिलासपुर में कराया गया। इस संबंध में अन्य वर्गो में भी पुर्ण समरसता लाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। आयोग कार्यालय में सदस्यों के साथ समस्या निराकरण करने एवं सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा।

बेमेतरा जिलांतर्गत बेरला ब्लाक के ग्राम सुरहोली में चल रहे स्टापडेम निर्माण कार्य पर ग्रामीणो द्वारा शिकायत करने पर 17 मई 2012 को जनसुनवाई किया गया एवं सही मात्रा में मटेरियल डालने दिशा निर्देश दिया गया। नाई समाज को संगठित करते हुये प्रदेश स्तर का सम्मेलन 30 मई 2012 को बैसिक स्कूल मैदान बेमेतरा में कराया गया इसी प्रकार पटेल समाज में शाकम्भरी महोत्सव के लिए प्रेरित कर सम्मेलन कराने उत्साहित करना। 11 जून को बेमेतरा अंतर्गत ग्राम मोहभट्ठा में कुएं में गिरे बछड़ा को निकालने लगे रोशन चतुर्वेदी, बावन मारकण्डेय, विजय यादव, तीनो की कुएं में जहरीली गैस के रिसाव के कारण मृत्यु हो गई मृतक के परिजनों को 1 लाख 50 हजार की राशि तीनो मृतक के परिजनो को शासन के माध्यम से दिलाने में भूमिका रही। 24 जुलाई 2012 को बीजाभाट से मटका पहुच मार्ग में स्कूली बच्चो के आने जाने की समस्या को ध्यान में रखते हुये अपने प्रयास से एसी व्ही के पतपहरी ने त्वरित 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। 27.07.2012 से भारत स्काउट/गाइड शिविर का शुभारंभ किया गया। 15 अगस्त के अवसर पर बावनलाख के छात्र/छात्राओं को 52 स्काउट/गाइड युनिफार्म दिलवाया गया। दिनांक 10.09.2012 को आकास्मिक बिजली गिरने से बेरला वार्ड क्र. 4 निवासी बबला गोड़ की पत्नि बुधयारिन बाई की मौत हो गई जिसे तत्काल शासन की ओर से तहसीलदार ज्योति गुगेल के माध्यम से तत्काल 10 हजार स्पाट में दिलवाया गया एवं 90 हजार की राशि 1 महिने बाद। 29 सितम्बर को ग्राम संडी में लियें बैठक में ग्राम में स्थित सिद्धी माता के मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की मांग माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से किया गया।

जिसपर सहमति प्रदान करते हुये भविष्य में बनने की विश्वास दिलाया। इसी कड़ी में महिलाओं को आगे आने, प्रोत्साहित करने तथा आत्म निर्भर बनाने का कार्य किया गया इन्ही बातो को ध्यान मे रखते हुये पाहंदा ग्राम में समर्पण स्व सहायता के महिला समूह ने गृह उद्योग का उदघाटन 25.10.2012 को किया गया, और समर्पण स्वः सहायता के महिला समूह ने इस उद्योग के विस्तार का संकल्प लिया। बीजाभाट में हमालों के भविष्य निधि की राशि गबन करने वाले ठेकेदार परविन्दर सिंह का हमालों के बीच सुनवाई कर भविष्य निधि की राशि को जमा कराया गया।

इसी कड़ी में किसानो के हित को ध्यान मे रखते हुये बेमेतरा जिला के प्रथम वर्ष गांठ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से शक्कर कारखना की मांग किया गया जिस पर सहमति प्रदान करते जॉच के लिये अनुमति प्रदान किया। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहॉ पर कृषि आधारित उद्योगों की मांग किया गया। बेमेतरा में बीज प्रंकिया केन्द्र खोलने के लिए सेन्ट्रल सेक्टर बोर्ड से 129.99 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं।

4 फरवरी सरगुजा के दौरे पर बतौली से कमलापुरी समाज को पिछड़ा वर्ग मे जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। जांजगीर में पटवा समाज को पिछड़ा वर्ग मे जोड़ने के लिए मांग किया एवं सम्मेलन किया गया। बेमेतरा जिलांतर्गत 170 गांव मे सीधे ग्रामीणो से सम्पर्क कर बैठक लिया गया। इसमें गॉवों में पिछड़ापन अवनती के कारणों को गंभीरता से लेते हुये इन ग्रामीणों के प्रमुख मांगो को माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया गया जिसमें मान.मुख्यमंत्री ने सहमती प्रदान करते हुये विकास कार्य की घोषणा किया।

इसी कड़ी में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये बेमेतरा जिला के छोटे-बड़े नदी नाले जैसे-शिवनाथ नदी, सकरी नदी, हाफनदी, डोटू नदी, करुवा नदी, सुरहीकर्रा, गब्दीनाला आदि, नदी-नालों में जलाशय, डायवर्सन, स्टापडेम या एनीकट का निर्माण कराकर सिंचित जिला बनाने की मांग किया गया जिस पर पूर्ण सहयोग प्रदान करने की सहमति माननीय मुख्यमत्री जी द्वारा दी गई हैं।

बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला हैं इससे अवगत कराते हुये यहॉ कृषि आधारित उद्योग की मांग पर जांच एवं परीक्षण की अनुमति प्रदान किया गया। किसानो को उचित सुविधा मुहया एवं लाभांवित करने के लिए कृषि अभियांत्रीकीय कर्मशाला की मांग किया गया है। इस तरह पढ़ाई के क्षेत्र में भी भारत स्काउट/गाइड के माध्यम से छ.ग. में बेमेतरा को तृतीय सोपान प्रशिक्षण एवं जांच शिविर में 700 प्रशिक्षाणार्थियो को प्रशिक्षण प्रदान कराकर प्रथम स्थान मिला। 1 वर्ष में 365 दिन होते जिसमें 281 दिन जिले के अंतर्गत एवं जिले से बाहर दौरा किया गया एवं समस्याओं का निराकरण किया। 84 दिन बेमेतरा निवास में कलेक्टर के पास समस्या लेकर आने वाले जनताओं के समस्या का निराकरण किया गया। आने वाले भविष्य मे पिछड़े वर्ग को संगठित करते हुये संमभाव को स्थापित करने एवं जागरूपता लाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा हैं। मेरा सामाजिक जीवन मेरे बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था जो कि आजीवन जनकल्याणकारी कार्यों हेतु समर्पित रहेगा।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रुप में मेरी रचनात्मक भूमिका के निर्वहन में आयोग के सम्माननीय साथियों का एवं आयोग के शासकीय अमले का जो आत्मिक सहयोग मुझे प्रास हुआ है, उसके लिए मैं ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

सादर सहित.....

(प्रहलाद रजक)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

देवेन्द्र जायसवाल
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग

मेरी कलम से . . .

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में प्राप्त पिछड़े वर्गों की शिकायतों एवं जाति शामिल कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु मेरे द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुनवाई किया गया जिसमें प्रमुख रुप से ग्राम-तेन्दुनाला जिला-राजनांदगांव के श्रीमती हीरमणि साहू को ग्राम से वहिष्कृत कर पौनी-पसारी बंद कर दिया था। जिसे आयोग ने तत्परता के साथ गांव में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से आपसी समझौता कराकर उक्त प्रकरण को निराकृत किया आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए आयोग कार्यालय द्वारा ग्राम डौन्डी लोहारा में जमीन खरीदी-बिक्री के प्रकरण में श्री मुकेश देवांगन आवेदक द्वारा जमीन खरीदी करने के पश्चात कब्जा न दिये जाने की शिकायत आयोग कार्यालय में किया गया। अनावेदक श्री दामोदर पाण्डे द्वारा जमीन बेचने के बाद भी आवेदक को कब्जा नहीं दे रहे थे। आयोग कार्यालय टीम द्वारा मौके पर जाकर उक्त प्रकरण को निराकृत किया गया।

इसी कड़ी में श्रीमती वनिता साहू ग्राम-सिंदई वार्ड क्र. 44, जिला- राजनांदगांव द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती में अनियमितता की लिखित शिकायत आयोग कार्यालय को प्रस्तुत हुआ जिसे आयोग ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण पर कार्यवाही कर आवेदिका को दिनांक 31.12.12 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दी गई। कुछ विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विभागीय मंत्री महोदय से मिलकर उन्हे अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया एवं उनके मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश से तत्काल उन समस्याओं का समाधान भी हुआ। जाति शामिल में प्रमुख रुप से बया जाति जिला-बालोद में आवेदन पर कार्यवाही कर पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा के लिए पत्र प्रेषित किया जिसमें बया जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया।

डौण्डीलोहारा जिला बालोद से आवेदिका श्रीमती राधाबाई सोनकर, द्वारा आयोग में पेंशन नहीं मिलने संबंधी शिकायत की थी। जिसे आयोग कार्यालय द्वारा गंभीरता से लेते हुए आवेदिका को पेंशन दिलाया गया। इसी तरह श्री दीपक सिन्हा कलारपारा जय स्तम्भ चौक, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगाँव द्वारा आयोग कार्यालय रायपुर में शिकायत पत्र प्रेषित कर अनावेदक श्री मनीष सिन्हा जोरातराई राजनांदगांव द्वारा रकम लेकर बढ़ई कार्य नही किये जाने की शिकायत पर आयोग कार्यालय द्वारा उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिला- राजनांदगांव में जनसुनवाई करते हुए आपसी सहमति से राजीनामा कराया गया।

आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए मुझे आयोग के मान. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य साथियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ तथा आयोग के सचिव, अनुसंधान अधिकारी, एवं समस्त स्टाफ का आभारी हूं। जिन्होंने हर कदम मेरा महत्वपूर्ण समय पर सहभागी रहे जिनका मैं ह्दय से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा रखूँगा। पिछड़े वर्गों के हितार्थ संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की मैदानी स्तर पर क्षेत्र भ्रमण हेतु हमेशा तत्पर रहूँगा एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के सार्थक उत्थान हेतु निरंतर सेवा भाव से आयोग कार्यालय के दिशा-निर्देश पर काम करता रहूँगा।

सादर....

(देवेन्द्र जायसवाल)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

शिव चन्द्राकर
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग

मेरी कलम से . . .

मैंने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य का सक्रिय भूमिका निर्वहन करते हुए अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई माह-2012 में नवागढ़, गाड़ाडीह, दाढ़ी, संबलपुर एवं मारो, खम्हरिया, परपोड़ी, अहिवारा, पाटन, कुम्हारी, धमधा आदि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं उन क्षेत्रों में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज के सदस्यों से भेंट की तथा शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करते हुए समक्ष में जनसुनवाई की। साहू समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने प्राप्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए मई, 2012 में दुर्ग जिले के साथ ही रायपुर बेमेतरा एवं कोरबा आदि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्त सुनवाई की गयी।

श्री अमित कुमार देवांगन, ग्राम व पोस्ट जामगांव तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) अनुभवधारी पिछड़े वर्गों के आवेदक को न्याय दिलाने में भेदभाव की गयी जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मेरे द्वारा सुनवाई कर आयोग के माध्यम से अनुशंसा पारित कर पीड़ित को न्याय दिलाने की कार्यवाही की गयी जिसके क्रियाकलापों में तीव्रतम गति आयी। श्री डी.आर. यादव, जल संसाधन विभाग, पद्नाभपुर एल.आई.जी. दुर्ग (छ.ग) के वेतन रोककर आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना की शिकायत पर सुनवाई कर कार्यवाही करते हुए मेरे द्वारा तथा आयोग के माध्यम से अनुशंसा पारित कर पीड़ित को न्याय दिलाने की कार्यवाही से मेरे क्रियाकलापों के नयी दिशा एवं तीव्रतम गति मिली।

श्री ललित कुमार प्रजापति, जिला कोरबा (छ.ग.) नौकरी से बर्खास्त एवं वेतन भुगतान न किये जाने की शिकायत की जांच मेरे द्वारा सुनवाई कर आयोग के माध्यम से अनुशंसा कर पीड़ित को न्याय दिलाने की कार्यवाही की गयी। श्री डी.डी. वर्मा (व्याख्याता, रासायन शास्त्र) विद्युत उच्च. माध्य. विद्यालय,-02, दर्री कोरबा पश्चिम, जिला कोरबा द्वारा दिनांक 01.06.2012 को आयोग विद्युत नगर शिक्षा समिति के विरूद्ध पदोन्नति में भेदभाव की गयी थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.07.2012 को मेरे द्वारा सुनवाई कर आयोग में 20.01.2012 के माध्यम से अनुशंसा पारित कर पीड़ित को वर्ष 2004 से पदोन्नति दिलाने की कार्यवाही से मेरे क्रियाकलापों में तीव्रतम गति आयी।

मैंने दिनांक 04.07.2012 को मुंगेली तथा कोरबा जिले में छिपिया एवं कोसरिया, केसरिया जाति के अनुसंधान के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु दौरा किया गया एवं दिनांक 16.06.2012 को दुर्ग में ''शिवहरे'' जाति के अनुसंधान एवं आवश्यक कार्यवाही से संबंधित सुनवाई के लिए दौरा किया।

मेरे तथा आयोग के माध्यम से अभी कुछ क्रियाकलापों पर आवश्यक कार्यवाही जैसे श्री दिनेश कुमार ड़डसेना, पांच मंदिर के पास, रामनगर भिलाई, जिला-दुर्ग (बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के खिलाफ कार्यवाही), श्रीमती नंदिनी बाई, ग्राम चिंगरी, तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.) (आँगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत), श्रीमती बसंती बाई, निवासी शांति नगर कोहका भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) श्रीमती अमृता यादव (कल्पना) ग्राम व पोस्ट नेवई, जिला-दुर्ग (छ.ग.), श्री रामाधार साहू, सरगांव वार्ड क्र. 15 नगर पंचायत, सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.) श्री माखन लाल यादव (उ.श्रे.शि.) शास. उच्च. माध्य. विद्यालय, लालघाट, वि.ख. व जिला-कोरबा (छ.ग.) विज्ञान/ गणित स्नातक शिक्षक के पदोन्नति में वरिष्ठता क्रम का लाभ दिलाने), श्री राधेलाल यादव (एल्डरमेन) नगर पालिका निगम कोरबा (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉ. के खिलाफ कार्यवाही किये जाने बाबत्) कार्यपालन अभियंता मिनीमाता बांगोबांध संभाग क्रं. 03 माचाडोली, जिला-कोरबा (छ.ग.) (मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की जांच संबंधी) श्री लेखराम बरेठ एवं अन्य दो साकिन बेलकछार, बालको जिला-कोरबा (छ.ग.) (गवाहो को बालको के अधिकारियों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ना किये जाने की शिकायत संबंधी) जारी है।

(शिव चन्द्राकर)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

ममता साहू
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग

मेरी कलम से . . .

आयोग में राज्य के विभिन्न जिलों के व्यक्तियों, संघों एवं पिछड़ी जातियों के द्वारा शिकायत/ आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जाति शामिल करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जैसे मराठा तेली जाति, लोहार जाति एवं समाज से प्राप्त हुए। आयोग इस पर प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत मेरे द्वारा दिनांक 21.03.2013 को दुर्ग जिले का क्षेत्रीय भ्रमण एवं अनुसंधान किया गया। उसी प्रकार लोहार जाति के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए मैंने धमतरी एवं जशपुर जिले के क्षेत्रीय दौरा एवं जनसुनवाई की जिसमें प्रमुख समस्या जाति सत्यापन एवं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ न मिलने की समस्या उजागर हुई। मैंने मध्यान्ह भोजन रसोइया कल्याण संघ, मितानीन संघ इनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुये मैंने जमीनी स्तर पर स्वयं जाकर उनके समस्याओं का निराकरण करने का अथक प्रयास किया जिसमें कई मामलो में सफलता भी मिली मध्यान्ह भोजन रसोइया कल्याण संघ के मानदेय राशि 1000/- रूपये है, और उनकी मांग थी कि इस मानदेय राशि को बढ़ाया जाये। उनके हितो के लिए मैंने छ.ग. के सभी जिलों का दौरा किया। और उनकी मांगो को लेकर मैं मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन के पास भी गई। और मान. मुख्यमंत्री जी को उनके मांगो को देखते हुए उसे पूरा भी किये। उसी प्रकार कांकेर जिले के ग्राम झलियामारी छात्रावास में हुए कुकर्म की जांच के लिए मैं स्वयं वहां जाकर उन पीड़ित छात्राओं से मुलाकात कर उसका जायजा लिया और कलेक्टर महोदय से उन दुष्कर्मीयों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आव्हान किया। और इस घटना को देखते हुये मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रावासी समस्या को देखते हुए मैं रायपुर शहर के सभी कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण पर मैंने यह सुनिश्चित किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को आरक्षित सीट पर प्रवेश लेने में कोई समस्या तो नही है, एवं छात्राओं को अपने आत्मरक्षा के लिए तत्पर रहने को कहा और वहां की अधीक्षिकाओं को अनुशासन पूर्वक बच्चों को रख रखाव संबंधी निर्देश दिये। उसी प्रकार गरियाबंद जिले के दौरे के दौरान वहां की मितानिनो ने मुझे अपनी शिकायत बताये जिसमें उनके सीनियर उन्हे प्रताड़ित करते है ऐसा आरोप था, मैंने तुरंत गरियाबंद जिले के सीएमओ को सूचना दी और कहा उस कर्मचारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया। जिसमें उस कर्मचारी के द्वारा क्षमायाचना की गई जिसको देखते हुए उसे एक मौका दिया गया। अब मितानीन बहने संतोषप्रद होकर कार्य कर रही है। उसी प्रकार रायपुर शहर के एक कोचिंग सेन्टर के संचालक के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई जिसमें संचालक द्वारा प्रार्थी के पैसे वापस नही करने और छेड़छाड़ करने का आरोप था। मेरे द्वारा आयोग से प्रेषित नोटिस के उपरांत से संचालक ने पीड़ित व्यक्ति से क्षमा याचना कर उसके पैसे तरुंत वापस किये और शिकायत वापस लेने को कहा गया। आयोग के मान. अध्यक्ष द्वारा मुझे अपने कार्य निष्पादन में सहयोग किया गया। मा. सदस्यगण एवं आयोग के अधिकारी/ कर्मचारी मेरे कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच एवं सहयोग का भाव रखते हुए मुझे सहयोग दिया। इसके लिए सभी की दिल से आभारी हूँ।

(ममता साहू)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

मुनेश्वर सिंह केसर
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग

मेरी कलम से . . .

छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा के अनुरूप मुझे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य का दायित्व सौपा गया है। जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा राज्य सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग के समुदाय से सतत् सम्पर्क में रहकर पिछड़े वर्ग की जनता से प्राप्त शिकायतों का निपटारा किया एवं आयोग के उद्देश्यों को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया।

08.02.2012 को पण्डरीपानी (फरसाबहार) विद्यालय भवन व्यवस्था का निरीक्षण कर मान. केदार कश्यप जी को अवगत कराया एवं मान. मंत्री ने तत्काल कार्यवाही की गई। मेरे हस्तक्षेप के कारण टी.आर.एन. कम्पनी द्वारा अवैध वृक्ष कटाई एवं मुआवजा के सन्दर्भ में कार्यवाही किया गया एवं कलेक्टर रायगढ़ द्वारा तत्काल मुआवजा राशि दिलाई गई थी। 20.04.2012 को कोल्हेन झरिया में राउत यादव महासभा में शामिल रहा। क्षेत्रीय जन समस्याओं का निराकरण पम्पशाला (तपकरा) घटना का अवलोकन किया एवं मृतक परिवार से भेंट कर सात्वना दिया। सांसद मान. दिलीप सिंह जूदेव से भेंट कर पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा पिछड़े वर्गो के उत्थान व हित संरक्षण में किये जा रहे प्रयास से अवगत कराया गया एवं मान. सांसद जी, से भी पिछड़े वर्ग के उत्थानों के संबंध में चर्चा की गयी तथा कुनकुरी विकासखंड से प्राप्त जन शिकायत को निपटारा किया एवं विभिन्न छात्रावासों का निरीक्षण कुनकुरी विकासखंड के महुआटोली द्वारा खरिका, जयकारी, लोधमा, कुंजारा, श्रीटोली, कोरगा, ठेठेटांगर, फरसाकानी, आदि ग्रामों में जनसम्पर्क कर शासन द्वारा संचालित हो रहे पिछड़ा वर्ग के जन कल्याणकारी योजनाओं एवं आयोग की कार्यकलाप से ग्रामीण समुदाय को अवगत कराया गया व इसी संबंध में दुलदुला विकासखंड के विविध ग्रामों में दौरा कर आयोग के उददेश्यों व इनके कार्यो की विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी गयी।

मलार, सदलोहार झोरा एवं थुरिया जाति का अनुसंधान कार्य किया। जशपुर जिले में निवासरत झोरा जाति के आवेदन पर कार्यवाही कर पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है जिसमें झोरा जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गोलीकाण्ड से हुए मृत परिवार के ढाढस हेतु कोरवा बहरी गया। जशपुर जिला में चतुर्थ एवं तृतीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रकिया में धांधली के संबंध में प्राप्त शिकायत को मान. मुख्यमंत्री से चर्चाकर मुख्य सचिव छ.ग. शासन को अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा लेख किया गया। जिस पर मान. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप चतुर्थ एवं तृतीय कर्मचारियों की भर्ती को निरस्त किया। मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन से चर्चा कर पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उसे प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु सभी कलेक्टरो को निर्देशित करने का आग्रह किया गया।

श्री मानसाय राम के मृतक पुत्र श्री रविशंकर राम के मृत्यु पर जन असंतोष भड़कने के कारण पुनः पी.एम.कराने की कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर जशपुर को अर्द्ध.शास.पत्र लिखा गया जिस पर कलेक्टर जशपुर ने तत्काल कार्यवाही कर अवगत कराया तथा घरघोड़ा अनुविभागीय अधिकारी, को मुकेश कुमार साहू के भूमि किस्म सुधार करने सम्बन्धी कार्यवाही की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में मान. मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग के हितों के संरक्षण व संवर्धन किये जाने हेतु आयोगों का गठन किया है। उसी उददेश्यों के परिपालन में मेरे द्वारा कर्तव्य निर्वहन करते हुए मेरे प्रभार क्षेत्र जिला जशपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सुरजपुर, के समस्त विभागीय अधिकारियों से पिछड़े वर्ग के हित में संचालित हो रहे योजनाओं का सतत् निरीक्षण, पर्यवेक्षण करते हुये कमी पर सुधार हेतु निर्देश दिया गया। योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने में क्षेत्रीय मैदानी अमलो व अधिकारियों का सहयोग सकारात्मक रहा है। आयोग के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, अनुसंधान अधिकारी एवं समस्त स्टाप के द्वारा मुझे भरपुर सहयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आभारी हूं।

(मुनेश्वर सिंह केसर)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

छत्तर सिंह नायक
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग

मेरी कलम से . . .

'कृतं में दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः' अथर्वेद के इस श्लोक के अनुसार आशय है कि यदि दाहिने हाथ में हमारा कार्य (हमारा परिश्रम) है तो विजयश्री हमारे बाये हाथ को स्वयं चुम्बन करेगी। ऐसी ही अनुभव विगत 16 माह के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यीय कार्यकाल के दौरान हुआ। हमारा पिछड़ा वर्ग समाज जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य का बाहुल्य वर्ग तो है किन्तु इसी के साथ इस समाज की समस्याएँ भी उतनी ही व्यापकता लिये हुए है। अनेक पिछड़ी जातियों के समुच्च्य का जब मैंने दृष्टिपात किया तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रारंभ कहाँ से करें? अन्ततोगत्वा राज्य के मुखिया अन्य पिछड़े वर्गों के परम हितैषी माननीय डॉ. रमन सिंह के मार्गदर्शन में एवं आयोग के अध्यक्ष भाई सोमनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हम अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ कार्यों के प्रति जब समर्पित भाव से कार्यबद्ध हुए तो पाया कि आपके कार्य आपको अवश्य ही परिणाम -प्रसून प्रदान करते है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नियुक्त होने से पूर्व मैं महासमुन्द जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मात्र एक जिले की सीमाओं में समाहित था मगर आयोग के सदस्य के रुप में मेरे कार्यों की सीमा सम्पूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज की विस्तृत सीमाओं को स्पर्श कर रही थी। राज्य के विविध क्षेत्रों का भ्रमण, अध्ययन एवं विविध समाजों के मध्य आयोग के कार्यप्रणाली की सक्रियता से मेरे द्वारा अपने आयोग के अन्य साथी पदाधिकारियों के सहयोग से अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ कार्यों में अपनी पूर्ण सहभागिता के दायित्व का निर्वहन करने से हम अपने अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निराकरण के औचित्यपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त करा सकें।

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हुई जनसुनवाई एवं जुड़ाव कार्यक्रम में जब हमारा परस्पर संवाद राज्य के विविध जाति समूहों से हुआ तो अपने पाया कि पिछड़ा वर्ग जाति समुदाय में भी ऐसे अनेक जातियाँ है जो अति पिछड़ा वर्ग की जाति घोषित होनी चाहिए और उनके उत्कर्ष-उत्थान हेतु शासन को विशेष प्रयास प्रारंभ करने होंगे। आयोग की बैठक में भी सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित कर शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी है।

सामान्य एवं साधारण स्तर के शिकायती प्रकरणों के निदान के अलावा सत्र् 2012-13 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के मूल हितों के संवर्धन हेतू जो प्रयास किये गये है वे आने वाले समय में **'आरूग के फूल'** बनेंगे।

साथियों, जब हम एक विशाल वर्ग के विविध-विविध समुदायों के हितकारी धर्म का पालन करते हैं तो कविवर रहिम की इन पंक्तियों को - **'तरूवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान'** को अपना आधार बनाकर लोकधर्म-राजधर्म के मार्ग में प्रशस्त होना पड़ेगा। 16 माह के इस कार्यकाल को उद्देश्यपूर्ण दिशा में क्रियान्वित करने में सबसे ज्यादा सहयोग देने वाले आयोग के सचिव श्री कुर्रे जी एवं श्री पटेल जी को सात्विक आभार देना चाहूँगा एवं आयोग के अन्य शासकीय अमले को बहुत-बहुत साधुवाद की वे हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग हितार्थ कार्यों में सदैव सहयोगी बने रहे।

जय हिन्द- जय छत्तीसगढ़

(छत्तर सिंह नायक)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व.आयोग, रायपुर

मान. मुख्यमंत्री जी से आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए।

मान. विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक एक समारोह में आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव कासम्मान करते हुए।

दुग्ध विक्रेताओं हेतु बिलासपुर रेल्वे स्टेशन के समीप शेड निर्माण का लोकार्पण करते हुए मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

आयोग के मान. सदस्य श्री प्रहलाद रजक जांजगीर-चांपा में आयोजित रजक समाज के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए

कंवराई धोबी समाज के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते हुए आयोग के सदस्य मान. प्रहलाद रजक

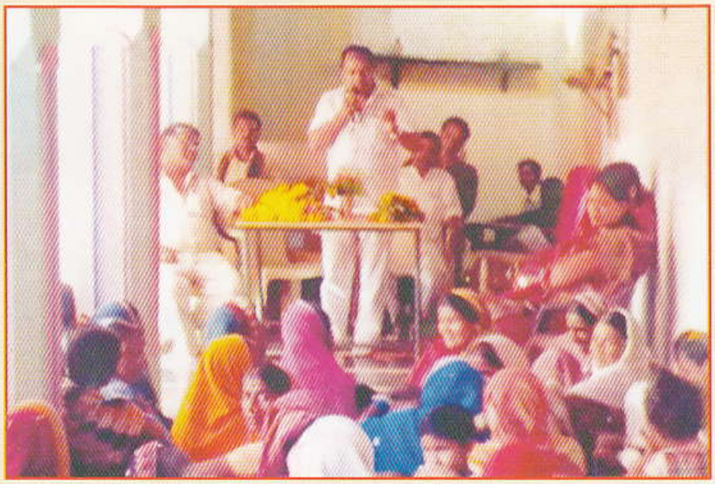

आयोग के मान. सदस्य श्री शिव चन्द्राकर अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की महिलाओं को सम्बोधित करते हुए

मान. मुख्यमंत्री जी को पिछड़ा वर्ग समाज की समस्याओं की जानकारी देते हुए आयोग की मान. सदस्य सुश्री ममता साहू।

कन्नौजे रजक समाज के एक कार्यक्रम में आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं मान. सदस्य श्री प्रहलाद रजक

खर्रा समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

जशपुर जिले की समीक्षा बैठक में आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं मान. सदस्य श्री मुनेश्वर सिंह केसर एवं अन्य अधिकारीगण

रौनियार समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं मान. सदस्य श्री मुनेश्वर सिंह केसर

अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग मान. सदस्य श्री शिव चन्द्राकर

उत्तरांचल रा. पि. वर्ग आयोग के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

उत्तर प्रदेश रा. पि.वर्ग आयोग के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

सेन समाज (जुड़ाव) कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव व मान. सदस्यगण सुश्री ममता साहू, श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं श्री छतर सिंह नायक

छत्तीसगढ़ यादव समाज के कार्यक्रम में आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन में जनसुनवाई लेते हुए आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

छत्तीसगढ़ी फिल्म के सी.डी. का विमोचन करते हुए मान. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ आयोग के पदाधिकारीगण मा. डॉ. सोमनाथ यादव, मा. सुश्री ममता साहू एवं मा. देवेन्द्र जायसवाल

बरेठ समाज के एक कार्यक्रम में आयोग के मा. सदस्य श्री प्रहलाद रजक मा. विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल के साथ

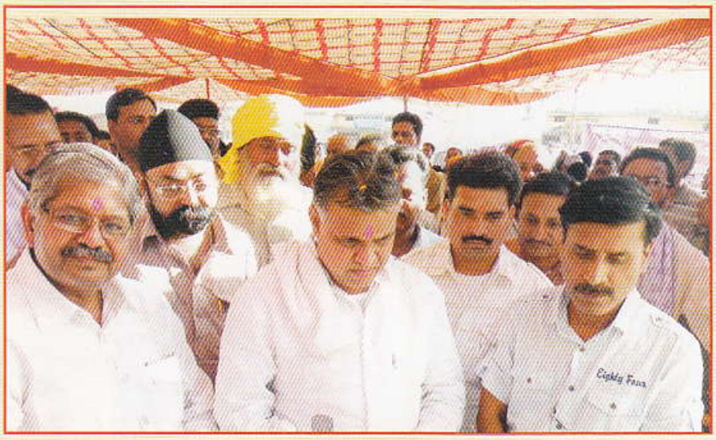

मा. विधानसभा अध्यक्ष श्री धरम लाल कौशिक एवं मा. जल संसाधन मंत्री श्री हेमचंद यादव के साथ आयोग के मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेते हुए आयोग के मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के एक कार्यक्रम में मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव परम्परागत छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में

भोरतिया-भोरथियाँ समाज द्वारा आयोग के मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

निषाद समाज के एक कार्यक्रम में आयोग मा. अध्यक्ष डॉ.सोमनाथ यादव मा. विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलालकौशिक एवं मा. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी के साथ

छ.ग. के मा. राज्यपाल श्री शेखर दत्त के साथ आयोग की मा. सदस्य सुश्री ममता साहू

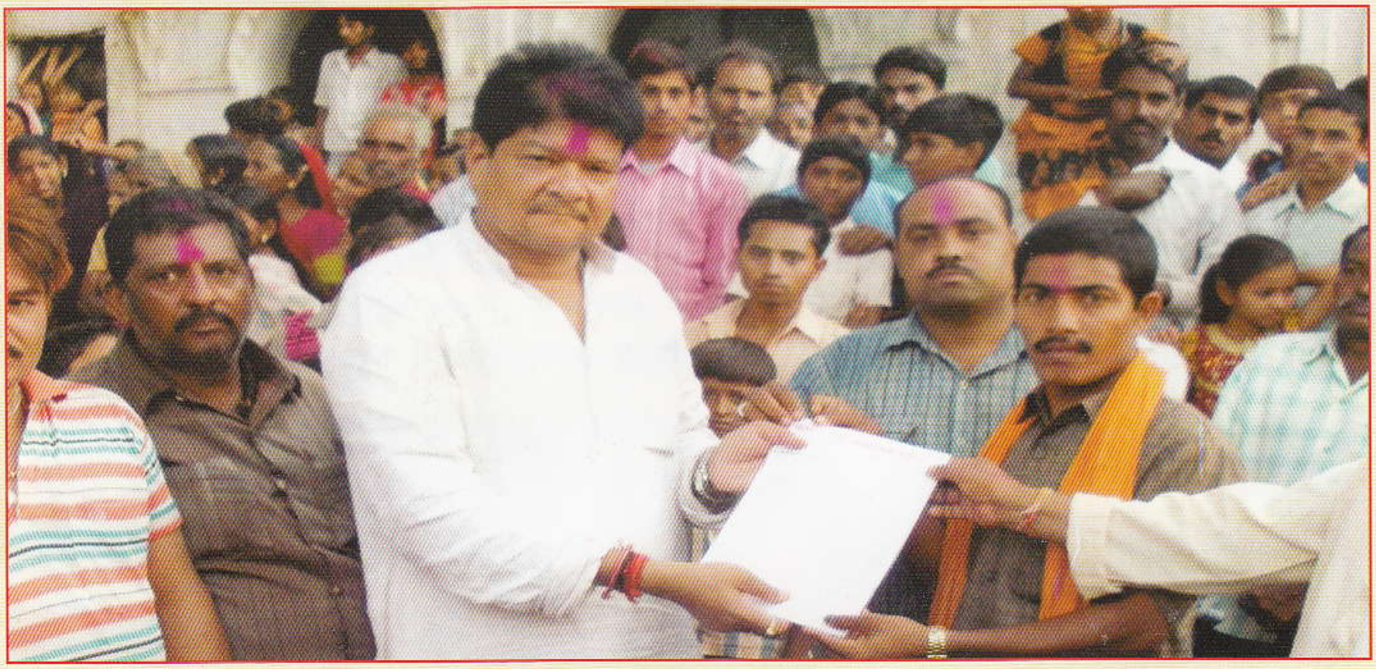

अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधि मंडल के मध्य राज्य पि.व.आ. के सदस्य मा. श्री प्रहलाद रजक

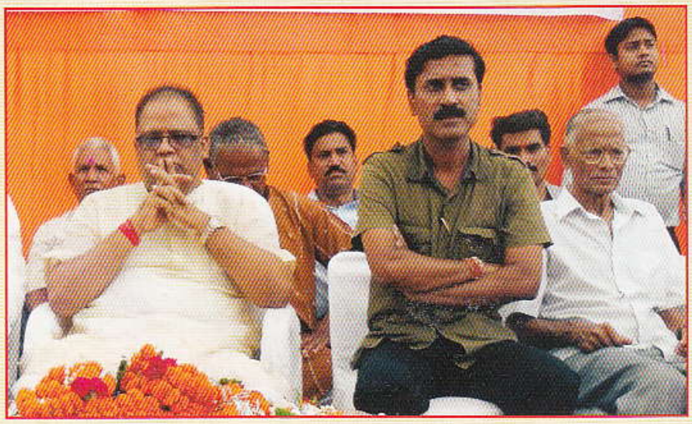

बिलासपुर में यादव समाज के एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मा. श्री अमर अग्रवाल के साथ आयोग के अध्यक्ष मा. डॉ. सोमनाथ यादव

संस्कृति विभाग के एक कार्यक्रम में मा. विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, मा. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी के साथ आयोग मा. अध्यक्ष डॉ.सोमनाथ यादव

सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन में छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मा. अध्यक्ष सोमनाथ यादव

क्रीड़ा महोत्सव के आयोजन में अतिथि का दायित्व निभाते
आयोग के मा. अध्यक्ष सोमनाथ यादव मा. सदस्य श्री शिव चंद्राकर एवं श्री देवेन्द्र जायसवाल

भाग-दो

अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश

01. अन्य पिछड़ा वर्ग हितार्थ जारी महत्वपूर्ण परिपत्र
02. क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र संबंधित प्रमुख निर्देश

भाग-2

अध्याय-1

अन्य पिछड़ा वर्ग हितार्थ जारी महत्वपूर्ण परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. -1299/72/2010/1-3 रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय :- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन।

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5664/05 (PIL) में पारित आदेश दिनांक- 07.10.2006 के पालन में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-10 अगस्त, 1950 को संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची जो मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित की गई है, में प्रविष्टि क्रमांक- 20,23,33, 34 एवं 35 पर अंकित जनजातियों के ऐसे व्यक्ति / परिवार जो अविभाजित मध्यप्रदेश के अंतर्गत मूलतः मध्यप्रदेश से संबंध रखते हैं किन्तु मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के लागू होने के पूर्व से पुनर्गठित छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत स्थाई रुप से बस गये है और वर्तमान में निरन्तर छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत् है को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी किए जाएंगे जिस प्रकार मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।

2/ उक्त जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करते समय समस्त सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आवेदक के स्थाई निवासी के संबंध में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करे-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.डी. चोपड़े)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 06-183/ 2010/25-2, रायपुर, दिनांक 25-11-2011

प्रति,

समस्त
कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये उम्मीदवारों से 1950 के अभिलेख मांगे जाने के संबंध में।

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कतिपय जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में 1950 के पूर्व के अभिलेख मांगे जा रहे है, यह उचित नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 428/2003/1/3, रायपुर दिनांक 22 जुलाई 2003 द्वारा स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये 1950 के पूर्व के अभिलेख मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा. वि.वि.

पृ.क्रमांक/एफ 06-183/2010/25-2, रायपुर, दिनांक 25-11-2011

प्रतिलिपि :

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।
3. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग.।
5. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ 13-2/2011/1-3 रायपुर दिनांक, 12-12-2011

//आदेश //

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/आ.प्र./एक, दिनांक 1 अगस्त 1996, परिपत्र क्रमांक 426/2003/1/3, दिनांक 21 जुलाई 2003 व परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च 1997 एवं परिपत्र क्रमांक 428/2003/1/3, दिनांक 22 जुलाई 2003 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं। इन निर्देशों में स्थाई प्रमाण-पत्र जारी करने के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विभिन्न कार्यों हेतु जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है, छात्रों को समय से जाति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किये जाने से उन्हें काफी असुविधा होती है।

3. आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्रों का अनुसरण करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर स्वयं यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों को स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में अभियान चलाया जाकर, समस्त पात्र छात्र/छात्राए को 9 वीं से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर शाला छोड़ने के पूर्व उन्हें स्थाई जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाकर उच्च स्तरीय छानबीन से सत्यापन पश्चात प्रदाय करने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

4. उक्त कार्य की मानीटरिंग हेतु आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है।

(जेवियर तिग्गा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 13-2/2011/1-3 रायपुर, दिनांक 12-12-2011

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13-14/2011/1-3 रायपुर दिनांक, 12 दिसम्बर 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2003।

- - - - -

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित समसंख्यक परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए है (छायाप्रति सलग्न) है।

2/ समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर यह सुनिश्चित करें कि, पिछड़ा वर्गों के लिये जाति प्रमाण जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पिछड़ा वर्गों के लिये जाति प्रमाण जारी करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7-2/96/आप्र/एक दिनांक 12 मार्च 1997 की कंडिका-6 में विनिर्दिष्ट तिथि 26 दिसम्बर 1984 का पालन किया जाए।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जेवियर तिग्गा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 13-14/2004/1-3 रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

आदेश

क्रमांक/ 18-05/ 2011/25/2 रायपुर दिनांक, 25-2-2012

राज्य शासन एतद् द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1988-89 विनिमय के नियम 05 के बिन्दु 04 के उप बिन्दु के (क) एवं (ख) में आय सीमा हेतु उल्लेखित प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार आय सीमा हेतु प्रावधान संस्थापित करता है :-

वर्तमान आय सीमा जिसे अधिकमित किया जाता है।	आय सीमा जिसे संस्थापित किया जाता है।
1	2
रू. 9,000/- वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस	रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस
रू. 9,001/- से रू. 25,000/- वार्षिक आय तक आधी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस	

2. छात्र-छात्राओं का सटिक डाटाबेस तैयार कराते हुए पात्र छात्रों को ही छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. छात्रवृत्ति हेतु सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरण कराने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. यह आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रभावशील होगा।
5. इस स्वीकृति/ संशोधन पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक /36/00002372/ वित्त विभाग/ ब-3/ 2012 दिनांक 27.1.2012 द्वारा सहमति प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु. जा. वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक, 31-03-2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय : मान. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षित पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन।

संदर्भ : इस विभाग का समसख्यक पत्र दिंनाक 28.11.2006 एवं परिपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2007।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित पत्र/परिपत्र देखें जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सफल उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश अंतिम रुप से जारी करने के पश्चात उनकी सूची उच्चस्तरीय छानबीन समिति को जांच हेतु सौंपने तथा उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि की गई जांच में आरक्षित वर्ग के किसी सफल उम्मीदवार का जाति प्रमाण-पत्र गलत होना पाया जाता है तो उस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने और उसे तत्काल सेवा से पृथक करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए है।

2. शासन के ध्यान में लाया गया है कि नियोक्ता द्वारा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों की केवल सूची ही जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजी जाती है। समिति को उन उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र, आवश्यक जानकारी या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते है, जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने के मामलों में नियोक्ता द्वारा अन्य कोई रूचि नही ली जाती है। कई विभागों में उक्त समिति से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नियुक्ति पत्र दिये जाते है, सेवाओ से वंचित रहता है। विभागों द्वारा सूची भेजने के बाद बार-बार समिति से पत्राचार किया जाता है, इस संबंध में जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने पत्र दिनांक 10.03.2011 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जांच/सुनवाई संबंधित एवं नियोक्ता को पारित आदेश की प्रति के साथ सूचित किया जाता है तद्संबंध में छानबीन समिति को सौंपी गई जांच के संबंध में बार-बार प्रगति प्रतिवेदन मांग कर बाधित न किया जाये।

3. उपरोक्त सब कठिनाईयों को देखते हुए, सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि :-

(1) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनका अनन्तिम (provisional) नियुक्ति आदेश जारी किया जाए।

(2) नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया जाए ''कि उसकी नियुक्ति अंनतिम है, अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाए समाप्त कर दी जायेगी।'' तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी।

(3) जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रुप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाए।

(4) नियुक्ति आदेश में लेख किया जाए कि संबंधित कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

4. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही हेतु छानबीन समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kumari Madhuri Patil and another Vs. Addiitional Commissioner, Tribal Development and others, AIR 1995 Supreme Court 94 (पुनः Director of Tribunal Welfare, Government of Andhra Pradesh Vs. Laveti Giri and another, AIR 1995 Supreme Court 1506) के प्रकरणों में जारी निर्देशों के अनुपालन में किया गया है और उन निर्देशों में यह स्पष्ट रुप से आदेशित है कि जाति प्रमाण-पत्र की जांच की कार्यवाही यथासंभव शीघ्र, दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही के आधार पर दो माह से अनधिक की अवधि में सम्पन्न की जाएगी। यदि कार्यवाहियों को अंतिमता (Finality) प्रदान करने में विलम्ब कारित हो रहा हो तो, नियुक्ति अनन्तिम रुप से प्रदान की जाएगी जो छानबीन समिति द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के अध्यधीन होगी।

6. अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 रायपुर, दिनांक 31 मार्च, 2012

भाग-2

अध्याय-2

क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र संबंधित प्रमुख निर्देश

शासन द्वारा निर्धारित क्रीमीलेयर विषयक अनुसूची

क्र. प्रवर्ग का वर्णन		अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
01. (अ) संवैधानिक पद		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :-
	(क)	भारत के राष्ट्रपति
	(ख)	भारत के उप राष्ट्रपति
	(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
	(घ)	संघ लोग सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
	(डी)	समान स्वरुप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति
		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री :-
सेवा के प्रवर्ग	(क)	जिनके माता-पिता, दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं
(अ) अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा अन्य द्वारा राज्य सेवाओं के समूह-अ/ प्रथम श्रेणी अधिकारी (सीधी भर्ती नियुक्त)	(ख)	जिनके माता-पिता, में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है
	(ग)	जिनके माता-पिता, में से दोनो ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है,
	(घ)	जिनके माता-पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है। और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो
	(डी)	जिनके माता-पिता दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते है और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	(क)	ऐसे माता-पिता के पुत्र तथा पुत्रियां जिनमें से कोई एक या दोनों प्रथम श्रेणी अधिकारी है, और जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाते हैं।
	(ख)	अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह प्रथम श्रेणी अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।

(आ) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह-ख/ द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त)		**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :-**
	(क)	जिनके माता-पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं,
	(ख)	जिनके माता-पिता में से केवल पति द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व प्रथम श्रेणी अधिकारी बनता है।
	(ग)	जिनके माता-पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	(घ)	जिनके माता-पिता में से पति प्रथम श्रेणी का अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए तथा
	(ङ)	जिनके माता-पिता में से पत्नी प्रथम श्रेणी की अधिकारी हो (सीधी भरती से निर्युक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) एवं पति द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए।
		परंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा
		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :-
	(क)	जिनके माता-पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।
	(ख)	जिनके माता-पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
(इ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारी		इस प्रवर्ग में उपर्युक्त अ तथा आ में बताया गया मापदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों संगठनो, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी नियोजन के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्धसैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)		उन माता-पिता के पुत्र पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल तथा इससे ऊपर की पद श्रेणी पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष, पदों पर कार्यरत है-
	(1)	यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल की पद श्रेणी तक पहुंच जाए।
	(2)	पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे की सेवा पद श्रेणी को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
	(3)	सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियोजन में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह मद संख्या 2 के तहत सेवा के प्रवर्ग मे न आ जाए ऐसे मामलें में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्तें उस स्वतंत्र रुप से लागू होगी।
		प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
4. व्यावसायिक वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुये कर्मचारी (1) चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार दंत चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुविद (आर्किटेक्ट), कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटयकार, खिलाड़ी, खेल से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति, जनसंचार व्यवसायी, पेशेवर खिलाड़ी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति (2) व्यापार, कारोबार, तथा उद्योग में लगे व्यक्ति		**प्रवर्ग 6 के सामने मानदण्ड लागू होगा।** **स्पष्टीकरण**
	(1)	चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी में अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो, आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जावेगा।
	(2)	यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति द्वितीय श्रेणी अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

5. सम्पत्ति स्वामी (क) कृषि खाते	(1)	**एक ही परिवार (माता-पिता तथा अवयस्क बच्चे) के उन व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्री जो निम्नलिखित के स्वामी है :-**
	(क)	केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या
	(ख)	निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां कि पूर्व निर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे सामान्य अभियान के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो) सिंचित भूमि के लिये कानूनी अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। (इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को अपवर्जित करके की जाएगी)। यदि 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जायेगा। यह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान संपरिवर्तन फार्मूले के आधार पर सिंचित श्रेणी में संपरिवर्तित करके किया जाएगा। असिंचित भूमि में इस प्रकार संगठित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर सिंचित भूमि के रुप में कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिये तय की गयी कानूनी अधिकतम सीमा का 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी।
	(2)	यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख) बागान (एक) काफी, चाय, रबर आदि		नीचे प्रवर्ग 6 में निर्दिष्ट आय/ सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा। इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिये इस प्रवर्ग पर उपरोक्त ''क'' का मानदण्ड लागू होगा।
(दो) आम, खट्टे फल, सेब के बाग आदि		नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
(ग) शहरी क्षेत्रों में यह उप-नगरीय क्षेत्रों में रिक्त भूमि और/ या भवन		**स्पष्टीकरण** भवन का उपयोग आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6. आय/ सम्पत्ति आँकलन संशोधन दिनांक 6 जुलाई 2000 (परिशिष्ट-30 पर संलग्न)		**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियां :-**
	(क) *	ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों से चार लाख पचास हजार रुपये या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले लगातार तीन वर्षो से इतनी सम्पत्ति है जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।
	(ख)	प्रवर्ग 1,2,3 तथा 5-क में वे व्यक्ति जो कि आरक्षण के फायदे के हकदार है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/ सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर आते हों। **स्पष्टीकरण**
	(1)	वेतन या कृषि भूमि से हुई आय को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
	(2)	रुपये के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, रुपये के रुप में आय के मानदण्ड में प्रति वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा तथा परिस्थितियों की मांग के अनुरुप अंतरावधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची में जहां कहीं भी ''स्थायी अक्षमता'' अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरुप किसी अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सकें।

* छ.ग.शा.सा.प्र.वि. मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. एफ-9-3/2001/1-3 दिनांक 24.06.2009 द्वारा संशोधित

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9-3/2001/1-3 रायपुर दिनांक, 24-06-2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उम्मीद्वारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र 'क्रीमीलेयर' के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में संशोधन।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7-26/93/आ.प्र./एक, दिनांक 30.07.1999 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.07.2000

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) दर्जे के निर्धारण हेतु पूर्व निर्धारित आय सीमा में वृद्धि करते हुए आय सीमा रूपये 2 लाख नियत की गई थी ।

2/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 36033/3/2004- स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्गों (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया है।

3/ अत: राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख प्रतिवर्ष के बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए। तदनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ. 7-16/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 06.07.2000 में अनुसूची के अनुक्रमांक 6 आय/ सम्पत्ति आंकलन भाग (क) में अब निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

पूर्व निर्धारित मापदण्ड			संशोधित मापदण्ड		
क्र	प्रवर्ग का	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा	क्र.	प्रवर्ग	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6	आय सम्पति आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ	6	आय सम्पति आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ
		(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों से रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले तीन वर्षों से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।			(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी, लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है, अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा की अधिक की सम्पत्ति रखते है (ख) श्रेणी I,II,III और V- क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/ सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लगाएगी, के पुत्र और पुत्रियों। **स्पष्टीकरण** - वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9-3/2001/1-3 रायपुर दिनांक, 2 जून 2011

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
21-सी, रविनगर, कलेक्टॉरेट के पीछे,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु वेतन/ संपत्ति का परीक्षण बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 20/स.अ.अ./2011-12, दिनांक 20.01.2011 एवं
स्मरण-पत्र क्रमांक 153/ स.अ.अ./ 2010-11, दिनांक 31.05.2011

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो।

2/ अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर निर्धारण के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2001/1-3, दिनांक 02.06.2011 द्वारा संशोधित परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर- 492001

क्रमांक एफ 9-3/2001/1-3 रायपुर दिनांक, 2 जून 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तसीगढ़ राज्य मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की गणना के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.06.2009

अन्य पिछड़े (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004- स्था (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 में आय/सम्पत्ति के निर्धारण के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि **वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।**

2/ उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ही इस राज्य में भी सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने हेतु आय सीमा रूपये 2.00 लाख वार्षिक से बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख वार्षिक किया गया है, लेकिन उसमें आय/ सम्पत्ति के आँकलन के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि **वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्य आय को संयुक्त रुप से नहीं जोड़ा जाएगा।**

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस राज्य द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में आय/ सम्पत्ति के आँकलन के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यलय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण में भिन्न होने के कारण, सम्पन्न वर्ग के निर्धारण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों एवं पालकों के बीच क्रीमीलेयर के संबंध में भ्रांति व्याप्त हैं, जिसके कारण राज्य में कई पात्र व्यक्ति शासन द्वारा दिए जा रहे लाभ एवं अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

3/ चूंकि राज्य शासन के संदर्भित परिपत्र में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न है, अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के संदर्भित परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेखित **''संयुक्त रुप से''** शब्दों को विलोपित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन)

भाग-तीन

जाति प्रमाण -पत्रों के सत्यापन हेतु शासन के नवीन निर्देश

01. जाति प्रमाण- पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन
02. जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण- पत्र सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र
03. जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन
04. पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।

भाग-3

अध्याय-1

जाति प्रमाण- पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन

क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र. 1-3, रायपुर, दिनांक 01.09.2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय : जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना।

---o---

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र संख्या/ 36836 / 8/ 98- स्थापना (आरक्षण) दिनांक 16 मार्च, 1999,
ज्ञापन संख्या 230/08/2005- AVD-II दिनांक 02 मई, 2005, परिपत्र संख्या 36022/1/2007/Estt. (Res) दिनांक 20 मार्च, 2007 तथा परिपत्र संख्या 41034/3/2012 Estt. (Res) दिनांक 11 अप्रैल, 2012 द्वारा, गलत/फर्जी जाति प्रमाण-पत्र को प्रतिषेधित करने तथा आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक लाभ एवं सुविधाए पात्र व्यक्ति को ही मिले, यह सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के अधीन 'जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति' गठित करने के निर्देश हैं।

2 / माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2012 में जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के संबंध में भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशानुसार जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति का गठन करने तथा जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा केवल फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में प्राप्त/ विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

3 / अतएव राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के उपरोक्त निर्देशों एवं जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला कलेक्टरों के सीधे नियंत्रण में निम्नानुसार जिला स्तरीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति गठित की जाए :-

(1)	कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिला मुख्यालय में पदस्थ एक-एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी	-	सदस्य
(3)	जातियों के संबंध में जानकारी रखने वाला एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी (इस पद पर सेवा निवृत्त अधिकारी को भी नामांकित किया जा सकता है)	-	सदस्य
(4)	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	-	सदस्य सचिव

4 / उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा अपने-अपने जिले में उक्त समिति का गठन दिनांक 30.09.2012 तक अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 13-4/ 2006/ 1-3 दिनांक 26 सितम्बर, 2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 में जहाँ-जहाँ 'जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति' उल्लेखित हो, वहाँ-वहाँ विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उसके स्थान पर 'जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति' पढ़ा जाए।

6/ जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के गठन उपरांत दिनांक 30.09.2012 के उपरांत जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समितियों (मुख्यालय रायपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर) के द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा दिनांक 31.10.2012 के पूर्व उनके कार्यालयों में विचाराधीन समस्त निर्विवादित जाति प्रमाण-पत्रों का ही सत्यापन विहित रीति से किया जाकर संबंधित अभ्यर्थी को प्रेषित किया जाएगा। शेष समस्त जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में, जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समितियों के द्वारा अभ्यर्थीवार विवरण उपाध्यक्ष, जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से प्रशासकीय विभाग, को प्रस्तुत किया जावेगा तथा आगामी 6 माह के अंतर लंबित समस्त जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में स्पष्ट आदेश (Speaking Order) जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7/ उपर्युक्त समितियों के गठन के फलस्वरुप 'जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समितियों' का कर्तव्य तथा अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-1/96/आ.प्र./ एक दिनांक 8 सितम्बर, 1997 के साथ संलग्न परिशिष्ट-एक में विहित किए गए अनुसार एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे संदेहास्पद जाति प्रमाण-पत्रों की जॉच करना होगा। जो विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के माध्यम से उनके समक्ष पूर्व से पंजीकृत एवं विचाराधीन हैं, तथा भविष्य में जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समितियों अथवा राज्य शासन अथवा माननीय न्यायालयों के द्वारा उन्हें जॉच हेतु अग्रेषित/निर्दिष्ट किया जावेगा।

8/ जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति के द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्य निम्नलिखित दो रीतियों से संपादित किया जावेगा :-

(1) दिनांक 30.09.2012 के उपरांत सक्षम अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व) द्वारा उनके समक्ष जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों का राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार समुचित रूप से परीक्षण कर, संतुष्टि उपरांत जाति प्रमाण-पत्र जारी कर, संबंधि अभ्यर्थी के द्वारा विहित प्रपत्र-1 (संलग्न) अनुसार आवेदन किए जाने पर मूल जाति प्रमाण-पत्र, प्रकरण की आदेश पत्रिका तथा अन्य संबद्ध समस्त अभिलेखों सहित जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति को अग्रेषित कर दिया जावेगा तथा जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा समस्त निर्विवादित जाति प्रमाण-पत्रों को 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011' के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के अध्यधीन जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रपत्र-2 (संलग्न) अनुसार जारी करने हेतु उसके कॉलम-4 में उल्लेखित विहित अवधि में अर्थात 30 कार्य दिवस में सत्यापित कर सक्षम अधिकारी को वापस प्रेषित किया जावेगा तथा सक्षम अधिकारी के कार्यालय द्वारा समिति द्वारा सत्यापित मूल जाति प्रमाण-पत्र संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध/ प्रदान किया जाएगा। यही प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं सत्यापित करने संबंधी अभियान के संबंध में भी रहेगी।

यदि आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र-1 में आवेदन नहीं किया गया है तो समक्ष अधिकारी के कार्यालय से ही उसे जाति प्रमाण-पत्र, बिना सत्यापन के प्रदान कर दिया जावेगा। वह पृथक से जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के सक्षम जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु आवेदन कर सकेगा।

(2) शासकीय सेवाओं में नियुक्ति, व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, निर्वाचन तथा अन्य संवैधानिक सुविधाओं एवं लाभों के संबंध में संबंधित नियोक्ता, व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था प्रमुख अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.09.2012 के पूर्व जारी जाति प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2007 तथा 31 मार्च, 2012 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समिति को प्रेषित किया जावेगा।

9 / उपर्युक्त दोनों ही रीतियों से समिति के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी/ व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा वांछित सभी आवश्यक दस्तावेज/ रिकार्ड एवं जानकारियों जिला स्तरीय सत्यापन समिति को उपलब्ध कराये।

10/ 30 कार्य दिवस की गणना यथानुसार आवेदक / सक्षम अधिकारी / नियोक्ता/ शैक्षणिक संस्था प्रमुख/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रेषित मूल जाति प्रमाण-पत्र, एवं संबद्ध समस्त वांछनीय अभिलेख आदि समिति कार्यालय में प्राप्ति दिनांक से की जावेगी।

11/ सत्यापन समितियों द्वारा विहित समयावधि में सत्यापन का कार्य संपादित करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह विनिर्दिष्ट दिवस पर समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें समिति द्वारा प्रकोष्ठ के अधीनस्थ अमले द्वारा प्रस्तुत समस्त जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी कार्यो की आवेदनवार समीक्षा की जावेगी। कदाचित बैठक हेतु विनिर्दिष्ट दिवस को अवकाश होने पर समिति की बैठक आगामी कार्य दिवस को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

12/ जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र/ प्रकरण जो संदिग्ध हैं अथवा जिनमें सघन जॉच की अवश्यकता प्रतीत हो रही हो, जिला स्तरीय समिति द्वारा कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को अग्रेषित किया जावेगा तथा उसकी सूचना संबंधित आवेदक/ समक्ष अधिकारी/ नियोक्ता/ शैक्षणिक संस्था प्रमुख/ प्राधिकृत अधिकारी को दी जावेगी। ऐसे प्रकरण निर्विवादित नहीं माने जावेगें तथा इन प्रकरणों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 द्वारा विहित अवधि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

13/ जिला कलेक्टरों द्वारा अपने-अपने जिले में उक्त समिति का गठन के साथ-साथ जिला स्तर पर उपलब्ध अमले में से ही अस्थाई व्यवस्था के तहत एक जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जावेगा जिसमें 01 द्वितीय श्रेणी अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक कर्मचारी, 02 सहायक वर्ग- दो, 02 सहायक वर्ग-तीन तथा 02 भृत्य अस्थाई रूप से संलग्न किए जावेंगे, जिनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति, पंजीयन, प्रस्तुतिकरण तथा सत्यापन उपरांत प्रेषण का कार्य संपादित किया जावेगा। यह प्रकोष्ठ जाति प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित समस्त संबंधित अभिलेखों के समुचित संधारण हेतु भी दायित्वधीन होगा।

14/ उपर्युक्त प्रकोष्ठों में होने वाला व्यय, आवश्यक फर्नीचर, स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालयीन सामग्रियों तथा समिति के विशेषज्ञ सदस्य (यदि वह सेवा निवृत्त कर्मी है) के मानदेय की व्यवस्था मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष 2225 योजना क्रमांक 3728 के तहत प्रावधानित राशि से किया जावेगा। विशेषज्ञ सदस्य के मानदेय राशि के निर्धारण बाबत पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

15/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के उल्लेखित अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों के सदस्यों तथा सत्यापन प्रकोष्ठ के अधिकारी/ कर्मचारियों को इस रीति एवं अवधि के भीतर प्रशिक्षित किया जावेगा कि 'जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति' द्वारा सत्यापन आवेदन पत्र लिया जाना बंद करने के तत्काल उपरांत, 'जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति' द्वारा सुचारू रूप से जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया जावे। इस संबंध में सत्यापन समितियों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, कर्तव्यों तथा अधिकारों के संबंध में विनियम पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

16 / उपर्युक्त निर्देशों का निर्धारित समयावधि में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(के. आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भाग-3

अध्याय-2

जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण- पत्र सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति

विषय : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता.......................... पिता/पति.............. पद.................... विभाग............. श्री/ श्रीमती/कुमारी............... (आवेदक का नाम) पिता/पति................. का जाति प्रमाण पत्र (मूल/छायाप्रति) सत्यापन हेतु संलग्न प्रस्तुत कर रहा हूँ. श्री/श्रीमती/कुमारी................ (आवेदक का नाम) के जाति के दावे की पुष्टि में निम्नांकित दस्तावेज को संलग्न कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक का नाम एवं उपनाम : ....
2. आवेदक के पिता का नाम एवं उपनाम : ....
3. आवेदक के पिता के पिता (दादा) का नाम एवं उपनाम : ....
4. आवेदक के पिता के पिता का मूल निवास स्थान
   मोहल्ला/ वार्ड क्रमांक ....
   ग्राम/कस्बा/शहर ....
   विकासखण्ड ....
   तहसील ....
   जिला..
   राज्य ....
5. आवेदक की माता का नाम एवं उपनाम : ....
6. आवेदक की माता के पिता (नाना) का नाम एवं उपनाम : ....
7. आवेदक यदि महिला है तो उसके पति का नाम एव उपनाम : ....
8. आवेदक का वर्तमान निवास स्थान
   मोहल्ला/वार्ड क्रमांक....................
   ग्राम/कस्बा/शहर.........................
   विकासखण्ड ....
   तहसील ....
   जिला..
   राज्य ....

9. आवेदक के दादा का मूल निवास स्थान — मोहल्ला/वार्ड क्रमांक.....................
ग्राम/कस्बा/शहर ....
विकासखण्ड ....
तहसील ....
जिला.....................................
राज्य ....

10. आवेदक के पिता, उक्त मूल निवास स्थान पर कब से निवासरत थे/ हैं : ....

11. आवेदक की जन्म तिथि : ....

12. यदि आवेदक की जन्म तिथि 10-8-1950 (अनुसूचितजनजाति के संदर्भ में)/ 6-9-1950 (अनुसूचित जाति के संदर्भ में)/26-12-1984 (अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में) को या उससे पूर्व की है, इन तारीखों पर आवेदक का मूल निवासी स्थान — मोहल्ला/वार्ड क्रमांक.....................
ग्राम/कस्बा/शहर ....
विकासखण्ड ....
तहसील ....
जिला.....................................
राज्य ....

13. यदि आवेदक की जन्म तिथि 10-8-1950 (अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में)/6-9-1950 (अनुसूचित जाति के संदर्भ में)/26-12-1984 (अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में) को या उससे बाद की है, तो इन तारीखों पर आवेदक के पिता/ पूर्वज का मूल निवास स्थान — मोहल्ला/वार्ड क्रमांक.....................
ग्राम/कस्बा/शहर ....
विकासखण्ड ....
तहसील ....
जिला.....................................
राज्य ....

14. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र (छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व) में कब से निवासरत है/ था : ....

15. आवेदक के पिता छत्तीसगढ़ राज्य अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र (छत्तीसगढ़ राज्य गठन के के पूर्व) में कब से निवासरत हैं/थे : ....

16. आवेदक की शैक्षणिक जानकारी :

स.क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्च.माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				
2.	संस्था का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकासखण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

17. आवेदक के पिता की शैक्षणिक जानकारी :

स.क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्च.माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				
2.	संस्था का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकासखण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

18. आवेदक की माता की शैक्षणिक जानकारी :

स.क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्च.माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				
2.	संस्था का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकासखण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

19. आवेदक के पिता के पिता (दादा) की शैक्षणिक जानकारी :

स.क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्च.माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				
2.	संस्था का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकासखण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

20. यदि आवेदक के पिता के नाम पर कोई स्थाई संपत्ति/ कृषि भूमि / भवन या अन्य है. तो पूर्ण विवरण (रकबा/ह.न./रा.ह.न./तहसील/जिला) : ....

21. यदि आवेदक के पिता के पिता (दादा) नाम पर कोई स्थाई संपत्ति/ कृषि भूमि / भवन/दुकान/ या अन्य है. तो पूर्ण विवरण (रकबा/ह.न./रा.ह.न./तहसील/जिला) : ....

22. यदि आवेदक की माता के पिता (नाना) नाम पर कोई स्थाई संपत्ति/ कृषि भूमि / भवन/दुकान या अन्य है. तो पूर्ण विवरण (रकबा/ह.न./रा.ह.न./तहसील/जिला) : ....
23. आवेदक/ आवेदकों के पिता की जाति : ....
24. आवेदक/ आवेदकों के पिता की उपजाति : ....
25. आवेदक/ आवेदकों के पिता का गोत्र : ....
26. आवेदक/ आवेदकों के पिता का गोत्र चिन्ह/वंश (टोटम) : ....
27. आवेदक यदि महिला है, तो उसके पति का नाम : ....
28. आवेदक के पति की जाति : ....
29. आवेदक के पति की उपजाति : ....
30. आवेदक के पति का गोत्र : ....
31. आवेदक के पति का गोत्र चिन्ह/वंश (टोटम) : ....
32. आवेदक की माता के पिता (नाना) की जाति : ....
33. आवेदक की माता के पिता (नाना) की उपजाति : ....
34. आवेदक की माता के पिता (नाना) का गोत्र : ....
35. आवेदक की माता के पिता (नाना) का गोत्र चिन्ह/टोटम : ....
36. आवेदक की जाति का परंपरागत व्यवसाय : ....
37. आवेदक के पिता का व्यवसाय : ....
38. आवेदक के पिता के पिता/ (दादा) का व्यवसाय : ....
39. आवेदक की माता के पिता (नाना) का व्यवसाय : ....
40. आवेदक का व्यवसाय : ....
41. आवेदक की पति/पत्नी का व्यवसाय : ....
42. आवेदक की मातृभाषा : ....
43. यदि आवेदक की जाति की अलग बोली है, तो बोली का नाम : ....
44. यदि आवेदक की जाति के कुल देवी/ कुल देवता है, तो नाम : ....
45. आवेदक की जाति के प्रमुख देवी-देवता का नाम : ....
46. आवेदक की जाति के लोक नृत्यों का नाम : ....
47. आवेदक की जाति के लोक गीतों का नाम : ....
48. आवेदक की जाति के प्रमुख त्योहारों का नाम : ....
49. आवेदक की जाति में पिता की बहन के लड़के/ लड़की के साथ क्या वैवाहिक संबंध है। : ....
50. आवेदक की जाति में माता के भाई (मामा) के लड़के/ लड़की के साथ वैवाहि संबंध होता है अथवा नहीं : ....
51. आवेदक की जाति में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है अथवा नहीं : ....
52. आवेदक की जाति में दहेज प्रथा प्रचलित है अथवा नहीं : ....
53. आवेदक की जाति/ गोत्र के साथ जिन जातियों/ गोत्र का वैवाहिक संबंध होता है, उनके नाम : ....

54. आवेदक की जाति से जिन जातियों का रोटी (खाना-पान) संबंध है, उन जातियों का नाम : ....
55. आवेदक की जाति की समकक्ष जातियों का नाम : ....
56. आवेदक के धर्म का नाम : ....
57. आवेदक के पिता के धर्म का नाम : ....

(चार) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की मुख्य प्रतिलिपिकार से अभिप्रमाणित प्रति, जिसमें पूर्वजों की जाति अंकित हो।

(घ) पूर्वजों से प्रारंभ कर आवेदक तक, ग्राम अधिकारी (पटवारी) से प्राप्त आवेदक की वंशावली।

(ङ) संबंधित अधिसूचना दिनांक (10.08.1950, 06.09.1950 एवं 26.12.1984 से पूर्व का आवेदक के पिता/पूर्वजों का मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक के पूर्वज छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे।

(च) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक की दशा, में आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र।

(छ) यथेष्ट डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा लिफाफा।

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ, कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान :

दिनांक :

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

भाग-3

अध्याय-3

जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

-:: आदेश ::-

नया रायपुर, 30 मार्च 2013

क्रमांक एफ -13-3 / 2007 / 1-3 : विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कु. माधुरी पाटिल विरूद्ध एडीशनल कमिश्नर, ट्राईबल डेव्हलपमेंट के प्रकरण (AIR 1995 SC 94) में तथा डायरेक्टर, ट्राईबल वेलफेयर विरूद्ध लावेती गिरी के प्रकरण (AIR 1995 SC 1506) में पारित निर्णयों के परिपालन में जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है।

अत: राज्य शासन, एतद् द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में माननीय न्यायालय/ राज्य शासन/ जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समितियों के द्वारा अग्रेषित शिकायतों की जाँच, विहित रीति से करने हेतु, निम्नानुसार जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन करता है :-

1.	प्रमुख सचिव/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	-	अध्यक्ष
2.	आयुक्त / संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर	-	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त/ संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभागछत्तीसगढ़ रायपुर	-	सदस्य सचिव
4.	आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक/अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी में से आयुक्त/ संचालक आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा मनोनीत कोई 02 अधिकारी,	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

भाग-3

अध्याय-4

पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

मैं, छत्तीसगढ़ का वास्तविक रुप से स्थायी मूल निवासी हूँ। हमारी जाति/ वर्ग जिसे............................ नाम से जाना जाता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से एक पिछड़ी हुई जाति/ वर्ग है।

कृपया इसे पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित जाति/ वर्ग के संबंध में निर्धारित प्रपत्रानुसार जानकारी प्रेषित है :-

1. **सामान्य जानकारी :-**
   (1) मुख्य जाति / वर्ग का नाम ....
   (2) उपजातियाँ (यदि हो)..
   (3) सरनेम या उपनाम जिन्हें नाम के साथ लिखा जाता हो ....
   (4) वंश या गौत्र (जो प्रचलन मे हो) ....
2. **सामाजिक स्तर :-**
   (1) उन जातियों/ वर्गों के नाम जिन्हें आप समान स्तर की मानते हैं तथा उनसे समान व्यवहार करते हैं (जैसे- खान-पान, रीति-रिवाज, पारिवारिक उत्सव) ....
   (2) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां आप कच्चा भोजन स्वीकार करते हैं या समाज द्वारा मान्य है ....
   (3) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां आप केवल पक्का भोजन स्वीकार करते हैं या समाज द्वारा मान्य है ....
   ....
   (4) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके हाथ से आप केवल पेय जल स्वीकार करते हैं ....
   (5) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां कच्चा, पक्का हर तरह का भोजन स्वीकार करते हैं ....
3. **व्यवसाय या पेशा :-**
   (1) क्या आपकी जाति या वर्ग वंश परम्परागत रुप से किसी व्यवसाय से संबंधित रहा है ? यदि हां तो व्यवसाय का उल्लेख करें ....
   (2) आपके विचार से आपकी जाति या वर्ग का किसी विशेष व्यवसाय से संबंध रहने के पीछे क्या कारण हैं- ....

(3) क्या आप अभी भी उसी परम्परागत व्यवसाय में संलग्न है ? यदि नहीं, तो वर्तमान व्यवसाय का उल्लेख करें.........
....
(4) आपके विचार से अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग देने के पीछे क्या कारण है ? ....
....
(5) अपने परम्परागत व्यवसाय के कारण क्या आपको कभी हीनता का अनुभव हुआ है ? अथवा क्या उक्त व्यवसाय के कारण कभी समाज द्वारा आपको लांछन लगाया गया है ....
(6) यदि आपको अपनी पसन्द का व्यवसाय या रोजगार चुनने को कहां जाए तो आप किसे चुनना चाहेंगे - प्राथमिकता के क्रम से तीन नाम दें
(1) ....
(2) ....
(3) ....
(7) यदि आपको अपने पुत्र का विवाह करना हो तो किन-किन जाति समूहों से आप कन्या लेना स्वीकार करेंगे (सभी का उल्लेख करें)
....
(8) यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना हो तो किन-किन जाति समूहों के लड़के स्वीकार करेंगे ?
....
(9) आपकी जाति के वैवाहिक या नातेदारी संबंध क्या स्थानीय समुदाय तक सीमित हैं या अन्य क्षेत्रों में फैले हुए है...... यदि अन्य क्षेत्रों में संबंध फैले हुए है तो उन क्षेत्रों का उल्लेख करे...
(10) विवाह के समय लड़का या लड़की की औसत आयु क्या होती है ?
लड़का .... वर्ष ....
लड़की .... वर्ष ....
(11) आपके जाति समाज और वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतू पहल किस पक्ष द्वारा की जाती है ?
(अ) वर पक्ष
(ब) कन्या पक्ष
(स) या दोनों पक्षों द्वारा
(12) विवाह अथवा अन्य सामाजिक संस्कारों के अवसर पर पुरोहित का कार्य कौन करता है ? ब्राह्मण या अपनी ही जाति के व्यक्ति ?
....

4. **जाति या वर्ग संगठन :-**

(1) क्या आपकी जाति का पृथक जाति संगठन है ? यदि हो तो निम्न जानकारी दें -
(अ) संगठन का नाम ....
(ब) मुख्य स्थापना तथा शाखाओं के स्थान ....
(स) स्थापना या गठन का वर्ष ....
(द) पदाधिकारियों के नाम एवं पते ....
(इ) जाति नियम ....
(2) जाति की उत्पत्ति के इतिहास एवं इसके संबंध में प्रचलित धारणाओं, लोक कथाओं का उल्लेख करें ......
....

(3) यदि कोई ऐसी विशिष्टता है जो केवल आपकी जाति में ही पाई जाती हो या आपकी जाति की पहचान बन गई हो (उल्लेख करें)

(4) क्या अपनी जन्म जाति के कारण आपको या आपके समाज के किसी व्यक्ति की किसी अन्य जाति द्वारा कभी उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण दें ....

(5) क्या आपने इस आवेदन-पत्र के पूर्व कभी पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो उसका विवरण दें तथा अपने स्तर से किए गए प्रयास का उल्लेख करें ....

(6) पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु किए गए प्रयास से क्या परिणाम निकले ? यदि आपको इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा विवरण दें ....

5. **शैक्षणिक स्तर :-**

(1) कृपया अपनी जाति / वर्ग के सदस्यों के शैक्षणिक स्तर की निम्नानुसार जानकारी दें -

	पुरुष	महिला
(अ) हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की अनुमानित संख्या	....	....
(ब) स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की संख्या	....	....

(2) जाति / वर्ग के सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने में क्या कभी कोई बाधा आई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?
....

(3) जाति या वर्ग के उन सदस्यों की संख्या जो स्नातक होते हुए भी अभी तक रोजगार के अवसर के वंचित है।
....

(4) क्या आप समझते हैं कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में आपकी जाति या वर्ग शैक्षणिक रुप से पिछड़ी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?
....

6. **शासकीय सेवा में नियोजन :-**

(1) निम्न सेवाओं में जाति / वर्ग के सदस्यों की अनुमानित संख्या ....
(अ) आई.ए.एस. /आई.पी.एस. एवं समकक्ष पद ....
(ब) डिप्टी कलेक्टर तथा अन्य समान पद ....
(स) डॉक्टर, इंजीनियर एवं समान श्रेणी के अन्य पद ....
(द) तहसीलदार तथा राजपत्रित श्रेणी के अन्य पद ....

(2) शासकीय सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं, क्या उन्हें कभी अपनी जाति या वर्ग के कारण उपेक्षित होना पड़ा है? यदि हां, तो घटना का विवरण दें ....

(3) क्या आपके विचार से आपकी जाति या वर्ग का शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व संतोषजनक है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? ....

(4) शासकीय सेवाओं में आपकी जाति या वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने के लिए क्या सुझाव है ?
....
....
....
....

7. **जनप्रतिनिधित्व :-**

(1) कृपया अपनी जाति या वर्ग के उन व्यक्तियों की संख्या बताएं जो कि निम्न पदों पर निर्वाचित या चयनित होकर आये हों-

(अ) मंत्रिमंडल के सदस्य

(ब) लोकसभा / राज्यसभा सदस्य

(स) विधानसभा सदस्य

(द) पार्षद

(इ) जिला/जनपद अध्यक्ष

(2) क्या आपके विचार से उपरोक्त पदों पर आपकी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इनकी यथेष्ठ संख्या क्या होनी चाहिए ?

(3) उपरोक्त प्रतिनिधित्व के क्या कारण है? अपने विचार दीजिये ....

8. **विशेष टीप :-**

(यदि उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त किसी अन्य बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहें तो यहां लिखे)

....

....

स्थान : .... नाम ....

दिनांक : .... पत्र व्यवहार का पता.............................

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ।

साक्ष्य :

(1) नाम... हस्ताक्षर ....

पता ....

(2) नाम... हस्ताक्षर ....

पता ....

अनुशंसा :-

(यदि आवश्यक समझें तो जाति के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अनुशंसा का उल्लेख करें)

....

....

....

....

हस्ताक्षर

नाम..

पद एवं नाम ....

भाग-चार

छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची एवं राज्य शासन की अनुसूची

01. भारत शासन के केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय
02. राज्य शासन की अनुसूची में सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय (नाम/परम्परागत व्यवसाय/ कैफियत)

भाग-4

अध्याय-1

भारत शासन की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय

भारत का राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 प्राधिकार से प्रकाशित क्रं. 232/नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010 एवं भारत का राजपत्र सं. 257 दिसम्बर 8, 2011, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सकल्प द्वारा समावेशन एवं संशोधन सहित

नई प्रविष्टि संख्या	जाति/ उप -जाति / पर्याय के नाम
1.	अहीर
	ब्रजवासी, गवली, ग्वाली, गोली, लिगांयत गाओली
	गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा
	जादव, यादव, राउत, थेथवार, गोप/गोपाल
2.	असारा
3.	भड़भूजा, **भुंजवा***
	भुर्जी, धुरी या धूरी
4.	बैरागी
5.	बंजारा
	कारिरीवाला बंजारा
	लामन बंजारा
	बमानिया बंजारा
	लमान /लम्बानी, बंजारी
	मथुरा, मथुरा लभान
	मथुरा बंजारी, नवी बंजारा
	जोगी बंजारा, नायक, नायकड़ा
	लम्बाना/लम्बारा
	लम्भानी, लभाना
	लबान, लबाना, लामने
	धूरिया

* भारत का राजपत्र सं 257/ दिसम्बर-08, 2011 द्वारा समावेशन एवं संशोधन

6.	बरई
	वारई
	वारी (चौरसिया)
	तमोली
	तम्बोली
	कुमावट्ट, कुमावत
7.	बढ़ई, सुतार, सुथार, कुन्देर, विश्वकर्मा
8.	भारूड़
9.	भाट
	चारण (चरहम)
	सावली, सुतिया
	राव
	जसोंधी
	मरू-सोनिया
10.	भटियारा
11.	भुरतिया
	भुतिया
12.	चिप्पा, छीपा
	भावसार
	नीलगर
	जीनगर
	निराली
	रामगढ़ी
	रंगारी
	रंगरेज
	रंगारेज
	रंग्रेज
	रंग्रेध
	छिप्पा-सिन्धी-खत्री
13.	चितारी
14.	चुनकर
	चुनगर/चूनगर
	कुलबंधिया
	राजगीर
15.	दांगी

16.	दर्जी
	चीपी/छिपी/चिपी
	शिपी
	मावी (नामदेव)
17.	देशवाली
	मेवाती
18.	धिमर/ धीमेर
	भोई
	कहार
	कहरा
	धीवर
	मल्लाह
	नावदा, नावड़ा
	तुरहा
	केवट (रेकवार, रायकवार)
	कीर
	ब्रितिया /व्रितिया
	सोंधिया
19.	धोबी (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इनको अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है)
20.	धोली
	डफाली/डुफाली
	गुरव/गुराव
21.	गडरिया, **धनगर***
	कुरमार
	हटगर
	हटकर
	हाटकार
	गाड़री, गडारिया
	गारी
	गायरी, **धारिया, धोसी (गडरिया), गडरिया (पाल बाघले)***
22.	गारपगारी
	जोगीनाथ, नाथजोगी
23.	घोषी
24.	गूजर/ गुर्जर

* भारत का राजपत्र सं 257/ दिसम्बर-08, 2011 द्वारा समावेशन एवं संशोधन

25.	गुसाई/गोसाई/गोसाइन
	गोसेब
	गोस्वामी/ गोवसामी
26.	**इस्लामी समूह**
	1. रंगरेज
	2. भिश्ती, भिस्ती- अब्बासी
	3. चिप्पा/छीपा
	4. हेला
	5. भटियारा
	6. धोबी
	7. मेवाती, मेव
	8. पिंजारा, नद्दाफ
	फकीर/ फकिर
	बेहना
	धुनिया
	धुनकर, **मंसूरी***
	9. कुंजरा, राईन
	10. मनिहार
	11. कसाई, कसाब, कस्साब
	कसब, कस्सब, कस्साब-कुरैशी
	12. मिरासी
	13. बढ़ई (कारपेंटर)
	14. हज्जाम (बारबर)
	नाई (बारबर)
	सलमानी
	15. जुलाहा-मोमिन
	जुलाहा-अंसारी
	मोमिन अंसारी
	16. लुहार
	नागौरी लुहार, **सैफी, मुलतानी लोहार***
	17. तड़वी
	18. बंजारा, मुकेरी, मकरानी
	19. मोची
	20. तेली
	नायता, पिंडारी (पिंडारा)

* भारत का राजपत्र सं 257/ दिसम्बर-08, 2011 द्वारा समावेशन एवं संशोधन

	21. कलईगर
	22. पेमदी
	23. नालबंद
	24. मिर्धा (जाट मुस्लिम को छोड़कर)
	25. **नियारगर, नियारगर-मुलतानी नियारिया***
	26. **गद्दी***
27.	काछी
	(कुशवाहा/ कोशवाहा मौर्य)
	कोयरी/ कोइरी (कुशवाहा), शाक्या, मुराई
	पनारा/पनाहारा, सोनकर
28.	कड़ेरे / कड़ोरे
	धुनकर
	धुनिया, **धनका***
29.	कलार, कलाल, **डुडसेना***
30.	कलौता/कोलटा/कोलता
31.	कमरिया
32.	कसाबी/ किसबी
33.	खारोल
34.	खातिया
	खाती, **खाथिया***
35.	किरार
	किराड़
	धाकर/धाकड़
36.	कोष्टा/ कोसटा
	कोस्ती/ कोश्ती
	देवांगन
	देवांग
	सालवीदेवांग
	माला
	पदमहाली
	पदमशाली
	साली
	सुतसाली
	सलवार/ सलेवार

* भारत का राजपत्र सं 257/ दिसम्बर-08, 2011 द्वारा समावेशन एवं संशोधन

	जेंदरा/जन्द्रा
	कोस्काटी
	गढ़वाल
	गढ़ेवाल
	गरेवार
37.	कोटवार/कुटवार
	कोतवाल
38.	कुम्हार (प्रजापति)
	कुम्भार
39.	कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल, गाभैल, **कुर्मवंशी, चंद्रकार, चंद्रनाहू, कुम्भी, गावेल (गामेल), सिर्वी***
40.	लखेरा/लखेर, कचेरा / कचेर
41.	लोधी
	लोधा
	लोध
42.	लोहार
	लुहार
	लोहपीटा
	गड़ोले
	गड़ेला
	लोहपटा, लोहपेटा
	विश्वकर्मा, **हुंगा लोहार, गरोला, लोहार (विश्वकर्मा)***
43.	लोनिया/लुनिया/लोनिआ/लुनिआ
	ओध, ओधे, ओधिया, ओड़े,
	ओड़िया, नानिया, मुरहा
	मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया
44.	माली (सैनी), मरार
45.	मानकर
46.	मेरू, मेर
47.	नाई (सेन, सविता, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही /नावी
48.	नायटा, नायडा
49.	पनिका, **पंका***
50.	पटका
	पटकी
	पटवा

* भारत का राजपत्र सं 257/ दिसम्बर-08, 2011 द्वारा समावेशन एवं संशोधन

51.	पिंजारा (हिन्दू), **पिंजारा (हिन्दु केसरिया/कोसरिया)***
52.	पवार
	भोयर/भोयार, **पंवर***
53.	राघवी/राघावी
54.	राजवार
55.	रौतिया, रोतिया
56.	सैईस, सहीस
	साईस
57.	अनुसूचित जातियाँ जिन्होने ईसाई धर्म अपना लिया है।
58.	सिकलीगर
59.	सोढ़ी
	सुदी
	सुण्डी, **सोंधी***
60.	सुनार, स्वर्णकार
	झारी, झाड़ी
	अवधिया
	औधिया, **झानी, सोनी (स्वर्णकार)***
61.	तरहा
	तिरवाली
	वड्डार
62.	तेली (राठौर, साहू)
63.	ठठेरा, ठटेरा
	कसार
	कसेरा
	तमेरा
	तम्बटकर/ताम्रकार
	तमेर
64.	वसुदेव
	बासुदेवा
	बसुदेव
	वासुदेवा
	हरबोला
	कापड़िया
	कापड़ी
	गोंधली
65.	**अघरिया***
66.	**मोवार***
67.	**नट (अनुसूचित जाति सूची में शामिल से भिन्न)***

* भारत का राजपत्र सं 257/ दिसम्बर-08, 2011 द्वारा समावेशन एवं संशोधन

Following caste/community of Chhattisgarh in the Central list of OBCs

New Entry No.	Name of Caste/sub castes/synonyms, etc.
1.	Ahir
	Brajwasi, Gawli, Gawali, Goli, Lingayat-Gaoli, Gowari
	(Gwari), Gowra, Gawari, Gwara,
	jadav, Yadav, Raut, Thethwar, Gop/ Gopal.
2.	Asara
3.	Badhbhuja, **Bhunjwa***
	Bhurji, Dhuri or Dhoori
4.	Bairagi
5.	Banjara
	Kachiriwala Banjara
	Laman Banjara
	Bamania Banjara
	Laman/ Lambani, Banjari
	Mathura, Mathura Labhan
	Mathura Banjari, Navi Banjara,
	Jogi Banjara, Nayak, Naykada
	Lambana/ Lambara
	Lambhani, Labhana
	Laban, Labana, Lamne,
	Dhuriya
6.	Barai
	Waarai
	Wari (Chaurasia)
	Tamoli
	Tamboli
	Kumavatt, Kumavat
7.	Barhai, Sutar, Suthar, Kunder, Vishwakarma
8.	Bharood

* Inclusion and correction by Gazette of India No. 257 Date Dec. 08, 2011

9.	Bhat
	Charan (Charahm)
	Sawli, Sutiya
	Rav
	Jasondhi
	Maru- Sonia
10.	Bhatiyara
11.	Bhurtiya
	Bhutiya
12.	Chippa, Chhipa
	Bhavsar
	Nilgar
	Jingar
	Nirali
	Ramgari
	Rangari
	Rangrez
	Rangarej
	Rangraz
	Rangredh
	Chippa-Sindhi-Khatri
13.	Chitari
14.	Chunkar
	Chungar/ Choongar
	Kulbandhiya
	Rajgir
15.	Dangi
16.	Dargi
	Cheepi/Chhipi/Chipi
	Shipi
	Mavi (Namdev)

* Inclusion and correction by Gazette of India No. 257 Date Dec. 08, 2011

17.	Deshwali
	Mewati
18.	Dhimar/ Dhimer
	Bhoi,
	Kahar,
	Kahra
	Dhiwar
	Mallah
	Nawda, Navda
	Turaha
	Kewat (Rackwar, Raikwar)
	Kir
	Britiya/ Vritiya
	Sondhiya
19.	Dhobi (excluding the area where they are listed as Scheduled Castes)
20.	Dholi
	Dafaali/Dufali
	Gurav/ Guraw
21.	Gadariya, **Dhangar***
	Kurmar
	Hatgar
	Hatkar
	Haatkaar
	Gaadri, Gadaria
	Gari,
	Gayari, **Dhariya, Dhosi (Gadariya) Gadariya (Pal Baghele)***
22.	Garpagari
	Joginath, Nathjogi
23.	Ghoshi
24.	Goojar/ Gurjar
25.	Gusai/ Gosai/Gosain

* Inclusion and correction by Gazette of India No. 257 Date Dec. 08, 2011

	Gosaib
	Goswami/Gowsami
26.	Islamic Groups:
	1. Rangrej
	2. Bhishti, Bhishti-Abbasi
	3. Chippa/ Chhipa
	4. Hela
	5. Bhatiyara
	6. Dhobi
	7. Mewati, Meo
	8. Pinjara, Naddaf, Fakir/ Faquir, Behna, Dhunia, Dhunkar, **Mansoori***
	9. Kunjara, Raine
	10.Manihar
	11.Kasai, Kasab, Kassab, Quasab, Qassab, Qassab-Qureshi
	12.Mirasi
	13. Barhai (Carpenter)
	14. Hajjam (Barber) Nai (Barber), Salmani
	15. Julaha- Momin, Julaha-Ansari, Momin-Ansari
	16. Luhar, Nagauri Luhar, **Saifi, Multani Luhar***
	17. Tadavi
	18. Banjara, Mukeri, Makrani
	19. Mochi
	20. Teli Nayata, Pindari (Pindara)
	21. Kalaigar
	22. Pemdi
	23. Nalband
	24. Mirdha (Excluding Jat Muslims)
	25. **Niyargar, Niyargar-Multani Niyaria***
	26. **Gaddi***

* Inclusion and correction by Gazette of India No. 257 Date Dec. 08, 2011

27.	Kachhi (Kushwaha/Koshwaha Maurya)
	Koyari/Koiri(Kushwaha), Shakya, Murai,
	Panara/Panahara, Sonkar
28.	Kadere/ Kadore
	Dhunkar,
	Dhuniya, **Dhanka***
29.	Kalar, Kalal, **Dudsena***
30.	Kalota/Kolta/Koltta
31.	Karmariya
32.	Kasabi/Kisbi
33.	Kharol
34.	Khatiya
	Khati, **Khathiya***
35.	Kirar
	Kirad
	Dhakar/Dhakad
36.	Koshta/ Kosta,
	Kosti/Koshti
	Devangan
	Dewang
	Salwidewang
	Mala,
	Padamhali
	Pademsali
	Sali
	Sutsali
	Salwar/Salewar
	Jendra/ Jandra
	Koskati
	Garhwal
	Garhewal
	Garewar

* Inclusion and correction by Gazette of India No. 257 Date Dec. 08, 2011

37.	Kotwar/ Kutwar
	Kotwal
38.	Kumhar (Prajapati)
	Kumbhar
39.	Kurmar/Kurami/Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel/Gabhel, **Kurmavanshi, Chandrakar, Chandranahu, Kumbhi, Gavel (Gamel), Sirvi***
40.	Lakhera/Lakher, Kachera/Kacher
41.	Lodhi
	Lodha
	Lodh
42.	Lohar
	Luhar
	Lohpita
	Gadoley,
	Gadela
	Lohpata, Lohpeta
	Vishwakarma, **Hunga Lohar, Garola, Lohar (Vishwakarma)***
43.	Loniya/Luniya/Lonia/Lunia
	Odh, Odhe, Odhiya, Ode, Odiya, Naaniya, Muraha,
	Muraaha, Mudaha, Mudaaha, Nunia, Nonia
44.	Mali (Saini), Marar
45.	Mankar
46.	Meru, Mer
47.	Nai (Sein, Savita, Shrivas), Mhali, Navhi/Navi
48.	Nayata, Nayada
49.	Panika, **Panka***
50.	Patka, Patki, Patwa
51.	Pinjara (Hindu), **Pinjara (Hindu Kesaria/Kosaria)***
52.	Powar
	Bhoyar/ Bhoyaar, **Panwar***
53.	Raghwi/ Raghavi

54.	Rajwar
55.	Rautiya, Rotiya
56.	Saiees, Sahees
	Sayees
57.	Scheduled Castes who have embraced Christianity
58.	Sikligar
59.	Sodhi, Sudi, Sundi, **Sondhi***
60.	Sunar, Swarnakar,
	Jhhari, Jhhadi
	Awedhiya
	Audhiya, **Jhhani, Soni (Swarnakar)***
61.	Tarha, Tirwali, Waddar
62.	Teli (Rathore, Sahu)
63.	Thathara, Thatera
	Kasar
	Kasera
	Tamera
	Tambatkar/ Tamrakar
	Tamer
64.	Vasudev
	Basudeva,
	Basudev
	Vasudeva
	Harvola
	Kapdia
	Kapdi
	Gondhli
65.	**Agharia***
66.	**Mowar***
67.	**Nat (Other than those include in the SC List)***

भारत का राजपत्र

THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-1-खण्ड-1

PART- Saction 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2011/ अग्रहायण 17, 1933

No. 257 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2011/AGRAHAYANA 17, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर 2011

का. सं. 12015 / 13 / 2012 बी.सी. – **II** जबकि मंडल आयोग के रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को **अनुबंध I** में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था।

और जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रुप में संदर्भित का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जाँच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसे उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की गई है।

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था अनुबंध **II** में यथा निर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था।

और जबकि, एनसीबीसी ने सोलह राज्यों नामशः आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमांचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामशः अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है।

4457/41/2011

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है, तथा उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, परिशिष्ट में यथा निर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त सूची में समावेशन एवं संशोधनों को एतद् द्वारा अधिसूचित करती है। ये समावेशन और संशोधन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परिशिष्ट

निम्नलिखित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना

1.	आन्ध्रप्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	छत्तीसगढ़
5.	गोवा
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	झारखंड
8.	कर्नाटक
9.	केरल
10.	मध्यप्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	उड़ीसा
13.	सिक्किम
14.	तमिलनाडु
15.	उत्तराखंड
16.	पश्चिम बंगाल
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
18.	चंडीगढ़
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
20.	पुडुचेरी

4457/41/11–1 बी.

असम

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
18 शून्य	18 कोच- राजबोंशी

0 एनसीबीसी की सलाह पर **03.04.1997 से कोच-राजबोशी** जाति/ समुदाय के पुनः स्थापन के बाद (उस अवधि को छोड़कर ज़ब कोच-राजबोशी जाति/ समुदाय के अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के बारे में अध्यादेश लागू था) से प्रविष्टि

छत्तीसगढ़

विद्यामान प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
3.	भडभुजा, भुजी, धुरी या धूरी	3.	भड़भूजा, **भुंजवा**, भूर्जी, धुरी या धूरी
21.	गडरिया	21.	गडरिया, **धनगर**
	कुरमार		कुरमार
	हटगर		हटगर
	हटकर		हटकर
	हाटकार		हाटकार
	गाड़री, गडारिया		गाडरी, गडारिया
	गारी		गारी
	गायरी		गायरी, **धारिया, घोसी (गडरिया), गडरिया (पाल बाघले)**
26.	(8)पिंजारा, नद्दाफ, फकीर/ फकिर, बेहना, धुनिया, धुनकर	26.	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर/फकिर, बेहना, धुनिया, धुनकर, **मंसूरी**
26.	(16) लुहार, नागौरी लुहार	26.	(16) लुहार, नागौरी लुहार, **सैफी, मुल्तानी लुहार**
विद्यामान प्रविष्टि		**संशोधित प्रविष्टि**	
26.	(25) शून्य	26.	(25) **नियारगर, नियारगर- मुल्तानी, नियारिया**
26.	(26) शून्य	26	(26) **गद्दी**
विद्यामान प्रविष्टि		**संशोधित प्रविष्टि**	
28	कडेरे/कडोरे, धुनकर, धुनिया	28	कडेरे/कडोरे, धुनकर, धुनिया, **धनका**
29.	कलार, कलाल	29.	कलार, कलाल, **डुडसेना**
34.	खातिया, खाती	34.	खातिया, खाती, **खाथिया**
39.	कुरमार/ कुरामी/कुर्मी, कुनबी कुर्मी, पाटीदार, कुलामी, कुलमी, कुलम्बी, गवैल/गाभैल	39.	कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी कुर्मी, पाटीदार, कुलामी, कुलमी, कुलम्बी, गवैल/गाभैल, **कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चंद्रनाहू, कुम्मी, गावेल (गामेल), सिर्वी**

42.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ौले, गड़ेला, लोहपटा, लोहपेटा, विश्वकर्मा	42.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ौले, गड़ेला, लोहपटा, लोहपेटा, विश्वकर्मा, **हुंगा लोहार, गरोला, लोहार (विश्वकर्मा)**
49.	पनिका	49	पनिका, **पंका**
51.	पिंजारा (हिन्दू)	51.	पिंजारा (हिन्दू), **पिंजारा (हिन्दू केसरिया/कोसरिया)**
52.	पवार, भोयर/भोयार	52.	पवार, भोयर/भोयार, **पंवर**
59.	सोढ़ी, सुदी, सुण्डी	59.	सोढ़ी, सुदी, सुण्डी, **सोंधी**
60.	सुनार, स्वर्णकार, झारी, झाड़ी, अवधिया,औधिया	60.	सुनार, स्वर्णकार, झारी, झाड़ी, अवधिया, औधिया, **झानी, सोनी (स्वर्णकार)**
विद्यमान प्रविष्टि		**नई प्रविष्टि**	
65.	शून्य	65.	**अघरिया**
66.	शून्य	66.	**मोवार**
67.	शून्य	67.	**नट** (अनुसूचित जाति सूची में शामिल से भिन्न)

भाग-4

अध्याय-2

राज्य शासन की अनुसूची में सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/ समुदाय (नाम/परम्परागत व्यवसाय/ कैफियत)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा म.प्र. में सम्मिलित पिछड़ा वर्ग की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 1997 को प्रकाशित को छत्तीसगढ़ गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठन पूर्व सम्मिलित जातियों की सूची का अनुकूलन किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31/03/2013 तक किए गए संशोधनों का समावेश करके

पिछड़े वर्ग की जाति /उपजाति /वर्ग यथा संशोधित सूची निम्नानुसार है -

सूची

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी (ग्वारी), रावत गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, ***यादव, राऊत, ग्वाला**	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन दुग्ध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना	''यादव'', अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियाँ अपने को यादव कहती है व लिखती है. यादव राजपूत इसमें शामिल नही है. ब्राह्मण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नही हैं.
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	-
3.	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नही किये गये है .
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने.	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति.	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राम्हण शामिल नही है .
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, (चौरसिया).	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया हैं.
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	-
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार .	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति.	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया हैं.

* अनुसूची क्र. 01 में यादव, राऊत, ग्वाला जाति छ.ग. शासन आ.ज.आ.वि.वि.रायपुर के आदेश क्र. एफ/10-4/2012/25-2/दिनांक 28.04.2012 द्वारा स्थापित

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नही हैं.
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता-पाठ व विरुदावली का गायन करना.	-
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.	कपड़ों में छपाई व रंगाई .	-
12.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट, **कें वट***,(कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम),कीर (भोपाल,रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिया.	मछली पकड़ना,पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां है. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं. जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है.
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार .	कृषि एवं कृषि मजदूरी .	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नही हैं.
14.	भुर्तिया, भुतिया, **भोरथिया, भोरतिया***	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय.	-
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति है. सूची में शामिल किया गया है.	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हण
16.	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिय खाद्य पदार्थ तैयार करना है .	-
17.	चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर	चूना,गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना .	-
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	-
19.	दर्जी, छीपी,छिपी, शिपी,मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	-
20.	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिलें में अनुसूचित जाति में शामिल है.
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राम्हण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है.

* अनुसूची क्र. 12 में केंवट जाति छ.ग. शासन आ.ज.आ.वि.वि.रायपुर के आदेश क्र. एफ/19-33/2012/25-2/दिनांक 07.09.2012 द्वारा स्थापित

* अनुसूची क्र. 14 में भोरथिया, भोरतिया जाति छ.ग. शासन आ.ज.आ.वि.वि.रायपुर के आदेश क्र. एफ/19-33/2012/25-2/दिनांक 07.09.2012 द्वारा स्थापित

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
23.	गड़रिया, धनगर, कुरमार हटगर, हटकर, हाटकार,गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले), गड़ेरी	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियाँ अपने को पाल व बघेले भी कहते है. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रुप में शामिल किया गये है. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24.	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रुई धुनकरने का कार्य करना कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं.	
25.	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल,गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी .	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26.	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है.
27.	गुसाई, गोस्वामी, गोसाई	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राहम्ण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं है.
29.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा) .	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राहम्ण वर्ग सम्मिलित नहीं है.
30.	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं . जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं. लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण है, वे शामिल नहीं है.
31.	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं.
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी,(स्वर्णकार) अवधिया औधिया सोनी (स्वर्णकार).	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना .	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33.	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मराई, सोनकर, कोईर.	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी.	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(ब) माली (सैनी), मरार, पटैल (हरदिहा मरार)	शाक- सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	कुशवाहा राजपूत इसमें शामिल नहीं है. गाँव की मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया-धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं हैं .
34.	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं. जोशी ब्राम्हण इसमें शामिल नहीं हैं.
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना	-
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर.	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना .	-
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	-
38.	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर).	मिट्टी के बर्तन बनाना .	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना,रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार(कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू , कुंभी, गवैल (गमैल) सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू	कृषक, कृषि मजदूरी	-
40.	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	-
41.	कौरव, कांवरे	कृषक	-
42.	कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	-
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	-
44.	लोनिया, लुनिया,ओड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा,मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा. नुनिया, नोनिया	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना.	-
45.	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे .	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप मे सम्मिलित की गई हैं.
46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	-
47.	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	''पनिका'' छतरपुर,पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिले में जनजाति में शामिल हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	-
50.	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना .	-
51.	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को ''साहू'' व ''राठौर'' कहते हैं . राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52.	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	-
53.	किसडी, कसडी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	-
54.	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति ''कोरकू'' की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है .
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं.	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना.	मानकर की उपजाति ''निहाल'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57.	कोटवार, कोटवाल, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	''कोटवाल'' जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58.	खैरुवा	कत्था बनाना	''खैरुवा'' खैरवार की उपजाति है. ''खैरवार'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
59.	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन-यापन करना.	-
60.	मोवार, मौवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61.	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	-
62.	अघरिया	कृषक, कृषि, मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
63.	तिऊर , तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	-
64.	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगल काल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65.	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	-
66.	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी हैं. विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती है.
67.	राघवी	कृषि कार्य करना	-
68.	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	-
69.	खारोल	कृषि मजदूर	-
70.	सरगरा	ढोल बजाना	-
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	-
72.	रज्जड़ रजझड़	कृषि मजदूरी	-
73.	जादम	कृषि मजदूरी	-
74.	दांगी	कृषक	''दांगी'' राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.
75.	गयार/ परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले .	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76.	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते है.
77.	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद है.
78.	बया महरा/कौशल, वया, **बया***	बुनकर	अधिकांशत: दुर्ग जिलें में निवास करते है.
79.	पिंजारा (हिन्दू)	-	-
80.	विलोपित	-	-
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82.	आंजना	-	-
83.	धोरिया	-	-

* अनुसूची क्र. 78 में बया जाति छ.ग. शासन आ.ज.आ.वि.वि.रायपुर के आदेश क्र. एफ/19-33/2012/25-2/दिनांक 07.09.2012 द्वारा स्थापित

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
84.	गेहलोत मेवाड़ा	-	-
85.	रेवारी	-	-
86.	रूआला/रूहेला	-	-
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ो की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ो में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहत्तर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य.
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.	रुई धुनाई का कार्य	हिन्दुओं के कड़ेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग-सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग-सब्जी का कार्य.
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसात खाने का सामान बेचना .	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा.
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं में लुहार/ लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	-
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/ समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दूओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
	(22) तेली, नायता, पिंड़ारी (पिंड़ारा) कांकर .	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
	(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-
	(24) कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	-
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम .	-
	(26) शीशगर	-	-
88.	-		
89.	शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी	मदिरा बनाना एवं बेचना	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पायी जाती है।
90.	भूलिया-भोलिया	सूती कपड़ा बुनना	यह जाति मुख्यतः रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है।
91.	पोबिया	खेती मजदूरी करती है।	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास
*92.	**खर्रा, खडरा, खोडरा**	बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना	------
*93.	**रौनियार**	कृषि, पशुपालन, बैल/घोड़े पर सामान लादकर घूम-घूमकर बेचना एवं मजदूरी	इस समूह में वैश्य शामिल नहीं है

* अनुसूची क्र. 92 में खर्रा, खडरा, खोडरा जाति को छ.ग. शासन आ.ज.आ.वि.वि.रायपुर के आदेश क्र. एफ/19-33/2012/25-2/दिनांक 07.09.2012 द्वारा स्थापित

* अनुसूची क्र. 93 में रौनियार जाति को छ.ग. शासन आ.ज.आ.वि.वि.रायपुर के आदेश क्र. एफ/19-33/2012/25-2/दिनांक 07.09.2012 द्वारा स्थापित

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक- 28.04.2012

क्रमांक/एफ 10-4/2012/25-2 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 01 पर अंकित जातियों अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत के बाद ''यादव, राऊत एवं ग्वाला'' जातियों को सम्मिलित करता है, विवरण एवं कैफियत निम्नानुसार है :-

स.क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	यादव	पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय करने वाली जाति	इसमें यादव राजपूत शामिल नहीं है
2.	राऊत	पशुपालन, दुग्ध विक्रय एवं गाय, बैल भैंस आदि पशु चराना	इसमें ब्राम्हण राऊत एवं राजपूत राऊत शामिल नहीं है
3.	ग्वाला	-	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक- 07.09.2012

क्रमांक/एफ 19-33/25-2/2012 आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 12 पर अंकित जातियों ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/ मल्लाह, नावड़ा/ तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी, (जालारनलु बस्तर जिले में) सोंधिया के साथ केवट के आगे केंवट शब्द स्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक- 07.09.2012

क्रमांक/एफ 19-33/25-2/2012 आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 14 पर अंकित जातियों भुर्तिया एवं भुतिया के आगे भोरथिया, भोरतिया शब्द स्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक- 07 सितम्बर 2012

क्रमांक/एफ 19-33/25-2/2012 आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 78 पर अंकित जातियों बाया महरा/ कौशल, वया के आगे बया शब्द स्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक- 07 सितम्बर 2012

क्रमांक/एफ 19-33/25-2/2012 आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमांक 93 स्थापित करते हुए उक्त अनुक्रमांक के तहत रौनियार जाति को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :

अनु. क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
93.	रौनियार	कृषि, पशुपालन, बैल/ घोड़े पर समान लादकर घूम-घूम कर बेचना एवं मजदूरी	इस समूह में वैश्य शामिल नहीं है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक- 07 सितम्बर 2012

क्रमांक/एफ 19-33/25-2/2012 आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमांक 92 स्थापित करते हुए उक्त अनुक्रमांक के तहत खर्रा, खडरा, खोडरा जातियों को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :

अनु. क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
92.	खर्रा, खडरा, खोडरा	बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव

भाग-पाँच

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यवाहियों का विवरण एवं अनुशंसा

01. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक / जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का सारगर्भित विवरण
02. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त प्रमुख प्रकरणों पर आयोग की कार्यवाही एवं अनुशंसा
03. आयोग को प्राप्त प्रकरणों के सांख्यिकी आँकड़े एवं रेखाचित्र
04. आयोग को प्राप्त प्रशस्ति पत्र

भाग-5

अध्याय-1

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक / जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का सारगर्भित कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम / विनियम में निहित प्रावधानों के तहत कृत्यों का पालन करते हुए बैठक आयोजित करता है। वर्ष 2012-13 में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में साहू, सौण्डिक, सौंड़िक, कुन्वी, कुनवी, चुड़ीहार, सद्लोहार, थनापति, थुरिया, मलहा (मल्लाह), भुलिया, पवार, बिंझिया, सारथी, मरेवा, लाँजा, झोरा, पिंजारा हिन्दु, गुर्जर (भोरतिया) आदि जातियों को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने प्राप्त आवेदन पर आयोग के मान. सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी एवं सर्वसम्मति से चुड़ीहार, थनापति, झोरा जाति को छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जाति को शामिल करने संबंधी अनुशंसा शासन को प्रेषित की गयी। बिंझिया, सद्लोहार, सारथी, मरेवा, लांजा एवं पिंजारा हिन्दु जाति के प्रकरणों पर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त जातियां मान. विधायक देवजी भाई पटेल के तारांकित प्रश्न क्रं. 2307 "अनु. जनजाति की सूची में शामिल होने प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जानकारी" के संबंध में मान. मंत्री, आदिम जाति विकास विभाग के उत्तर के साथ संलग्न सूची में अंकित होने के कारण प्रकरण अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित की गयी।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनांक 20 जून 2012 को आयोग की बैठक में मान. सदस्य ममता साहू द्वारा जिला स्तरीय पदों की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिलों जैसे रायपुर, दुर्ग, महासमुन्द, धमतरी में आरक्षण को 50 प्रतिशत करते हुए अ.पि.व. के आरक्षण को बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया जिस पर अनुशंसा की गयी। दिनांक 03 सितम्बर 2012 की बैठक में अ.पि.व. के विभिन्न समाजों का जुड़ाव कार्यक्रम में प्राप्त अनेक सुझाव पर चर्चा की गयी एवं सेवा से जुड़ी जातियों यथा छत्तीसगढ़ राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 12 में ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर / मल्लाह / नावडा / तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में), सोंधिया तथा क्रमांक 20 में धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ, जाति क्रमांक 29 में लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा), क्रमांक 38 में कुम्हार (प्रजापति), कुंभार जाति एवं क्रमांक 45 में नाई, (सेन, सविता / उसरेटे / श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे आदि समस्त जाति / उपजाति को अति पिछड़ा वर्ग घोषित किये जाने प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। दिनांक 20 नवम्बर, 2012 की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के समाजों के जुड़ाव सम्मेलन मे प्राप्त सुझाव के साथ उपरोक्त जातियों को अति पिछड़ा वर्ग घोषित करने अनुशंसा शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 27 फरवरी, 2013 को आयोग की बैठक में छ.ग. के अधिकांश क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर निजी शिक्षण संस्थाओं में शासन के प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति एवं प्रवेश में आरक्षण का लाभ न दिये जाने संबंधी समस्या पर चर्चा उपरांत यह विनिश्चय किया गया कि इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जावें। बैठक में तकनीकी पाठ्यक्रमों, केन्द्र एवं राज्य सरकार की सेवाओं के लिए विभिन्न प्रारूपों में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने के कारण उत्पन्न समस्या समाधान हेतु चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया की शासन को एक पत्र लेख कर केन्द्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में ही राज्य

सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्धारित करने शासन को लेख कियाा जावें। दिनांक 30 मार्च, 2013 की बैठक मे शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रचार–प्रसार एवं निरीक्षण संबंधी गतिविधियों के साथ ही साथ आयोग के उद्देश्यों एवं कार्यो का प्रचार–प्रसार जनसधारण के मध्य पत्र–पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया के माध्यम से किये जाने अभिनव प्रयास प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति हुई। बैठक में प्रांतीय स्तर पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गो का एक सम्मेलन आयोजित किये के प्रस्ताव पर भी चर्चा उपरांत शासन को स्वीकृति हेतु पत्र लेख किये जाने निर्देश दिये गये।

आयोग की बैठक में सौण्डिक, सौंडिक, भुलिया, कुन्वी, कुनवी, जाति के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार दिया गया। इन जातियों के आवेदकों से 26.12.1984 के पूर्व के राजस्व अभिलेखों (जिसमें निवासी होने का साक्ष्य प्राप्त हो) प्रस्तुत करने उपरांत ही छ.ग. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने हेतु कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।

आयोग के बैठक दिनांक 03.09.2012 की बैठक में मान. सदस्य छत्तर सिंह नायक द्वारा "भुलिया" जाति को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सूची के अनुक्रमांक 90 पर स्थापित करने भूलिया–भोलिया जाति की मात्रात्मक त्रुटि मानते हुए शामिल किये जाने प्रस्ताव रखा गया। जिस पर चर्चा उपरांत "भुलिया" जाति के छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक सीमा में 26.12.1984 के पूर्व से निवासरत होने संबंधी राजस्व अभिलेखों के प्राप्त होने के पश्चात् छ.ग. राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची मे शामिल करने अनुसंधान उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने मान. अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये।

छ.ग. राज्य की सद्लोहार समाज द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत कर सद्लोहार जाति को छ. ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 06 पर शामिल करने हेतु आवेदन किया गया था। सद्लोहार समाज जिला जशपुर द्वारा मान. मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर सद्लोहार को अ.पि.व. अथवा आदिवासी वर्ग में शामिल करने संबंधी लेख किया गया। इस संबंध में आयोग द्वारा आवेदक को अभिलेख प्रस्तुत करने संबंधी लेख किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मान. अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए बिंझिया समाज सरगुजा, कोरिया एवं सूरजपुर द्वारा बिंझिया जाति को अत्यंत पिछड़ा हुआ एवं अनुसूचित जनजाति के समान जीवन–यापन करने वाले जाति के समकक्ष बताया गया है।

आयोग के समक्ष सारथी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पूर्व से विचाराधीन प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा परीक्षण किया गया। इस संबंध में मान. सदस्य श्री शिव चन्द्राकर द्वारा अध ययन/अनुसंधान एवं जनसुनवाई की गयी।

आयोग के समक्ष थुरिया जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के आवेदन पर आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए मान. सदस्य मुनेश्वर सिंह केशर द्वारा दिनांक 22.01.2012 को जशपुर जिले के कुनकुरी, लुडेंग एवं रायगढ़ जिले के घरघोडा तथा सरगुजा, जिले के बतोली उदयपुर क्षेत्र का भ्रमण कर थुरिया जाति को छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने हेतु अध्ययन/अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार थुरिया जाति की उत्पत्ति उड़ीसा राज्य के पुरी जिले से हुई अतः ये लोग सरगुजा एवं रायगढ़ जिले के उड़ीसा तटवर्तीय क्षेत्र के आस पास निवासरत है।

आयोग के समक्ष लाँजा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने आवेदन प्राप्त हुआ जिसे बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क्रं. एफ 10–3/25–3/2009 रायपुर दिनांक 16.10.2012 के पत्र के माध्यम से भरेवा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने के संबंध में परीक्षण संबंधी अभिमत चाहा गया था।

आयोग के समक्ष झोरा जाति का प्रकरण अविभाजित मध्यप्रदेश से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष 1996 से विचाराधीन रहा। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन उपरांत झोरा जाति के समाज प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पत्र प्रेषित किया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य श्री मुनेश्वर सिंह केसर द्वारा दिनांक 26.07.2012 से 28.07.2012 को झोरा जाति के व्यक्तियों का अध्ययन/अनुसंधान कर मान. सदस्य द्वारा झोरा जाति का प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत किया गया। सर्व उपस्थित सदस्यों द्वारा छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने की अनुशंसा की गयी।

छ.ग. राज्य हिन्दु पिंजारा समाज के अध्यक्ष द्वारा छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में पिंजारा हिन्दु, कोसरिया, केसरिया, केसरवानी जाति को शामिल करने हेतु आयोग में आवेदन किया गया था। आयोग के मान. सदस्य श्री शिव चन्द्राकर द्वारा उक्त जाति के संबंध में अध्ययन/अनुसंधान किया गया।

इस तरह उपरोक्त सद्लोहार, बिंझिया, सारथी, भरेवा, सारथी, थुरिया, लाँजा, पिंजारा हिन्दु जाति के संबंध में मान. विधायक देवजी भाई पटेल के तारांकित प्रश्न क्रं. 2307 "अनु. जनजाति की सूची में शामिल होने प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जानकारी" के संबंध में मान. मंत्री, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न सूची अनुसार क्रमशः सारथी को क्रं 31, लाँजा क्रं. 35, भरेवा क्रं. 36, को नृजातीय अध्ययन की कार्यवाही विचाराधीन होने तथा सद्लोहार क्रं. 50, थुरिया क्रं. 52, पिंजारा हिन्दु क्रं. 55 जाति के संबंध में जनजाति में शामिल करने संबंधी प्रकरण विचाराधीन होने तथा बिंझिया क्रं. 12 को जाति की टीप प्रस्ताव "भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।" उल्लेखित पत्र के आधार पर प्रकरण को अनुसूचित जनजाति आयोग में भेजने संबंधी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित की गयी।

गुर्जर जाति के अध्यक्ष द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत कर छ.ग. राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में गुजर (गुर्जर) के साथ भोरतिया को स्थापित करने निवेदन किया गया था। गुर्जर जाति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन के संबंध मे आयोग द्वारा गुर्जर जाति का क्षेत्रीय अध्ययन/अनुसंधान किया गया था एवं प्रकरण निराकृत किया जाना था। प्राप्त आवेदन पर आयोग के टीम द्वारा पुनः अध्ययन/अनुसंधान एवं जनसुनवाई की गयी। बैठक में गुर्जर जाति के आवेदन पर चर्चा उपरांत पूर्व से ही गुजर (गुर्जर) एवं भोरतिया जाति छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सुची में स्थापित होने के कारण से आवेदन को निराकृत मान्य कर नस्तीबद्ध किये जाने सर्वसम्मति से सहमति हुई।

आयोग द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु पहले चरण में 12 जिलों की समीक्षा पूर्ण की गयी एवं द्वितीय चरण मे सूरजपुर, जशपुर, कांकेर, जगदलपुर, गरियाबंद, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बालोद जिलों के कलेक्टर की उपस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गयी। राज्य के नवगठित जिलों में समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यो के सफल निष्पादन हेतु अग्रानुसार वन, राजस्व, पुलिस, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग जैसे विभागों को महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। बैठक के अंतिम चरण में नारायणपुर, कोण्डागाँव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बालौदाबाजार आदि जिले की भी समीक्षा की जानी है।

समीक्षा बैठक के दौरान प्राप्त समस्याओं व शिकायतों का मौके पर निराकरण करने सम्बधित निर्देश दिये गये एवं ऐसे सुझाव व शिकायत जो कि शासन स्तर से संबंधित हो उसे शासन को लेख करने आयोग में सचिव को निर्देशित किया गया।

भाग-5

अध्याय-2

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त प्रमुख प्रकरणों पर आयोग की कार्यवाही एवं अनुशंसा

नस्ती क्रं. 03 2008-09 जिला-बालौदाबाजार
विषयः- अवैध भूमि का हस्तांतरण किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः- रिखी राम वर्मा, ग्राम सूरजपुर, तह. भाटापारा, जिला बालौदाबाजार (छ.ग.)
अनावेदकः- सतीश राजपाल, ग्राम सुरजपुर, तह. भाटापारा जिला बालौदाबाजार (छ.ग.) एवं अन्य।

कार्यवाही :-

आवेदक श्री रिखी राम वर्मा द्वारा दिनांक 07.02.2008 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को अपनी भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरण करने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदन पत्र के पार्श्व में निर्देश टीप के अनुक्रम शिकायत को संज्ञान में लेकर अनावेदक एवं अन्य गवाहों को पत्र लिखकर लेकर आयोग में उपसंजात होने समन करते हुए उनके कथन अंकित किये गये। आवेदक/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से परीक्षण करते हुए विनिश्चयन किया गया।

अनुशंसाः-

राजस्व प्रकरण पर सुनवाई आयोग की अधिकारिता वर्जन संबंधित है। इस प्रकार मान. अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा प्रकरण पर राजस्व न्यायालय के निर्णय को उचित मानते हुए आयोग की अधिकारिता से वर्जित होने के आधार पर नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 34 2009-10 जिला- रायगढ़
विषयः- बी.एस.सी. (कशषि) की डिग्री प्रदाय न किये जाने की शिकायत की जॉच बाबत्।
आवेदकः- हेमचरण पटेल ग्राम खर्री (बडे) पोस्ट मुड़पार(छोटे), तह. सारंगढ, जिला रायगढ़ (छ.ग)
अनावेदकः- कुलसचिव, इंदिरा गांधी कशषि विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :-

आवेदक हेमचरण पटेल द्वारा आयोग को संबोधित कर शिकायत प्रस्तुत की गयी जिसमें कुल सचिव इंदिरा गांधी कशषि विश्वविद्यालय कें विरूद्ध बी.एस.सी. (कशषि) डिग्री प्रदाय न किये जाने संबंधी शिकायत की गयी थी। आयोग द्वारा शिकायत को संज्ञान में लेकर प्राचार्य कशषि महाविद्यालय, रायगढ़ एवं कुल सचिव इंदिरा गांधी कशषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं आवेदक के लिखित कथन एवं प्रस्तुत अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर सिफारिश की गयी।

अनुशंसाः-

मान. अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कशषि महाविद्यालय रायगढ़ एवं कशषि विश्वविद्यालय रायपुर को दोषी मानते हुए संबंधित दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा आवेदक हेमचरण पटेल को नियमानुसार कार्यवाही कर डिग्री प्रदाय कर आयोग को सूचित करने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 44 2008-09 जिला- रायपुर
विषयः- अ.पि.व. के लाभ से वंचित किये जाने शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः— श्री विकास परगनिहा, सुन्दर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
अनावेदकः— श्रीमती प्रीति बाला मिश्रा, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

आवेदक विकास परगनिहा द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती प्रीति बाला मिश्रा (जो वर्तमान में कानूनन पश्थक रहती है) के विरूद्ध अपनी पुत्री हवि परगनिहा के अभिलेखो में जाति कुर्मी के स्थान ब्राम्हण लिखकर अ.पि.व. के आरक्षण से वंचित किये जाने की शिकायत की गयी। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए आवेदक/अनावेदक के साक्ष्य हेतु बुलाया गया। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए तीन बार नोटिस तामिल कराने के उपरांत भी अनावेदिका अनुपस्थित रही। आवेदक के बयान एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः—

आयोग के मान. अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा सर्वसम्मति से यह विनिश्चयन किया गया कि हिन्दू धर्म के अनुसार पिश्तसत्तामक परिवार के संतान की जाति पिता की जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है अतः आवेदक की पुत्री की जाति पिता की ही जाति मान्य किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 20 2008—09 जिला— राजनांदगांव
विषयः— आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद से गलत ढंग हटाये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः— श्रीमती हिरमनी साहू, ग्रा. व पोस्ट तेदुनाला, तह. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
अनावेदकः— पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमति हिरमनी साहू द्वारा आंगनबांड़ी कार्यकर्ता पद से गलत ढंग से हटाने जाने एवं गांव से बहिष्कृत कर पौनी पसारी बंद किये के संबंध में शिकायत की गयी थी जिस पर कार्यवाही करते हुए गावं के पौनी पसारी समूह राऊत नाई आदि का एवं पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, डोंगरगावं, जिला राजनांदगावं के बयान लिए गये। बयान में इस बात की पुष्टि हुई कि हटाने की प्रक्रिया में त्रुटि की गयी है इसलिए आयोग उक्त हटाने की कार्यवाही को सहीं नहीं मानता। पद से हटाने के खिलाफ प्रकरण मान. कमिश्नर राजस्व संभाग, रायपुर के न्यायालय में लंबित है।

अनुशंसाः—

इस संबंध में आयोग के मान. सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं मान. श्री प्रहलाद रजक गांव में जाकर गांव वालों एवं आवेदिका के बीच सारे गिलेशिकवे दूर कराकर आपसी राजीनामा कराया गया। जिसके अनुसार हिरमनी बाई गांव में शामिल हो चुकी है। मान. कमिश्नर राजस्व, रायपुर के न्यायालय में जो आदेश होगा वह दोनों पक्षों को मान्य संबंधी समझौता होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 21 2011—12 जिला— बालोद
विषयः— पेंशन भुगतान न किये जाने कि शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः— श्रीमति राधाबाई सोनकर, ग्राम खर्रा, तह. डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)
अनावेदकः— पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

श्रीमति राधाबाई सोनकर, ग्राम खर्रा, तह. डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) के विरूद्ध पेंशन भुगतान रोके जाने की शिकायत के संबंध में वाद संस्थित किया गया। शिकायत के संबंध में पोस्ट मास्टर डौंडी लोहारा को आयोग में आहूत कर बयान लिया गया। श्रीमती राधाबाई के पेंशन की राशि संबंधी बिलंब सहायक भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की ओर से होना पाया गया। प्रकरण पर कार्यवाही उपरांत सहायक आयुक्त भविष्य निधी कार्यालय

रायपुर द्वारा आवेदिका श्रीमती राधाबाई सोनकर के पी.पी.ओ. नंबर पेंशन भुगतान खाता नंबर/भविष्य निधि खाता नंबर का लेख नही होने के कारण पेंशन रोके जाने की जानकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आवेदिका द्वारा स्टेट बैंक, डौंडीलोहारा में खाता खोला गया एवं उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी सहा. आयुक्त भविष्य निधी कार्यालय, रायपुर को प्रेषित की गयी।

अनुशंसाः–

आयोग की इस पहल से पेंशन मिलना प्रारंभ हो गया है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 13 2009–10 जिला– दुर्ग

विषयः– व्यवसायिक अनुदेशकों को स्थानांतरण एवं बर्खास्तगी की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्री लक्ष्मीनारायण सिन्हा, ज्ञानदीप, बाल श्रमिक शाला, मुरूम खदान, कोहका, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

अनावेदकः– 1. परियोजना निदेशक, बाल श्रम परियोजना,जिला– दुर्ग (छ.ग.)

2. श्री शेषनारायण शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी, बाल श्रम परियोजना, जिला– दुर्ग (छ.ग.)

कार्यवाही :–

श्री लक्ष्मीनारायण सिन्हा, ज्ञानदीप, बाल श्रमिक शाला, मुरूम खदान, कोहका, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गयी की उन्हे अकारण ही व्यवसायिक अनुदेशक के पद से बर्खास्त कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आयोग द्वारा शिकायत का परीक्षण किया गया एवं परियोजना निदेशक बाल श्रम परियोजना, दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी बाल श्रम परियोजना दुर्ग का बयान अनावेदक के रूप में लिया गया। अनावेदक द्वारा बयान में बताया गया की केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना के अंतर्गत योजना का संचालन कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग के माध्यम से किया जाता रहा है। कलेक्टर, दुर्ग द्वारा आवेदक का स्थानांतरण भिलाई से दुर्ग किये जाने से प्रताड़ित होकर आवेदक द्वारा आयोग में वाद संस्थित किया गया जिस पर आयोग द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आयोग के बैठक में शिकायत पर आवेदकों/अनावेदक के लिखित बयान के परीक्षण उपरांत परिशीलन के आधार पर अग्र अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः–

आयोग के बैठक में शिकायत पर आवेदकों/अनावेदक के लिखित बयान के परीक्षण उपरांत परिशीलन के आधार पर छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 की धारा 9 के उपबंध (22) के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत या वाद मानव अधिकार आयोग में प्रस्तुत किये जाने के कारण अप्रचलन योग्य पाया गया अतः आवेदक को उचित न्यायालय में जाने अनुशंसा की गई।

नस्ती क्रं. 20 2008–09 जिला– बालोद

विषयः– व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र डौंडीलोहारा (बटेरा) से प्रशिक्षण अधिकारी की मानदेय भुगतान करने एवं अकारण बर्खास्तगी की शिकायत बाबत्।

आवेदकः– श्री बृजभूषण लाल सोनी, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, डौण्डी लोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग)

अनावेदकः– प्राचार्य औघागिक प्रशिक्षण संस्था, डौण्डीलोहारा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

श्री बृजभूषण लाल सोनी, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, डौण्डी लोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग) द्वारा प्राचार्य औघागिक प्रशिक्षण संस्था, डौण्डीलोहारा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) के विरूद्ध 5 माह के मानदेय भुगतान न किये जाने संबंधी शिकायत आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा आवेदक/ अनावेदक दोनो पक्षकारों का लिखित कथन दर्ज कर प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया जिससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ

की सचिव द्वारा बृजभूषण लाल सोनी द्वारा आयोग में प्रस्तुत शिकायत का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि बृजभूषण लाल सोनी व्यवसायिक अनुदेशक के रूप में मानदेय आधार पर व्यवसायिक केन्द्र में नियुक्ति दी गयी थी। व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (भारत) सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के माध्यम से योजना अंतर्गत संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2002–03 हेतु आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा आबंटन एवं निरंतरता आदेश के अभाव में शिकायतकर्ता बृजभूषण लाल सोनी को प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र डौण्डीलोहारा द्वारा आबंटन की प्रत्याशा में 5 माह कार्य कराया गया एवं योजना अंतर्गत आबंटन व निरंतरता आदेश के अभाव में आवेदक को बर्खास्त किया गया है। आयोग द्वारा बैठक में चर्चा उपरांत कार्यवाही हुए अग्र अनुशंसा की गई।

अनुशंसाः–

शिकायतकर्ता श्री बृजभूषण लाल सोनी को व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र डौण्डीलोहारा में 5 माह के कार्य के एवज में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाना न्यायोचित मान्य किया गया तथा बृजभूषण लाल सोनी के 5 माह के बकाया वेतन भुगतान हेतु संबंधित संस्था को आबंटन जारी किये जान हेतु अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 47 2008–09 जिला– रायपुर
विषयः– सेवा में नियमित पदस्थापना, वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ न दिलाने की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः– परदेशी राम साहू, चौकीदार, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, माना, रायपुर (छ.ग.)
अनावेदकः– संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

परदेशी राम साहू, चौकीदार, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, माना, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोग में शिकायत पस्तुत की गयी जिस पर आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए उन्हें सेवा में नियुक्ति/वरिष्ठता/पदोन्नति का लाभ दिये जाने में अनियमितता की शिकायत संबंधी वाद संस्थित किया गया एवं आवेदक/अनावेदक को आयोग में आहूत कर बयान लिया गया। श्री परदेशी राम साहू, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माना, रायपुर में कार्यभारित आकस्मिकता निधि के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, जिसे संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा आवेदक को सहायक ग्रेड– 03 के पद पर पदोन्नत किये जाने के पश्चात् पदोन्नति निरस्त की गई एवं विभाग द्वारा सन् 1983 से कार्य किये जाने के उपरांत भी आवेदक को नियमित नहीं किये जाने संबंधी शिकायत पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। दोनों पक्ष के प्रस्तुत अभिलेखों एवं लिखित कथन के आधार पर परीक्षण पश्चात अग्रप्रकार अनुशंसा की गई।

अनुशंसाः–

आवेदक श्री परदेशी राम साहू को त्रुटिवश पदोन्नत किया गया था अतः उसके विरूद्ध हुई शिकायत के जॉच के आधार पर उसकी पदोन्नति को निरस्त किया गया एवं कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में नियमित पदों में समायोजित करने का प्रस्ताव संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया था जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने अमान्य किया शिकायत में आवेदक का हित संरक्षण न होने के आधार पर शिकायत निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किंये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 16 2008–09 जिला– राजनांदगांव
विषयः– प्रोफेसनल असिस्टेण्ट पद से पदोन्नत न किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः– श्री दिलीप नामदेव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव
अनावेदकः– कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यवाही :-

श्री दिलीप नामदेव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा प्रोफेसनल असिस्टेण्ट पद से पदोन्नत न किये जाने की शिकायत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी। आयोग द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 10 (ख) के तहत कार्यवाही करते हुए शिकायत को संज्ञान में लिया गया एवं आवेदक/अनावेदक दोनों पक्षकारों के लिखित ब्यान एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को परिशीलन किया गया एवं आयोग द्वारा अग्र अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः-

विश्वविद्यालय द्वारा शासन के नीति व निर्देशों का पालन करते हुए पदोन्नति की पात्रता न होने के कारण आवेदक को पदोन्नति नही दी गयी है अतः विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक को पदोन्नत नहीं किया जाना नियमानुसार आयोग द्वारा न्यायोचित मान्य किया गया एवं आवेदक की शिकायत को निराकृत मान्य किये जाने अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 35 2009-10 जिला- धमतरी
विषयः- जुनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) की भर्ती में अनियमितता की शिकायत के संबंध में।
आवेदकः- श्रीमती पुष्पलता गजेन्द्र, मराठापारा, मनीष भवन धमतरी (छ.ग.)
अनावेदकः- अतिरिक्त सचिव, छ.ग. राज्य विद्युत मंडल रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :-

पुष्पलता गजेन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल होल्डिंग कंपनी मार्यादित, रायपुर के विरूद्ध आवेदिका को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ न दिये के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गयी। आवेदिका ने शिकायत में लेख किया गया था कि छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 02.07.2009 जुनियर इंजिनीयर (इलेक्ट्रीकल) पद की भर्ती में अनियमितता की गयी। आयोग द्वारा अधिनियम के आधार पर कार्यवाही करते हुए संबंधित पक्षकारों को आयोग में आहूत कर लिखित ब्यान एवं दस्तावेज प्राप्त किये गये एवं शिकायत के परिशीलन उपरांत यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि आवेदिका द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञाप्ति पद के लिए आवेदन किया गया था एवं विज्ञापन की शर्तो के अनुसार साक्षात्कार के समय अन्य पिछड़ा वर्ग का उच्च स्तरीय छानबीन समिति का जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण से उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका।

अनुशंसाः-

प्रस्तुत शिकायत को तथ्य से परे एवं त्रुटिपूर्ण मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने संबंधी अनुशंसा की गई।

नस्ती क्रं. 18 2012-13 जिला- गरियाबंद
विषयः- ट्रेक्टर की किराये की राशि अप्राप्त होने संबंधी शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः- सेवा राम निषाद, ग्राम मदनपुर, तह. व जिला गरियाबंद (छ.ग.)
अनावेदकः- अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, गरियाबंद (छ.ग.)

कार्यवाही :-

आयोग के समक्ष सेवा राम निषाद द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गरियाबंद के डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य हेतु किराये से प्रदत्त ट्रेक्टर की किराये की राशि 46200 रू. (अक्षरी में छियालीस हजार दो सौ रू.) राशि अप्राप्त होने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिस पर आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 10 (क),(ख) के तहत कार्यवाही करते हुए अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, गरियाबंद को राशि भुगतान करने के संबंध में निर्देशित किया गया। अनावेदक द्वारा दिनांक 30.07.2012 को आयोग में उपस्थित होकर शिकायतकर्ता को डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य हेतु ट्रेक्टर परिवहन की राशि 46200 रू. का भुगतान किये जाने संबंधी अभिलेख

(पावती) प्रस्तुत की गई एवं आवेदक द्वारा भी आयोग को सूचित किया गया कि उसे राशि प्राप्त हो चूकी है।

अनुशंसाः–

आयोग द्वारा शिकायत को निराकृत मान्य कर नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 10 2011–12 जिला– बस्तर

विषयः– कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा बस्तर द्वारा वाहन चालक भर्ती में अनियमितता की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्री सुखलाल साहू, आत्मज श्री मेघनाथ साहू, लालबाग, आमागुड़ा, जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.)

अनावेदकः– कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा बस्तर (छ.ग.)

कार्यवाही :–

आवेदक श्री सुखलाल साहू, लालबाग आमागुड़ा, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) द्वारा आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि कार्यालय, कलेक्टर (वित्त शाखा), जिला बस्तर द्वारा वाहन चालक की भर्ती में पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा कर नियमों की अवहेलना की गई आयोग द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षकारों, साक्षियों को आयोग में आहूत कर लिखित कथन दर्ज किये गये। शिकायत के आधार पर दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि आवेदक सुखलाल साहू एवं गुणवंत सागर लेवी दोनों के प्राप्तांक समान होने के कारण गुणवंत सागर लेवी को जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ मानते हुए वाहन चालक के पद पर नियुक्ति दी गई। गुणवंत सागर लेवी की पूर्व माध्यमिक परीक्षा की अंक सूची त्रुटिपूर्ण होने की जॉच की गयी जिसे विद्यालय के अभिलेखों से मिलान किया गया अंकसूची में त्रुटि होने के कारण सुधार कर द्वितीय प्रति प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा परीक्षण में गुणवंत सागर लेवी के प्रस्तुत दस्तावेजों में शैक्षणिक अभिलेखों में "ईसाई जाति" एवं राजस्व संबंधी अभिलेखों "पनिका जाति" का लेख होना पाया गया इस प्रकार एक ही व्यक्ति की जाति भिन्न–भिन्न होना एवं गुणवंत सागर लेवी द्वारा उच्च स्तरीय छानबीन समिति का जाति सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग द्वारा बैठक में उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर अभिलेखों एवं लिखित दर्ज कथन के आधार पर यह अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः–

कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा) जिला बस्तर जगदलपुर द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित पद पर नियुक्ति में नियमों का पालन नही किया गया अतएव भर्ती प्रक्रिया में संलग्न उत्तरदायी अधिकारीयों/कर्मचारियों को चिन्हांकित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं पूर्व माध्यमिक ई.बी.सी. मिशन विद्यालय, जगदलपुर जिला बस्तर के द्वारा शाला में अभिलेख संधारण में लापरवाही एवं अनियमितता किये जाने के कारण मान्यता संबंधी पुनः परीक्षण किया जावे। आयोग द्वारा निजी क्षेत्र के शालाओं के नियमन, निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर के विरूद्ध कर्तव्य पर की गयी चूक के संबंध में विभाग द्वारा सचेत करने संबंधी उचित कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गयी।

कार्यालय कलेक्टर, बस्तर द्वारा तैयार किये गये वरीयता सूची अनुसार सुखलाल साहू के सैंद्धातिक प्राप्तांक गुणवंत सागर लेवी से अधिक है, परन्तु आवेदक को प्रायोगिक परीक्षा में एक अंक अधिक प्रदाय कर आवेदक के समकक्ष प्राप्तांक मे लाया जाना एवं अनावेदक को उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से जारी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में भी आरक्षित वर्ग का लाभ पहुँचाना अनावेदक को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना प्रतीत होता है। अतः अनावेदक द्वारा प्रस्तुत त्रृटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायपुर से परीक्षण कराये जावें एवं दोषपूर्ण पाये जाने पर की गई नियुक्ति को अमान्य कर आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 39 2009–10 जिला– बिलासपुर
विषयः– जमीन खरीदी में धोखाधड़ी किये जाने की शिकायत की जाँच बाबत्।
आवेदकः– श्री रवि कुमार यादव, ईमलीपारा, बस स्टैण्ड, बिलासपुर (छ.ग.)
अनावेदकः– श्री राजाराम यादव, भारतीय खाद्य निगम मदीना बिल्डिंग, रायपुर कार्यवाही :–

कार्यवाहीः–

श्री रवि यादव, ईमलीपारा, बिलासपुर द्वारा पैतृक भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध मे अनावेदक श्री राजाराम यादव के विरूद्ध जमीन खरीदी में धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में वाद संस्थित किया था। आयोग द्वारा प्रकरण पर अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षकारों को आयोग में आहूत कर लिखित बयान दर्ज किये गये एवं आपसी सामंजस्य से शिकायत के निराकरण संबंधी निर्देश दिये गये।

अनुशंसाः–

शिकायत पारिवारिक विषय पर होने के कारण आयोग के दखल के उपरांत आपसी सामजस्य से निराकृत की जा चुकी है। आयोग की पहल पर शिकायत का निराकरण हुआ।

नस्ती क्रं. 39 2009–10 जिला– बिलासपुर
विषयः– पदोन्नति एवं वरिष्ठता प्रदान न कर प्रताड़ित किये जानें की शिकायत ।
आवेदकः– श्री डी.डी. वर्मा, व्याख्याता (रसायन शास्त्र), विद्युत गुह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रं. 02, दर्री कोरबा पश्चिम, जिला कोरबा (छ.ग.)
अनावेदकः– विद्युत नगर शिक्षा समिति कोरबा पश्चिम, जिला कोरबा (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री डी.डी. वर्मा, व्याख्याता (रसायन शास्त्र), विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रं. 02, दर्री कोरबा पश्चिम, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा दिनांक 01.06.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदक द्वारा विद्युत नगर शिक्षा समिति कोरबा पश्चिम द्वारा वि.गृ.उ.मा.वि क्रं. 02 दर्री कोरबा पश्चिम में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों के पदोन्नति में भेदभाव तथा वर्ष 2004 से वरिष्ठता प्रदान नहीं कर मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में संबंध वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 10 (क),(ख) के तहत शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.06.2012 को प्रकरण पंजीकृत किया गया।

आवेदक एवं अनावेदक के बयान एवं संलग्न अभिलेखों का आयोग द्वारा गहन परिशीलन किया गया। प्रार्थी को वरिष्ठता के उपरांत भी वर्ष 2004 में पदोन्नति समिति के अनुमोदन से पदोन्नत दिया गया एवं वर्ष 2006 में पदोन्नति समिति के बहुमत के अभाव एवं रसायन शास्त्र विषय में पद रिक्त न होने के कारण आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये पदावनत कर दिया गया। सचिव शिक्षा समिति कोरबा पश्चिम द्वारा आवेदक को अनुशासनात्मक चेतावनी दी गई क्योंकि वे विद्यालय के अनुशासन के मर्यादा का पालन नहीं करते थे। आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अपने पक्ष प्रस्तुत करते समय इस तथ्य को छुपाया गया। प्रकरण के संबंध आयोग की बैठक में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर अग्रप्रकार अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः–

आवदेक को पूर्व में 21.01.2004 से पदोन्नत कर 04.01.2006 को पदावनत किये जाने से आवेदक की मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। अतः आवेदक को दिनांक 21.01.2004 से उच्च वर्ग शिक्षक के पद से व्याख्याता (रसायन शास्त्र) पद पर पदोन्नत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

आवेदक श्री डी. डी. वर्मा को भी यह चेतावनी दी जाती है कि वे अनुशासन मे रहते हुए विद्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करें।

नस्ती क्रं. 29 2012–13 जिला– बालोद

विषयः– नामदेव यादव के बकाया वेतन/नियमितिकरण संबंधी शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्री नामदेव यादव, ग्राम झुरहाटोला, पो. सुरडोंगर, जिला बालोद (छ.ग.)

अनावेदकः– सहायक श्रम आयुक्त, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री नामदेव यादव, पिता श्री मेहतरू राम यादव ग्राम झुरहाटोला, पो. सुरडोंगर, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा दिनांक 02.01.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा शिकायत में मानसेवी श्रम संगठक के रूप में कार्य करने के उपरांत भी वर्ष 2004 से आज पर्यन्त वेतन अप्राप्त एवं श्रम संगठक के पद पर विभाग में नियमित न किये जाने के संबंध वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 10 (क),(ख) के तहत शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.01.2012 को प्रकरण पंजीकृत किया गया एवं पक्षकारों को आयोग में आहूत किया गया।

आवेदक एवं अनावेदक तथा संबंधित पक्षकारों के बयान एवं संलग्न अभिलेखों का आयोग द्वारा गहन परीक्षण किया गया। आवेदक श्रम संगठक के पद पर विगत 15 वर्षो से कार्यरत है एवं भानदेय 200 रू. मासिक एवं 50 रू. यात्रा भत्ता कुल 250 रू. मासिक मानदेय नियत थी। मानसेवी संगठक का पद स्वीकृत पद नहीं होने के कारण नियमित नही किया गया एवं उक्त अवधि का आबंटन अप्राप्त होने के कारण लंबित वेतन का भुगतान नही किया गया। प्रकरण के संबंध में बैठक में चर्चा करते हुए अग्रानुसार अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः–

आवेदक द्वारा श्रम विभाग में की गयी सेवा के लिए मार्च 2004 से लंबित अवधि के मानदेय भुगतान किया जाना न्यायसंगत है। इस संबंध में विभाग पीड़ित पक्षकार को लंबित मानदेय भुगतान संबंधी कार्यवाही करें। साथ ही आवेदक का भी यह दायित्व है कि वे विभाग को अविलंब अपने कर्तव्य पालन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

आवेदक द्वारा श्रम विभाग में 1995 से अपने मानसेवी श्रम संगठक के पद पर अपनी सेवाएं दी है जिससे आवेदक को अन्यत्र कार्य के अवसर हेतु आयु सीमा अधिक होने के कारण नवीन नियुक्ति से वंचित होगा। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भविष्य में विभाग में जब भी पद स्वीकश्त होते तो आवेदक को योग्यतानुसार उचित रोजगार प्रदाय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

नस्ती क्रं. 24 2009–10 जिला– रायपुर

विषयः– मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने संबंधी शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्रीमती जयंती सिन्हा, ए–क्यू–12, सांइस कालेज कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

अनावेदकः– प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

श्रीमती जयंती सिन्हा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध आयोग के सचिव के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए आयोग से निवेदन किया की महाविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री शिवनाथ मिश्रा द्वारा उनके परिवार को गाली–गलौच कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है जिस पर प्राचार्य शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नही की गयी। आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायत को पंजीबद्ध किया गया।

शिकायत पर दोनों पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु आयोग में आहूत किया गया। आवेदक एवं अनावेदक प्राचार्य नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने शिकायत के संबंध में अपने–अपने पक्ष प्रस्तुत किये एवं अनावेदक ने अपने कथन में बताया की श्री शिव प्रकाश मिश्रा का जी.पी.एफ. की शेष राशि 1.50 हजार रूपये एवं शासकीय आवास रिक्त न करने के कारण की गई एवं सेवानिवृत्त श्री शिवप्रकाश मिश्रा से आवास रिक्त करवाने की कार्यवाही की गयी है एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त सेवानिवृत्त श्री शिवप्रकाश मिश्रा ने बाजार दर से दुगनी दर पर किराया वसूली की कार्यवाही एवं सम्पदा विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने कार्यवाही प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

अनुशंसाः–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आयोग के सभी सदस्यों द्वारा निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किये जाने अनुशंसा की गयी।.

नस्ती क्रं. 06 2011–12 जिला– कांकेर

विषयः– शिक्षण शुल्क वापस न किये जाने शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्री ओप्रकाश जैन, जेल रोड़, चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)

अनावेदकः– संचालक, आर्या द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

श्री ओमप्रकाश जैन, जेल रोड, चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.) द्वारा संचालक, आर्या द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गयी कि विद्यालय द्वारा उनकी पुत्री याशिका जैन के प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की कुल 25 हजार रूपये की राशि जमा करायी गयी एवं याशिका जैन द्वारा संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र निकाले जाने पर केवल 6000 रू. (छः हजार रूपये) की राशि वापस की गयी। इस संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक एवं अनावेदक दोनो को आहुत कर उनके लिखित कथन दर्ज किये गये। याशिका जैन की छात्रावास शुल्क की 4000 रू. (चार हजार रूपये) राशि पूर्ण रूप से संचालक द्वारा लौटायी गयी एवं संचालक द्वारा बयान में बताया गया कि प्रवेश शुल्क की राशि संस्था द्वारा लौटायी नहीं जाती है। फिर भी संचालक मंडल द्वारा कुल जमा फीस में से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 2,300 रू. वापस किया गया तथा कॉशन मनी शत् प्रतिशत वापस किया गया। प्रकरण के संबंध में आवेदक/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लिखित बयान के आधार पर यह अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः–

समिति द्वारा आवेदक के स्वयं ही स्थानांतरण के आवेदन के आधार पर प्रवेश निरस्त करने उपरांत संस्था द्वारा वापस की गयी शुल्क की राशि को आयोग द्वारा उचित मान्य किया गया एवं शिकायत नस्तीबद्ध की गयी।

नस्ती क्रं. 14 2010–11 जिला– धमतरी

विषयः– समिति द्वारा वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जॉच बाबत्।

आवेदकः– श्री अमित कुमार सोनी (कार्यक्रम समन्वयक) एवं अन्य तीन गोड़वाना आदिवासी विकास समिति गुहाननाला, तह. नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

अनावेदकः– सचिव, गोड़वाना आदिवासी विकास समिति तह. नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री अमित कुमार सोनी (कार्यक्रम समन्वयक) एवं अन्य तीन द्वारा गोड़वाना आदिवासी विकास समिति गुहाननाला, तह. नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) के संबंध में दिनांक 06.08.2010 को आयोग में ई–मेल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों को संस्था द्वारा तीन माह से वेतन भुगतान नही किया गया एवं कार्यालय हेतु स्टेशनरी एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय की राशि, किराये के मकान का

लंबित किराया भुगतान के संबंध में आवेदक द्वारा वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 10 (क).(ख) के तहत शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.08.2010 को प्रकरण पंजीकश्त किया गया। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया।

अनुशंसा :-

अनावेदक श्री मायाराम नागवंशी अध्यक्ष, गोड़वाना आदिवासी विकास समिति द्वारा आयोग में लिखित कथन दिया गया कि उनके द्वारा सभी लंबित दायित्वों का भुगतान कर दी जावेगी परन्तु आज पर्यन्त उनके द्वारा भुगतान नहीं की गई। अतः आयोग द्वारा यह अनुशंसा/सिफारिश की गयी कि रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाये को गोडवाना, आदिवासी विकास समिति, गुहान नाला, तह. नगरी, जिला धमतरी छ.ग. का पंजीयन रद्द करने संबंधी अनुशंसा की गयी।

साथ ही लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु सचिव स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने पत्र प्रेषित की जावे।

नस्ती क्रं. 22 2011-12 जिला- बालोद
विषयः- फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जाकर नौकरी प्राप्त किये जाने शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः- श्रीमती रामतुला बाई, पिता स्व. श्री निरधीन, ग्राम पेटेचुवा, पोस्ट- बड़भूम, तह. गुरूर, जिला - दुर्ग (छ.ग.)
अनावेदकः- श्री नोहरू राम सिन्हा, पिता श्री लेडगू सिन्हा, ग्राम साल्हेटोला, तह. बालोद, जिला दुर्ग

कार्यवाहीः-

आवेदिका श्रीमती रामतुला बाई, पिता स्व. श्री निरधीन, ग्राम पेटेचुवा, पोस्ट- बड़भूम, तह. गुरूर, जिला - बालोद (छ.ग.) का आवेदन छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति के पत्र क्रं. 247/ अजजा/2011 रायपुर दिनांक 4.07.2011 के माध्यम से छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में दिनांक 05.07.2011 को आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदिका द्वारा उनके पैतृक भूमि (श्री निरधीन पिता श्री मोतीराम के नाम से) को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रेलवे लाईन विस्तार करने हेतु अधिग्रहण के एवज में अधिग्रहित भूमि के बदले परिवार के एक सदस्य को भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी पर रखे जाने का अवसर को अनावेदक द्वारा कूटरचना से प्राप्त करने के संबंध में शिकायत की गयी। आयोग द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.07.2011 को प्रकरण पंजीकृत किया गया। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का सूक्ष्म अवलोकन व परीक्षण किया गया।

अनुशंसाः-

आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अनावेदक के द्वारा आवेदिका को तयशुदा राशि प्रतिमाह दी जाती रही है, जिसके अभिलेख अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः शिकायत निराधार मानकर नस्तीबद्ध की जावे।

नस्ती क्रं. 22 2012-13 जिला- रायपुर
विषयः- पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः- श्री डी.पी. पटेल, स्टोनोग्राफर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
अनावेदकः- कुल सचिव, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाहीः-

आवेदक श्री डी.पी. पटेल, स्टोनोग्राफर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 15.05.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदक

ने विश्वविद्यालयीन प्रशासन द्वारा पदोन्नति में अनियमितता करने एवं पदोन्नति से वंचित किये जाने की शिकायत के संबंध में वाद संस्थित किया गया। आयोग ने उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण की परीक्षण व सुनवाई की गयी। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक (रजिस्ट्रार रविशंकर वि.वि. रायपुर) द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया।

अनुशंसाः–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 91 से संबंधित थी जिसे विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21.10.2012 द्वारा संशोधित किया गया। शिकायत विश्वविद्यालय के विनियम के संबंध में होने के कारण नीतिगत विषय मानकर प्रकरण नस्तीबद्ध किये जावें।

नस्ती क्रं. 47 2012–13 जिला– बिलासपुर

विषयः– पैरा मेडिकल स्टॉफ की भर्ती में अनियमितता की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्री तेजनाथ यादव, कृष्णानगर वार्ड नं. 27, बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदकः– मुख्य प्रबंधक संचालक, एस.ई.सी.एल. सीपत रोड़, सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री तेजनाथ यादव, कृष्णानगर वार्ड नं. 27, बिलासपुर द्वारा दिनांक 03.09.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर शिकायत प्रस्तुत किया गया कि एस.ई.सी.एल. बिलासपुर द्वारा पैरा मेडिकल स्टाफ के पद पर भर्ती में नियमों, प्रक्रिया एवं कानून का उल्लंघन किया गया। आयोग द्वारा शिकायत को संज्ञान में लेकर प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजो के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया।

अनुशंसाः–

आयोग द्वारा शिकायत में लगाये गये आरोप सत्यापित न होने एवं शिकायत निराधार होने के कारण निराकृत मानकर शिकायत नस्तीबद्ध करते हुए आवेदक को सूचित किये जाने सर्वसम्मति अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 06 2008–09 जिला– धमतरी

विषयः– ब्रांच परिर्वतन हेतु बाध्य किया जाकर फीस वापस न किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– 1. श्री बालमुकुन्द गजेन्द्र, बी.टी.आई. कॉलोनी,क्वा. नं. 10 नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

अनावेदकः– प्राचार्य, आर.आई.टी. कॉलेज, रायपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :–

आवेदक श्री बालमुकुन्द गजेन्द्र, बी.टी.आई. कालोनी, नगरी, जिला धमतरी द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि महाविद्यालय संस्थान द्वारा ब्रांच परिर्वतन हेतु बाध्य किया जाकर फीस वापस नहीं की गयी। प्रकरण को संज्ञान में लेकर प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया। शिकायत के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत यू.जी.सी. के जनसूचना क्र. एफ नं. 1–3/2007 (सीपीपी–2) दिनांक 23 अप्रैल 2007 के पैरा बिन्दु 3 के संबंध में सर्वसम्मति से बैठक में सर्वसम्मति से अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः–

महाविद्यालय द्वारा रिक्त सीट के विरूद्ध प्रतीक्षा सूची के प्रावीण्य अनुक्रमांक के अगले छात्र को प्रवेश दिया गया हो तो कुल प्राप्त फीस में से प्रक्रियागत शुल्क (जो एक हजार रूपए से अधिक नहीं) को घटाकर शेष शुल्क छात्र को वापस की जावे। इस संबंध में आर.आई.टी. प्रबंधक को आवेदक के द्वारा जमा शुल्क नियमानुसार वापस कर आयोग को सूचित किया जावे।

नस्ती क्रं. 04 2012–13 जिला– कोरिया

विषयः— वनरक्षक भर्ती एवं पारिश्रमिक भुगतान में अनियमितता की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः— श्री मनोहर, श्री ओमप्रकाश, श्री नरेन्द्र देशमुख एवं समस्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, कोरिया वनमंडल, जिला कोरिया (छ.ग.)
अनावेदकः— वनमंडल अधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

वनमंडल बैकुण्ठपुर में कार्यरत श्री मनोहर पनिका, श्री ओमप्रकाश व सुरेश एवं अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर शिकायत प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों को कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर, के अंतर्गत वनरक्षक पद में नियमितीकरण एवं दैनिक वेतन भोगी के परिश्रमिक भुगतान दिलायी जावे। शिकायत को संज्ञान में लेकर आवेदक एवं अनावेदक का लिखित कथन लिया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया। आयोग के समक्ष वन संरक्षक सरगुजा, वन वृत्त अम्बिकापुर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया है कि शैक्षिणक योग्यता एवं शारीरिक अर्हता रखने वाले वनरक्षकों को चतुर्थ श्रेणी में नियमितीकरण हेतु सूची तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। नियमितीकरण की प्रक्रिया हेतु अनावेदक द्वारा अपने स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने संबंधी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत किये गये।

अनुशंसाः—

आवेदक के शिकायत का निराकरण मान्य करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 37 2012—13 जिला— कोरबा
विषयः— नौकरी से हटाने एवं वेतन भुगतान न किये जाने की शिकायत की जाँच बाबत्।
आवेदकः— श्री ललित कुमार प्रजापति, ग्राम सिर्री, तह. पोड़ीउपरोडा, जिला कोरबा (छ.ग.)
अनावेदकः— 1. प्राचार्य कस्तूरबा गांधी शास. पूर्व माध्य. शाला, पोड़ीउपरोडा जिला कोरबा (छ.ग.)
2. प्राचार्य, शास. कन्या हाईस्कूल पसान, वि.ख., पोडी उपरोडा, जिला कोरबा (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचति जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 23.06.2012 को प्रेषित आवेदन में आवेदक श्री ललित कुमार प्रजापति, ग्राम सिर्री, तह. पोड़ीउपरोडा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा कस्तूरबा गांधी शास. पूर्व माध्य. पोड़ीउपरोडा एवं शास. कन्या हाईस्कूल पसान में कार्य करने के बाद भी वेतन रोककर नौकरी से हटाये जाने के संबंध में वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव किया गया कि ललित कुमार प्रजापति को कार्यालय में कार्य करने हेतु विभागीय अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया था एवं आवेदक द्वारा शासकीय आदेश का पालन कर कार्यालय में कार्य सम्पादित किया। आयोग द्वारा अग्र अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः—

कार्य के एवज में मानदेय भुगतान (प्राकशतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन कर) न्योयोचित मान्य करते हुए आवेदक को उनके कार्यावधि (10 + 14) कुल 24 के माह कार्य के बकाया भुगतान हेतु संबंधित संस्था को आवश्यक आबंटन जारी किये जावें।

नस्ती क्रं. 22 2011—12 जिला— राजनांदगांव
विषयः— क्रमोन्नति/पदोन्नति एवं भविष्य निधि के लाभ से वंचित किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः– श्री रामनिवास सिंह, मजिस्द पारा, वार्ड नं. 09 गंडई, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)
अनावेदकः– वनमंडल अधिकारी, खैरागढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री रामनिवास सिंह, मस्जिद पारा, वार्ड नं. 9 गंडई, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा दिनांक 14.10.2011 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा विभाग में 24 वर्ष लगातार सेवा करने के उपरांत क्रमोन्नति व पदोन्नति तथा उच्वतर वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया। आयोग द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया।

अनुशंसाः–

शिकायत के संबंध में प्रस्तुत अभिलेख एवं लिखित बयान के परीक्षण उपरांत आवेदक द्वारा संस्थित वाद में हितलाभ न होने से शिकायत को नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 41 2008–09 जिला– रायगढ़
विषयः– मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजनांतर्गत आंबटित दुकानों में अनियमितता की शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः– श्री भानुप्रताप सिंह राठौर, पिता श्री हर प्रसाद राठौर, पुरानी बस्ती खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
अनावेदकः– मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद, खरसिया, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री भानुप्रताप सिंह राठौर, पिता श्री हर प्रसाद राठौर, पुरानी बस्ती खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा दिनांक 18.01.2008 को आयोग को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजनांतर्गत आंबटित 19 दुकानों के आबंटन में बनाये गये नियम शर्तो एवं प्रक्रिया का उल्लघंन की जांच कर आंबटन को निरस्त किये जाने की शिकायत की गयी जिस संबंध में वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजो के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया एवं आवेदक के हित संरक्षण करते हुए उसे दुकान आबंटन करने लेख किया गया। इस संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन के पत्र द्वारा आयोग को पत्र प्रेषित कर अनुशंसा के संबंध में कार्यवाही की सूचना दी गयी।

अनुशंसाः–

प्रकरण पर कार्यवाही पूर्ण मानकर शिकायती प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गसी।

नस्ती क्रं. 51 2012–13 जिला– गरियाबंद
विषयः– ट्रेक्टर किराये की राशि प्रदाय न किये जान संबंधी शिकायत की जांच बाबत्।
आवेदकः– श्री जयभारत केंवट, पिता गंगा राम केंवट, ग्राम कौन्दकेरा, पो. बारूका, तह. व जिला गरियाबंद (छ.ग.)
अनावेदकः– हीरालाल, प्रबंधक, लघु वनोपज समिति, निवासी, कोरासी, तह. छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.)

कार्यवाहीः–

आवेदक श्री जयभारत केंवट, पिता गंगा राम केंवट, ग्राम कौन्दकेरा, पो. बारूका, तह. व जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा दिनांक 03.09.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदक द्वारा अनावेदक हीरालाल द्वारा ट्रेक्टर को दस हजार रू. प्रतिमाह की दर से ठेके पर लेकर एक वर्ष तक ठेके पर कार्य करता रहा। ट्रेक्टर ठेके की राशि 1,50,000 रू. मांग किये जाने

पर फर्जी शिकायत कर फंसा देने की धमकी देता रहा इस संबंध में वाद संस्थित किया गया। आयोग प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए। आवेदक/अनावेदक को बुलाया गया। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजो के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया।

अनुशंसा:–

अनावेदक द्वारा किराये पर ट्रेक्टर नहीं लेने संबंधी बयान एवं आवेदक द्वारा ट्रेक्टर किराये से देने संबंधी कोई समझौता या साक्ष्य प्रस्तुत न कर सकने के कारण शिकायत निराधार मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने अनुशंसा की गई।

नस्ती क्रं. 22 2009–10 जिला– धमतरी

विषय:– शिक्षाकर्मी पद एवं वाहन चालक पद हेतु राशि लेकर हड़पने की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदक:– 1. श्री रामकृष्ण साहू एवं अन्य छः, ग्राम पलौद पोस्ट टेकारी, तह. अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. श्री पुनमचंद साहू, ग्राम व पो. माना बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.)

अनावेदक:– श्री स्वतंत्र कौशल, पिता श्री केशुलाल कौशल, निवासी, बलियारा, जिला धमतरी (छ.ग.)

कार्यवाही:–

आवेदक श्री रामकृष्ण साहू एवं अन्य छः, ग्राम पलौद पोस्ट टेकारी, तह. अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा दिनांक 03.03.2009 को आयोग को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया अनावेदक द्वारा शिक्षाकर्मी पद पर नियुक्ति हेतु 16,80,000 रू. राशि लेकर राशि को वापस न किये जाने के संबंध में संबंध वाद संस्थित किया गया। आयोग प्रकरण को संज्ञान में लिया गया। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में शिकायत का परिशीलन किया गया एवं अग्र अनुशंसा की गयी।

अनुशंसा:–

अनावेदक द्वारा छल कपट कर राशि प्राप्त करने के संबंध में आवेदकगण को अनावेदक के विरूद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज करने पुलिस अधीक्षक धमतरी को पत्र लेख करने अनुशंसा की गयी एवं कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने निर्देशित किया गया, साथ ही शासकीय सेवक श्री विनीत कुमार डेविड सहा. ग्रेड–02 एवं श्री नंद कुमार गंजीर सहा. ग्रेड–02 स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर जो कि गवाह के रूप में थे के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लेख किये जावें।

नस्ती क्रं. 10 2012–13 जिला– बालोद

विषय:– राशि लेकर अभिलेख गड़बड़ी किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदक:– प्रेमसिंह, आत्मज श्री निजाम, ग्राम गिधवा, तह. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)

अनावेदक:– ओमकार सिंह, पटवारी, प.ह.न. डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)

कार्यवाही:–

आवेदक प्रेमसिंह, आत्मज श्री निजाम, ग्राम गिधवा, तह. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा दिनांक 28.05.2012 को आयोग के मान. सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा हक व कब्जा की भूमि ख.न. 198 रकबा 2.06 हे. भूमि पर पटवारी द्वारा बी–1 मांगने पर पटवारी द्वारा नाम दर्ज संबंधी बी–1 नकल प्रदान किया गया। ब्रिक्री किये जाने संबंधी उक्त भूमि की बी–1 मांगे जाने पर पटवारी द्वारा इंकार किया गया। पटवारी द्वारा अभिलेख गड़बडी कर मोटी रकम लेकर एकल खाते में आवेदक के भाईयों का नाम दर्ज किये जाने के संबंध वाद संस्थित किया गया। आयोग प्रकरण को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते हुए प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजो के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया।

अनुशंसाः—

प्रकरण मान. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

नस्ती क्रं. 57 2012—13 जिला— मुंगेली

विषयः— त्रि—वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम का पूरक परीक्षा न लिये जाने की शिकायत संबंधी।

आवेदकः— श्री लखनलाल कश्यप (अभिभाषक), ग्राम व पो. जरहागांव, तह. व जिला मुंगेली (छ.ग)

अनावेदकः— कुल सचिव, गुरू घासीदास केन्द्रीय, विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

आवेदक श्री लखनलाल कश्यप (अभिभाषक), ग्राम व पोस्ट जरहागांव, तह. व जिला मुंगेली (छ.ग.) द्वारा दिनांक 06.08.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा गुरू घासीदास केन्द्रीय, विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा पी.एम.एच.एम तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम का पूरक परीक्षा वर्ष 2008—09 के बाद नही लिये जाने के संबंध वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.02.2012 को प्रकरण पंजीकृत किया गया। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों व दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का परिशीलन किया गया एवं अग्र अनुशंसा की गयी।

अनुशंसाः—

पाठ्यक्रम बंद होने उपरांत भी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को अनेको बार पूरक—परीक्षा का अवसर प्रदाय किया जा चुका है, जिस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शिकायत को नस्तीबद्ध किया जावें।

नस्ती क्रं. 56 2012—13 जिला— बिलासपुर

विषयः— राशि लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्।

आवेदकः— श्री बालाराम यादव, ग्राम घोंघाडीह, थाना कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदकः— श्री परदेशी राम खाण्डे, निवासी ग्राम घोंघाडीह, थाना कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यवाहीः—

आवेदक श्री बालाराम यादव, निवासी ग्राम घोंघाडीह, थाना कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 21.09.2012 को आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदक द्वारा ग्राम घोंघाडीह स्थित स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 56/1 रकबा 1.85 एकड़ को 1,20,000 रू. में विक्रय हेतु सौदा किये जाने के पश्चात् रजिस्ट्री हेतु टालमटोल किये जाने के संबंध में वाद संस्थित किया गया। आयोग द्वारा शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

अनुशंसाः— आवेदक /अनावेदक के बयान एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर शिकायत तथ्यहीन मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गयी।

भाग-5

अध्याय-3

आयोग को प्राप्त प्रकरणों के सांख्यिकी आँकड़े एवं रेखाचित्र

आयोग को प्राप्त शिकायतो की कुल संख्या 356 जाति शामिल करने संबंधी आवेदनों की कुल संख्या 81 जिसमें से 31 मार्च, 2013 की स्थिति में 287 शिकायतो एवं 67 जाति संबंधी आवेदनों का निराकृत किया गया। विगत वर्षो के तुलना में शिकायतों एवं जाति संबंधी आवेदनो के निराकरण में तीव्र गति से बढ़ोत्तरी हुई। निराकरण संबंधी सांख्यिकी आंकड़े अग्र प्रकार है :–

23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2013 तक शिकायत संबंधी प्राप्त आवेदनों का विवरण

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्रक्रियाधीन आवेदन
1	2	3	6
23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008	36	36	00
1 अप्रेल 2008 से 31 मार्च 2009	45	45	00
1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2010	39	39	00
1 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2011	22	22	00
1 अप्रेल 2011 से 31 मार्च 2012	68	62	06
1 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013	146	83	63
योग	356	287	69

23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2013 तक जाति शामिल करने संबंधी आवेदन का विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या	निराकश्त जातियां	प्रक्रियाधीन जातियां
1	2	3	4
23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008	33 (27+6)	32	01
1 अप्रेल 2008 से 31 मार्च 2009	12	10	02
1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2010	06	04	02
1 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2011	04	03	01
1 अप्रेल 2011 से 31 मार्च 2012	13	09	04
1 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013	13	09	04
योग :–	81	67	14

नोटः– 27 प्रकरण अविभाजित मध्यप्रदेश के समय का है।

शिकायत संबंधी प्रकरणों की निराकरण की स्थिति

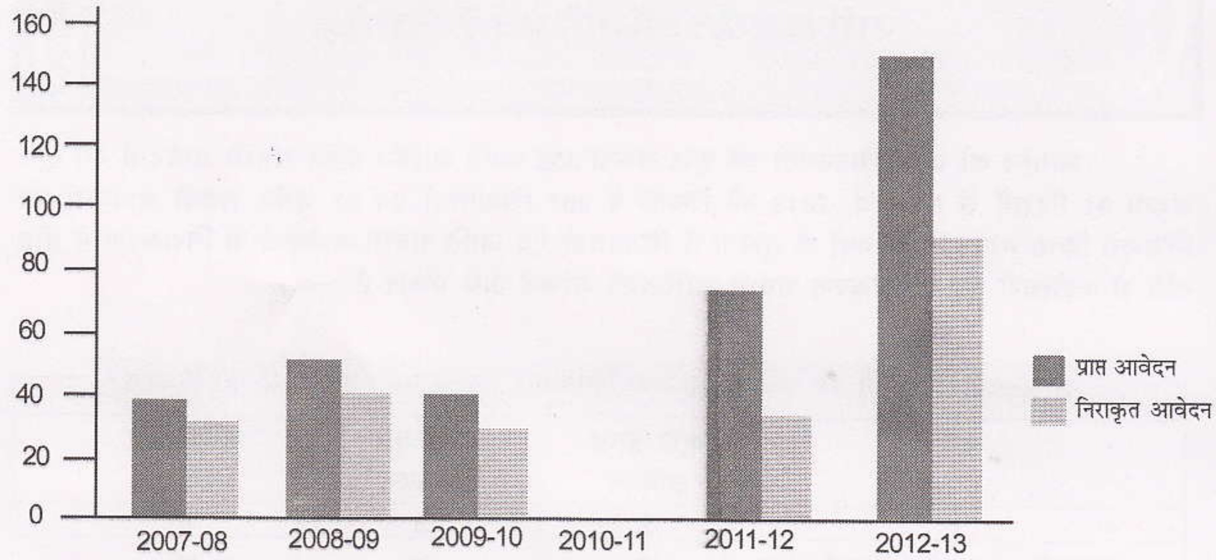

आयोग को प्रारंभ से 31 मार्च 3013 तक प्राप्त शिकायत आवेदन की स्थिति

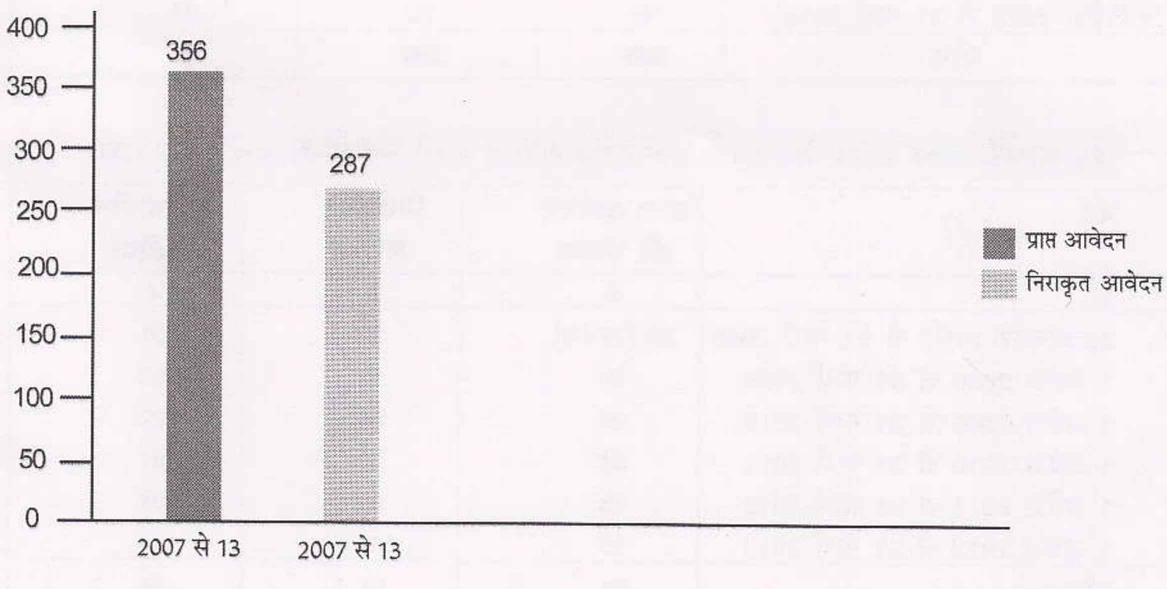

जाति संबंधी आवेदनों की निराकरण की स्थिति

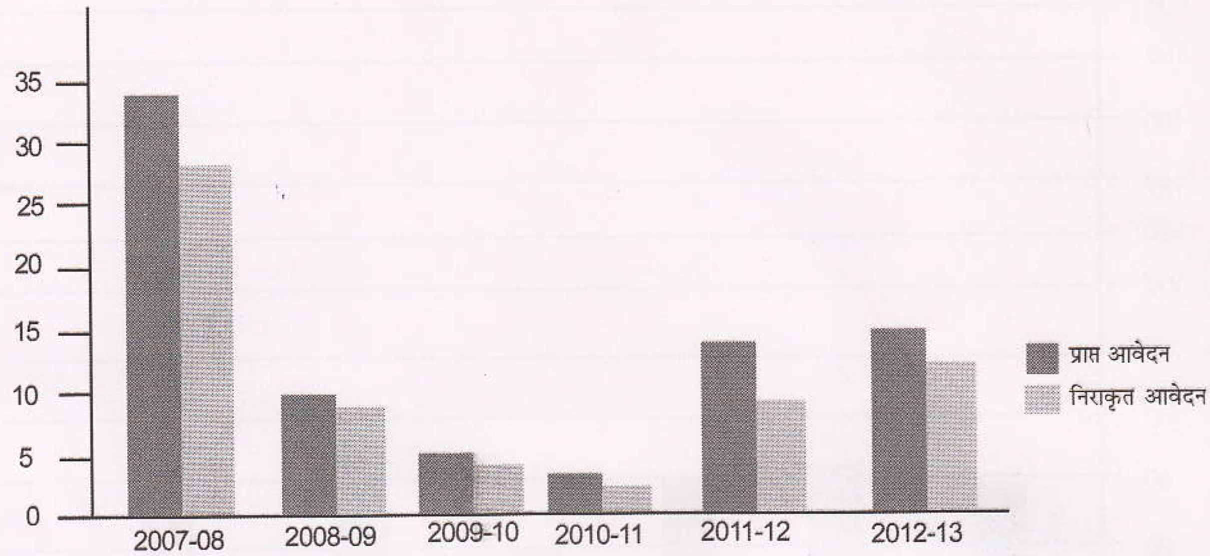

आयोग को प्रारंभ से 31 मार्च 3013 तक प्राप्त शिकायत आवेदन की स्थिति

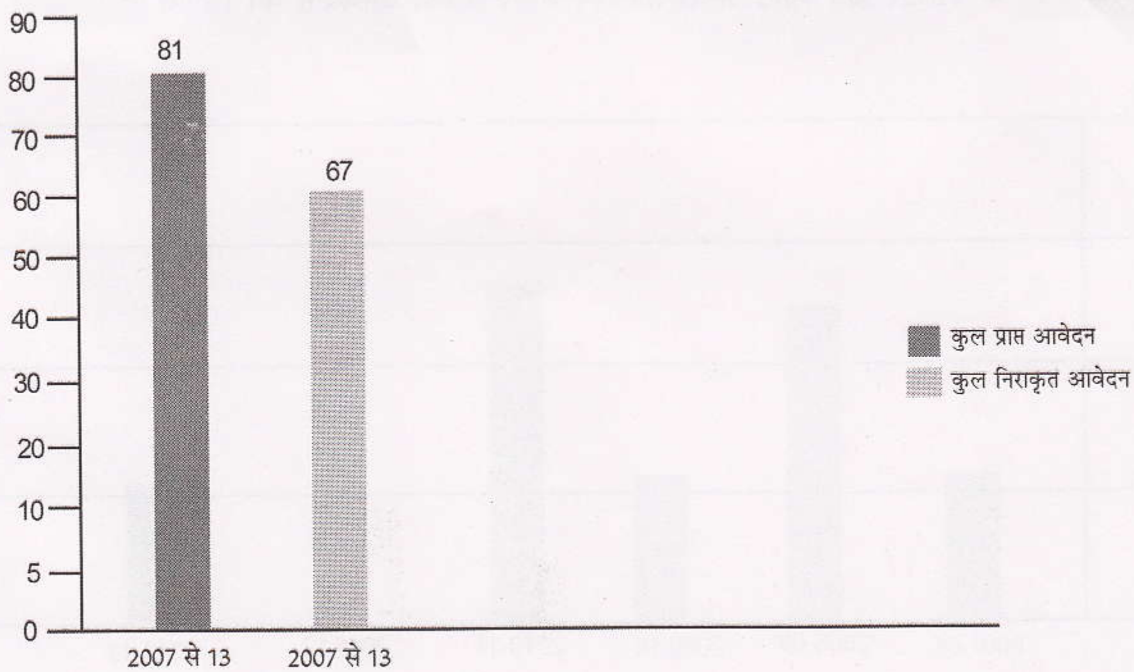

अ- वर्षवार प्राप्त शिकायत संबंधी आवेदनों की स्थिति

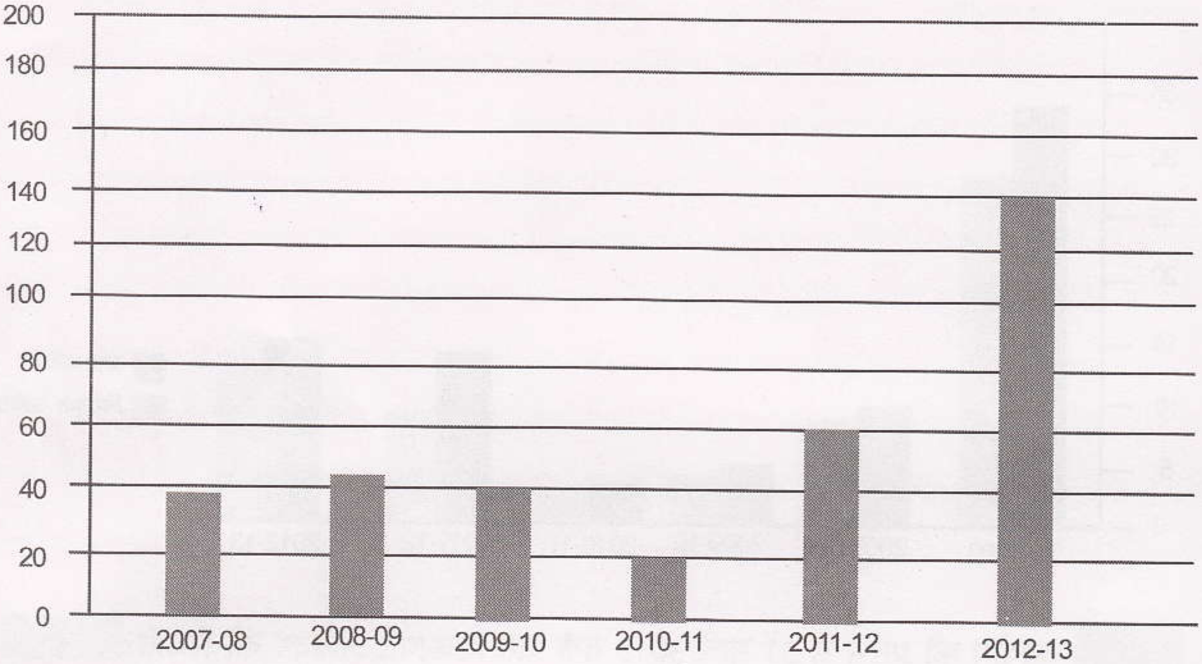

ब-वर्षवार प्राप्त जाति समावेशन /विलोपन संबंधी आवेदनों की स्थिति

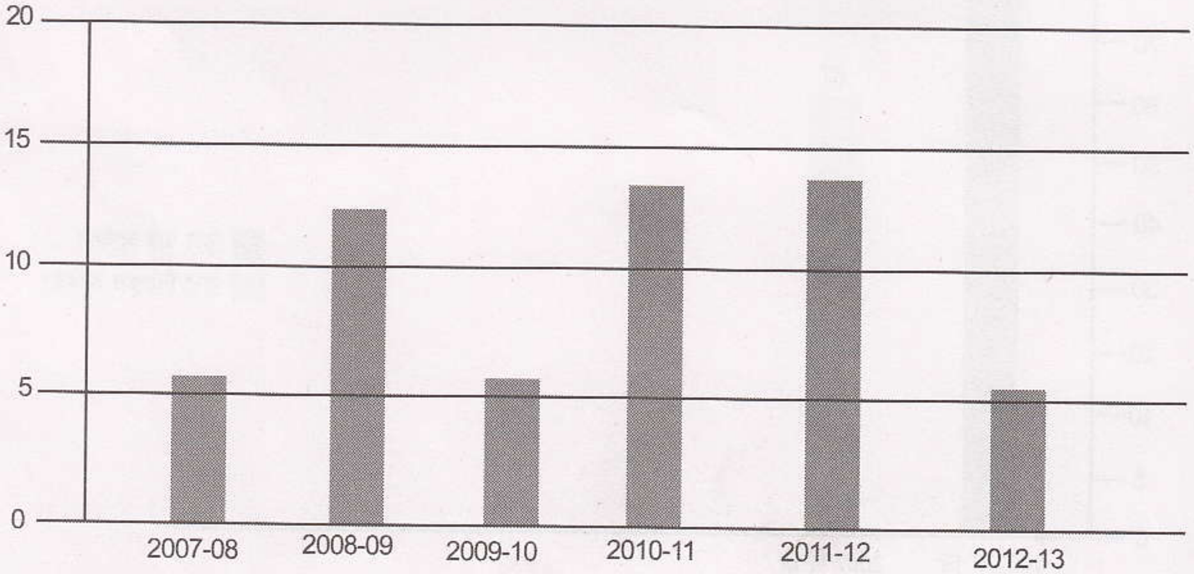

भाग-5

अध्याय-4

आयोग को प्राप्त प्रशस्ति पत्र

प्रति,

माननीय डॉ. सोमनाथ यादव
अध्यक्ष,
पिछड़ा वर्ग आयोग,
कैम्प, बिलासपुर

मान्यवर,

केन्द्रीय जेल बिलासपुर के अधीक्षक द्वारा मुझे प्रताड़ित करते हुए अकारण निलंबित किया गया था जिसके विरूद्ध मैंने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिस पर आपने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुझे निलंबन से बहाल करवाकर न्याय दिलाया इस कार्यवाही के लिए मैं और मेरा परिवार आपका एवम आयोग का ह्दय से आभार व्यक्त करते है।

सादर

दिनांक 03.07.2012

प्रार्थी

नन्दकुमार यादव (प्रहरी)
केन्द्रीय जेल, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिष्ठा में,

माननीय डॉ. सोमनाथ यादव जी
अध्यक्ष,
छ. ग. पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर

विषय : पिछड़ा वर्ग में संशोधन की धन्यवाद बाबत

माननीय महोदय हम समस्त लोनिया, लुनिया, नोनिया, नुनिया जाति के है हम लोगो का राजस्व अभिलेख के अनुसार जाति में त्रुटि के सुधार के लिये दिनांक 26.02.2010 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। बिलासपुर संभाग से जिला बिलासपुर के ग्राम तिफरा, नौरंगपुर, उजियारपु, चकरभाठा, बोदरी, सेंवार, कया, भटगाँव, बोहारडीह, बोरसरा, सिरगिट्टी, बिल्हा, परसदा, नवापारा, घुटकु, गतौरी, बरपाली, करही, रतनपुर, गुड़ी, नरगोड़ा, गोरखपुर, (पेंड्रा रोड) कोरजा, परासी, मलगा, शुकुलपारा तिवारीपारा खरौद जिला- रायपुर से ग्राम गिधौरी के समस्त स्वजाति जन आपके आभारी है।

पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर सूची क्रमांक 44 में नोनिया, नुनिया की अधिसूचना दिनांक 29.09.2010 को स्थापित कर समस्त विभागो को प्रेषित की गई है। जिससे हमारे बच्चो का भविष्य उज्जवल होगा।

माननीय डॉ. सोमनाथ यादव जी अध्यक्ष छ.ग. पिछड़ा वर्ग आयोग एवं समस्त प्रशासनीक अधिकारी गण को हम समस्त स्वजाति के ओर से नववर्ष 2012 की शुभकामनाओ के साथ बधाई हो आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते है।

सादर

रामफूल नोनिया
अध्यक्ष
नोनियाँ जागृति मंच
खरौद
जिला- जॉजगीर चॉपा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल शिक्षक कर्मचारी संघ कोरबा (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक वि.सं. 806

अध्यक्ष	संरक्षक	सचिव
डी.डी. वर्मा	**श्री ननकी राम कंवर**	**जी.आर. कश्यप**
आवास क्र.- डी. 275	गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री	आवास क्र. एस.पी.-97
एच.टी.पी.सी. कालोनी	छत्तीसगढ़ शासन	एच.टी.पी.पी. कालोनी
विद्युत नगर दर्री, कोरबा (छ.ग.)		कोरबा (पश्चिम)
मो. नं. 98274-71282		मो. 98279-19293

पत्र क्र. / छ.रा.वि.म.शि.क.सं. / कोरबा / 1101 दिनांक : 23.02.2012

प्रति,

माननीय अध्यक्ष / सचिव,
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी डी.डी. वर्मा व्याख्याता रसायन वि.गृ. उ.मा.वि. क्र 2 दर्री कोरबा द्वारा आपकी ओर पदोन्नति / वरिष्ठता निर्धारण संबंधित प्रकरण दायर किया गया था।

जिसका निराकरण अतिशीघ्र आपके द्वारा किया गया एवं सचिव विद्युत नगर शिक्षा समिति को वरिष्ठता प्रदान करने निर्देश 21.01.2004 से डी.डी. वर्मा के नाम पदोन्नति संबंधित दिया था जो 14.01.2013 को आदेश किया जा चुका है।

अत: प्रार्थी डी.डी. वर्मा व्यक्तिगत रुप से एवं विद्युत मण्डल शिक्षक संघ की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद एवं छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रति आभारी हूँ, आप सभी पदाधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति प्रकरण का निराकरण किया गया है।

धन्यवाद

(डी.डी. वर्मा)
अध्यक्ष एवं व्याख्याता
वि.गृ-. उ.मा.वि. क्र.2, दर्री

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
(छ.ग. शासन) रायपुर

विषय : आयोग में आवेदित प्रकरण के निराकरण हो जाने संबंधी सूचनार्थ।
संदर्भ : प्रस्तुत आवेदन लंबित वेतन भुगतान बाबत्।
प्रकरण निराकरण- वेतन भुगतान की प्राप्ति
द्वारा- आयोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयानुसार आपके समक्ष लंबित वेतन भुगतान बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके तारतम्य में आपके द्वारा सुनवाई उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुंगेली द्वारा लंबित वेतन का एकमुश्त भुगतान कर दिया गया है, जो कि मुझे प्राप्त हो चुका है।

उक्त निराकृत प्रकरण के लिए मैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं आपका सदैव ऋणि रहूंगा तथा आयोग एवं पदाधिकारियों की समृद्धि की कामना हृदय से करता हूँ।

अस्तु उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

धन्यवाद

दिनांक : 02.05.2012

प्रार्थी/ भवदीय

संतोष कुमार यादव
सहायक शिक्षक पंचायत
जेठूकापा (मुंगेली)
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

प्रतिष्ठा में,

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में राशि प्राप्त होने उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने संबंधी।

महोदय,

मेरे द्वारा विषयांतर्गत श्री धर्मपाल कर्मवीर, निवासी ग्राम पोता, के विरूद्ध कुल 107000 रू. राशि उधार लेने के उपरांत वापस लौटाने से इंकार करने पर आयोग के समक्ष दिनांक 09.07.2012 को शिकायत प्रस्तुत कर वाद संस्थित किया गया था इस संबंध में आयोग के द्वारा निर्देशित करने के उपरांत धर्मपाल कर्मवीर द्वारा मुझे मेरी उधार की रकम वापस कर दी गई।

शिकायत का निराकरण करने हेतु मान. अध्यक्ष महोदय छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कोटिश धन्यवाद देती हूँ जिनके पहल पर मुझे मेरे पैसे वापस हुए आयोग के समस्त अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से मुझे न्याय मिला।

इन्हीं आशाओं के साथ छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सहयोग एवं मार्गदर्शन अन्य पिछडे वर्गों को इसी प्रकार मिलता रहे इन्हीं आशाओं से एक बार पुनः साथ आयोग को धन्यवाद देती हूँ।

24.08.2012
(डॉ. हेमलता गबेल)
ग्राम पोता, वि.ख. मालखरौदा
तह. सक्ती, जिला- जांजगीर-चापा (छ.ग.)

दिनांक : 24.08.2012
स्थान : पोता

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय : श्री अमरनाथ को दी गयी उधार रकम के संबंध में

महोदय,

सविनय निवेदन है कि श्री अमरनाथ गुप्ता द्वारा जो रकम मुझसे उधार में ली गयी उसमें से 75000 (रु. पचहत्तर हजार) वापस दिया गया है। शेष रकम के लिए उनके द्वारा एक माह अर्थात 30 अप्रैल 2013 तक का समय मांगा जा रहा है। उनके द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि वे शेष रकम का भुगतान हर हाल में 30 अप्रैल तक करेंगे।

अत: उन्हें एक मौका प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक : 03.04.2013

भैयाराम यादव
विनोबा नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
छ.ग. शासन रायपुर (छ.ग.)

विषय : छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल के शिकायत के संबंध में

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा तिफरा में जमा रकम रुपये 17023 रू. कृषि पम्प कनेक्शन हेतु जमा रकम वापस नहीं करने पर मैं आपके समक्ष आयोग में शिकायत किया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पहले नोटिस कि कार्यवाही करने पर मुझे आज दिनांक 04.09.2012 को नकद 16823 रूपये प्राप्त हुआ है।

अंत में अपना शिकायत को वापस लेता हूँ व माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. सोमनाथ यादव एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। व आयोग द्वारा मेरे को न्याय मिला मैं आयोग परिवार का भी आभारी हूँ।

05.09.2012

दिनांक : 05.09.2012

(रामानुज यादव)
पता- गीतानजली पार्क
मंगला बिलासपुर (छ.ग.)
मोबा. 98271-50369

श्रीमती लक्ष्मीन बाई खाण्डे
सरपंच- ग्राम पंचायत घुटकू
जनपद पंचायत तखतपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

[redacted]

क्रमांक .... दिनांक 08.09.2012

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
छ.ग. शासन रायपुर

विषय : रेल्वे लाइन के समानान्तर कच्चे मार्ग में घेरा न लगाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत घुटकू में स्थापित रेल्वे क्रासिंग के दोनो दिशा में लाईन के समानान्तर रेल्वे की भूमि का ग्राम जनो के द्वारा आने जाने एवं कृषि कार्य के लिए वाहन आदि ले जाने के लिए मार्ग की तरह उपयोग होता है। रेल्वे द्वारा अपनी उक्त भूमि पर बाड़ लगाकर आम रास्ता बंद किया गया था जिससे लोगो को अत्यंत कठिनाई हो रही थी तत् संबंध में हम समस्त ग्रामवासी (ग्राम पंचायत घुटकू) आपसे उक्त मार्ग खोलने हेतु सहयोग के लिए आयोग में आवेदन प्रस्तुत किये थे। जिस सम्बंध में आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान में लेकर मण्डल रेल्वे प्रबंधक बिलासपुर को जन सुविधा के लिए रास्ता खोलने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में रेल्वे प्रबंधक द्वारा आमजन के लिए निस्तारी हेतु रास्ता खोल दिया गया है। उक्त कार्य के पूर्ण हो जाने पर समस्त ग्रामवासियों में हर्ष व्याप्त है। उक्त कार्य हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग शासन को धन्यवाद ज्ञापित करते है। साथ ही मण्डल रेल्वे प्रबंधक बिलासपुर को भी जिसने हम ग्रामवासियों के कठिनाईयों को आयोग के माध्यम से महसूस किया एवं आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किया इन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करते है। एवं साधुवाद देते है।

अतः हम समस्त ग्रामवासियों द्वारा आयोग में रेल्वे प्रबंधक के प्रति दर्ज कराई गई वाद वापस लेते है।

धन्यवाद

लक्ष्मीन खाण्डे

दिनांक : 08.09.2012

लक्ष्मीन खाण्डे
सरपंच
ग्राम पंचायत, घुटकू
विकासखण्ड, तखतपुर

प्रति,

मानानीय अध्यक्ष / सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : वेतन अप्राप्त होने संबंधी की गई शिकायत का निराकरण होने की सूचना बाबत् ।

---00---

महोदय,

मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में माह अगस्त से आज पर्यन्त तक पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर से वेतन अप्राप्त होने की शिकायत की गई थी। शिकायत के संबंध में आपके द्वारा की कार्यवाही उपरांत संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व छ.ग. रायपुर के पृ. क्र. 852 /स्था /2012 /रायपुर दिनांक 02.03.2013 के द्वारा उक्त माह का वेतन संग्रहालय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन प्राप्त की स्वीकृति प्रदान की गई है। आयोग के द्वारा की गई कार्यवाही से वेतन आहरण की स्वीकृति की गई है। जिससे मैं आयोग के मान. अध्यक्ष एवं आयोग परिवार आभारी हूं ।

संलग्न :- (आदेश की छायाप्रति)

आवेदक

हरप्रसाद यादव

प्रति,

डॉ. सोमनाथ यादव जी,

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

रायपुर (छ.ग.)

विषय : मकान खाली कराने के संबंध में कि गई शिकायत का निराकरण होने की सूचना बाबत् ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा आयोग कार्यालय में न्यू राजेन्द्र नगर, बजाज कालोनी, सेक्टर 2. मकान नं. 71, रायपुर में स्थित स्वयं के मकान सुश्री उजमा अख्तर द्वारा किराये ले रखी थी जिसे खाली नहीं करने की शिकायत की गई थी । शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के उपरांत सुश्री उजमा अखतर द्वारा आपसी सहमति कर मकान खाली किया गया।

मेरे द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही करने के उपरांत दिनांक 28.02.2013 आपसी सहमति कर मकान खाली किया गया है। जिसके लिए मैं मान. अध्यक्ष एवं आयोग परिवार की सहृदय से आभारी हूँ ।

धन्यवाद ।

आवेदिका

श्रीमती रोहणी यदु
पति श्री शिशुपाल यदु
रूद्री धमतरी
05.03.2013

भाग- छ:

आयोग का बजट एवं पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ संचालित शासन की प्रमुख योजनाएँ एवं अखबार की सुर्खियाँ

01. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक बजट
02. अन्य पिछड़े वर्ग समाज के समग्र हितार्थ हेतु शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ
03. अखबार की सुर्खियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की गतिविधियाँ

भाग-6

अध्याय-1

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक बजट

बजट प्रावधान एवं व्यय

आयोग के प्रतिवेदन अवधि (01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013) में आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के विभागीय बजट में मांग संख्या-66, मुख्य शीर्ष-2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-03, पिछड़े वर्गों का कल्याण-800, अन्य व्यय- 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) योजना क्रमांक- 6749 छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग-14 सहायक अनुदान-001, स्थापना अनुदान अंतर्गत 90 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय -4 की धारा 13 (1) के लेखा तथा संपरीक्षा के अंतर्गत आयोग अपना समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। जिसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 10,3,00,554.00 रु (एक करोड़, तीन लाख, पांच सौ, चौवन रुपए) व्यय किये गये है जिसका व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
01.	कार्यालयीन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मान. अध्यक्ष/सदस्य के निज स्थापना सहित	42,52,405.00
02.	डाकतार व दूरभाष (मान. अध्यक्ष/ सदस्यों सहित)	1,17,433.00
03.	विद्युत एवं जल प्रभार	48,760.00
04.	यात्रा भत्ता	1,83,288.00
05.	पेट्रोल व्यय व वाहन किराया	12,17,821.00
06.	सम्मेलन (जुड़ाव), जनसुनवाई	13,51,685.00
07.	कार्यालय व मकान किराया (मान. अध्यक्ष/सदस्यों सहित)	9,78,958.00
08.	कार्यालयीन उपकरण	38,059.00
09.	प्रचार-प्रसार आदि	9,65,850.00
10.	स्टेशनरी	1,80,887.00
11.	मुद्रण वार्षिक प्रतिवेदन	7,18,200.00
12.	समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक आदि	6,059.00
13.	अन्य कार्यालय व्यय	81,706.00
14.	कार्यालयीन उपस्कर	1,225.00
15.	कार्यालयीन अनुरक्षण/मरम्मत	89,488.00
16.	विज्ञापन	29,083.00
17.	अन्य आकस्मिक व्यय	1,942.00
18.	अन्य व्यय	37,705.00
	कुल योग राशि-	**1,03,00,554.00**

भाग-6

अध्याय-2

अन्य पिछड़े वर्ग समाज के समग्र हितार्थ हेतु शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

शैक्षणिक विकास की योजनायें

- **राज्य छात्रवृत्ति :**

कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता न हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हें राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है।

- **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :**

पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षिक आय 1 लाख रु. तक हो उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

- **सरस्वती सायकल योजना :-**

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग की ऐसी छात्राएँ जो कमजोर तबके की है उन्हें वर्ष 2007-08 से हाई स्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु निःशुल्क सायकल प्रदाय की जाती है।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

- **आस्था :-**

नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है।

- **निष्ठा :-**

नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से निष्ठा योजना के अंतर्गत की जा रही है।

- **प्रयास :-**

नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को उच्च स्तरीय आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की राजधानी रायपुर में 'प्रयास' नामक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। विद्यालय में नक्सली क्षेत्र के प्रभावित बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक वातावरण प्रदाय किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रयास के विद्यार्थियों की सफलता ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किये गये इस अभिनव प्रयास को वंदनीय बना दिया है।

- **जाति प्रमाण-पत्र एवं सत्यापन :-**

कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से पूर्व शासन द्वारा स्वयं तैयार कराकर जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। विदित हो कि जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का सरलीकरण कर जिला स्तर पर भी किया जाने का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया है।

- **यूथ होस्टल नई दिल्ली :-**

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा की तैयारी हेतु नई दिल्ली के द्वारका परिक्षत्र में छ.ग. शासन द्वारा सर्वसुविधा युक्त यूथ होस्टल की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। उल्लेखनीय है कि पात्रतानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन का लाभ लेते हुए इस आवासीय सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे।

- **पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों के लिए ऋण सुविधायें :-**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त विकास निगम द्वारा

आरक्षित वर्ग के लोगों को निम्नांकित व्यवसाय हेतु ऋण एवं अनुदा प्रदान किया जाता है। गरीबी एवं दुगुनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को आटो रिक्शा, रेडीमेड दुकान, कार वर्क शॉप, आटो स्पेयर पाट्र्स आदि विभिन्न योजनाओं के लिए 80% ऋण दिया जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना -

- **निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण :**
छत्तीसगढ़ राज्य में अर्न्तव्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर पिछड़े वर्ग के युवक- युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- **एअर होस्टेस एवं पालयट प्रशिक्षण :**
एअर होस्टेस प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

- **युवा कैरियर निर्माण योजना :**
अ.जा. एवं अ.ज.जा.वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :-**
राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारत न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है।

- **महिला समृद्धि बाजार योजना :-**
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रुप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

- **श्यामाप्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना :-**
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष जो कम से कम 7वीं (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) आयु वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों का चयन कर विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन द्वारा उनके कौशल एवं दक्षता में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवकोपार्जन उपलब्ध कराना है।

- **गोकुल नगर योजना :-**
नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रुप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना आरंभ की गई है।

- **राज्य प्रवर्तित नवीन योजनाएं :-**
विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा की दृष्टि से नवीन योजनाएं जनवरी 2006 से प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

- **कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :-**
शहरों में निवासरत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओ/महिलाओ को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरुप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007-08 में लागू की गई है।

- **हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :-**
वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रुप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक-एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रुप में विकसित किया जाए, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रु. 100,00 लाख, नगर पालिका परिषद को रुपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रुपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

- **(दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना :-**

11 फरवरी 2009 को पंडित दीनदयाल उपाध्यय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में किसानों के लिये दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की। जो 1 अप्रेल 2009 से लागू की जायेगी। इसके तहत किसानों को अब सिर्फ 4 रुपये 20 पैसे में एक लाख रुपये तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेश कंपनी से 21 रु. प्रीमियम की वार्षिक किस्त पर राज्य शासन किसानो का दुर्घटना बीमा कराएगा जिसमें प्रीमियम की इस राशि में सिर्फ 4 रु. 20 पैसा का अंशदान किसानो के द्वारा दिया जायेगा। जबकि शेष 16 रु. 80 पैसे राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

- **महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण :-**

त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षित कर दी गई है। विदित हो कि पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया गया है।

- **मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार :-**

अक्टूबर 2009 से भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जहाँ बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के उत्पादन और उसके पैकेट तैयार करने का लघु और कुटीर उद्योग महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जा रहा है। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के विशेष अभियान के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला स्व-सहायता समूह को मुख्यमंत्री शिशु शक्ति और मुख्यमंत्री महतारी शक्ति के ब्रांड नामों से पौष्टिक आहार बनाने का काम सौपने का निर्णय लिया है। विदित हो कि प्रदेश में इस समय 34 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

- **धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ :-**

अगस्त 09 को एकमात्र स्थान बस्तर जिले के जगदलपुर परियोजना (विकासखण्ड जगदलपुर) में 'पायलेट प्रोजेक्ट' के रुप में धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। योजना के सफल परिणाम आने पर इसे सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

- **किसान कॉल सेन्टर :-**

छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं तथा शिकायतों का निराकरण करने हेतु राज्य शासन ने किसान कॉल सेन्टर की स्थापना की है। इस कॉल सेन्टर पर किसानों को 1551 नं. पर फोन करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

- **ग्रामीण इंजीनियर योजना :-**

छत्तीसगढ़ में मामूली पढ़े लिखे ग्रामीण नौजवान भी अब 'इंजीनियरों' की तरह भवन निर्माण तथा घरेलू विद्युतीकरण जैसे कार्यों में स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार हासिल कर सकेंगे।

- **मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना :-**

हृदय रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए इस तरह की योजना प्रारम्भ करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। इस योजना के तहत हृदय से सम्बन्धित सात प्रकार की बीमारियों का ईलाज किया जाता है। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित एक वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक आयु समूह के बच्चों के हृदय का आपरेशन अनुबंधित निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। हृदय की शल्य क्रिया के साथ ही हृदय के वाल्व भी इस योजना के अन्तर्गत बदले जाते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गरीबी रेखा का कोई बंधन नहीं रखा गया है कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है।

- **मछुआरा आवास योजना :-**

इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के पांच जलाशयों पर मछली पकड़ने वाले और मछलीपालन करने वाले मछुआरों को आवास, पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मछुआरा आवास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत कोरबा जिले के हसदेव बांगो, महासमुंद जिले के कोडार, बिलासपुर जिले के खुंटाघाट और खुड़िया जलाशयों के समीप मछुआरों के लिए मकान का निर्माण किया जा रहा है।

- **ग्रामोत्थान योजना :-**

छत्तीसगढ़ में पशुपालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में पशु नस्ल सुधार

कार्यक्रमों में स्थानीय चरवाहों को शामिल कर राज्य सरकार द्वाराउन्हें पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और देशी नाटों के बधियांकरण पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह योजना 2008-09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना से राज्य के डेढ़ लाख से अधिक चरवाहे लाभान्वित होंगे।

- **ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानः-**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण गरीब युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार व प्रशिक्षण संस्थान अगस्त 2009 से प्रारम्भ किये गये है।

- **मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना :-**

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2008 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ए.पी.एल. एवं बी.पी. एल.कार्ड धारकों को क्रमशः एक रूपये तथा 2 रूपये में 35 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है। नवीन व्यवस्था के तहत 30 चावल के साथ-साथ उसी दर पर 5 किलो गेहूँ भी मिलेगा।

- **शाकम्भरी योजना :-**

सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषक विशेषकर सब्जी उत्पादक कृषकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत एवं डीजल पंप क्रय करने पर इकाई लागत रु. 15500 पर 75 प्रतिशत अनुदान एवं कुंआ निर्माण हेतु इकाई लागत रु. 34200 पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

आदिम जाति अनु. जाति एवं पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा

''अन्य पिछड़े वर्ग'' हेतु संचालित छात्रावास की संख्यात्मक जानकारी

प्री. मैट्रिक			पोस्ट मैट्रिक		
बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
01	07	08	02	06	08

आदिम जाति अनु. जाति एवं पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा ''अन्य पिछड़े वर्ग'' हेतु संचालित छात्रावास

क्र.	छात्रावास का नाम	जिला का नाम	सीटों की संख्या
1.	प्री. मैट्रिक कन्या	अम्बिकापुर	50
2.	प्री. मैट्रिक कन्या	कोरबा	50
3	प्री. मैट्रिक कन्या	कबीरधाम	50
4.	प्री. मैट्रिक कन्या	जगदलपुर	50
5.	प्री. मैट्रिक कन्या	कांकेर	50
6.	प्री. मैट्रिक कन्या	बीजापुर	50
7.	प्री. मैट्रिक कन्या	भैरमगढ़ (बीजापुर)	50
8.	प्री. मैट्रिक बालक	बालोद	50
		योग-	400
1.	प्रो. मैट्रिक कन्या	बिलासपुर	100
2.	प्रो. मैट्रिक कन्या	रायगढ़	50
3.	प्रो. मैट्रिक कन्या	राजनांदगाँव	50
4.	प्रो. मैट्रिक कन्या	दुर्ग	50
5.	प्रो. मैट्रिक कन्या	रायपुर	100
6.	प्रो. मैट्रिक कन्या	जगदलपुर	50
7.	प्रो. मैट्रिक कन्या	दुर्ग	50
8.	प्रो. मैट्रिक कन्या	बीजापुर	50
		योग-	500

भाग – 6

अध्याय – 3

अखबार की सुर्खियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की गतिविधियाँ

वेबसाइट लोकार्पित

आयोग के प्रति पिछड़ा वर्ग का विश्वास बढ़ा

आयोग के सदस्य ने दिया अनेक को न्याय

पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करें- डॉ. सोमनाथ

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने की 9

पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य को बताई समस्याएं

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रहलाद रजक से चर्चा करते हुए

पिछड़ा आयोग के समक्ष, पुलिस के विरूद्ध शिकायतें ज्यादा

टोल प्लाजा ठाकुरटोला के विरूद्ध आयोग ने पत्र लिखा

समस्याओं का हो रहा निपटारा: यादव

देवांगन समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

बिलासपुर। देवांगन समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन गुड़ाव देवकीनंदन सभागृह में आयोजित किया गया। यहां अलग-अलग स्थानों से आए लोगों ने देवांगन समाज के उत्थान पर चर्चा की।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव ने कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी भी रखी जा रही है। प्रदेश

महिलाएं अपने अधिकार का उपयोग करें- ममता साहू

[illegible]

उपजेल की व्यवस्था देख खुश हुए जायसवाल

[illegible]

पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य ने किया उपजेल का निरीक्षण, कैदियों से पूछा कुशल क्षेम, व्यवस्था, सफाई, खान-पान की जानकारी ली।

[illegible]

शासन पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सोमनाथ यादव ने रैनिवार समाज के लोगों से मुलाकात की

[illegible]

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जुड़ाव अभियान शुरू

[illegible]

पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हो रहे अन्याय, उत्पीड़न का संज्ञान लेकर उनका निराकरण करेगा। 'नई दुनिया' से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों को आयोग से जोड़ने और उनकी समस्याओं को जानकर तदनुरूप समाधान करने के लिए आयोग द्वारा जुड़ाव कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत पिछड़े वर्गों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। इससे आयोग के सामने पिछड़े वर्गों की कई समस्याएं सामने आई हैं। [illegible] इसी कार्यक्रम का एक परिणाम है। उन्होंने बताया कि कुछ जातियों की तकनीकी त्रुटियों की वजह से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

स्वतंत्रता दिवस | ग्राम बलतलाब में स्काउट एवं गाइड के विद्यार्थियों को 52 सेट यूनिफार्म देने की घोषणा की गई। ग्राम त्लोरहा में भारत माता वाहिनी के सदस्यों ने ग्रामीणों को नशा मुक्त गांव बनाने का संकल्प दिलाया। नवागढ़ ब्लाक के अधियारखोर, झाल, मुरता, मोहभट्ठा व नवागढ़ में हुई स्पर्धाएं।

भाईचारे से समृद्ध होगा समाज : रजक

भास्कर न्यूज. बेमेतरा

[illegible]

[illegible]

'रंग दे बसंती' पर झूमे बच्चे

[illegible]

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मुनेश्वर केसर का आह्वान

पिछड़ा वर्ग को अपनी आत्मशक्ति प्रबल कर विकास के पथ पर बढ़ना होगा

[illegible]

मुख्यमंत्री सभी वर्गों की भलाई पर तत्पर : यादव

हरिभूमि न्यूज. अम्बिकापुर

[illegible] पक्षों की सुनवाई शीघ्रातिशीघ्र होकर इन्हें राहत मिले।

एक नजर

[illegible] में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए हैं। आयोग अध्यक्ष ने बताया शनिवार [illegible]

नामदेव जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये

- आयोग एवं बोर्ड में समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने नामदेव समाज विकास परिषद ने रखी मांग
- पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष को सौंपा मांग पत्र

बिलासपुर. श्री नामदेव समाज विकास परिषद छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार से मांग की है कि नामदेव जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल [illegible]

कार्यक्रम में उपस्थित नामदेव समाज के लोग

[illegible]

इंसान कर्म से बड़ा होता है जाति से नहीं : प्रहलाद रजक

केशव कला श्री

पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए शिक्षा जरूरी - ममता

पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य से चर्चा

जाति प्रमाण पत्र में सावधानी बरते : शिव चन्द्राकर

पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुनी समस्याएं

● टाउन हॉल में सुझाव कार्यक्रम

पिछड़ा वर्ग के संरक्षण के लिए संकल्पित

अघरिया समाज की मेहनत को प्रणाम : नायक

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य छत्तर सिंह नायक ने अघरिया समाज के एक सम्मेलन में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए

पिछड़ा वर्ग हमारे राष्ट्र की नींव का पत्थर है- छत्तर सिंह नायक

पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोलते हुए राज्य पि.व.आ. के सदस्य छत्तर सिंह नायक

मुख्यमंत्री सभी वर्गों की भलाई पर तत्पर : यादव

हरिभूमि न्यूज. जगदलपुर

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ.सोमनाथ यादव ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि आम लोगों खासकर विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं को अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे है। जिसके चलते पीड़ित लोगों की समस्याएं लंबित है। श्री यादव ने बताया प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह हर वर्ग और तबको की ...

पक्षों की सुनवाई शीघ्रातिशीघ्र होकर इन्हें राहत मिले।

छग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जिला स्तर पर सम्मेलन करने की योजना बनाई है। बस्तर में संभवतः इसी माह जुटाव के नाम से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ...

डॉ. सोमनाथ यादव

एक नजर

- ☆ आयोग का गठन लोगों के कल्याण के लिए कार्य
- ☆ मई में होगा पिछड़ा वर्ग का जुड़ाव सम्मेलन
- ☆ लाल फीताशाही नहीं चलेगी

कि इस मसले के निपटारे के लिए ...

में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए है। आयोग अध्यक्ष ने बताया शनिवार को वे कलेक्टोरेट कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर अन्बलगन पी को पिछड़ा वर्ग के प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया पांच माह पहले आयोग का गठन किया गया है इन पांच माह में 18 जिलो में समीक्षा बैठक लिया जा चुका है। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए सरकार व पिछड़ा वर्ग के बीच आयोग ...का काम करता है। आयोग ...निक व्यवस्था है। आयोग ... डॉ. सोमनाथ यादव ने कहा ... के समक्ष पिछड़ा वर्ग के ...

जाति प्रमाण पत्र में बरतें सावधानी

[पहल] पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य के एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश

मजदूरों का शोषण, जमा नहीं हुई भविष्य निधि रा...

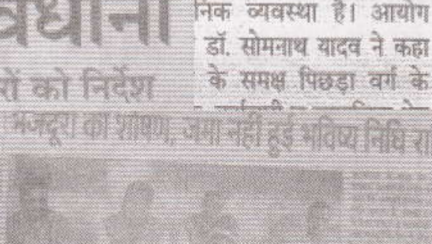

जुड़ाव सामंजस्य का बेहतरीन साधन

'Develop positive thinking to achieve goal'

FACE॥FACE

डॉ.सोमनाथ यादव

'बांस गीत' को मिले संरक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक संगीत 'बाँस गीत' के संरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाने की माँग राज्य सरकार से की है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव के नेतृत्व में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात के दौरान आयोग के सदस्यों ने यह माँग की। डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री को राज्य में पिछड़ा वर्ग में शामिल विभिन्न समाज को संगठित करने के लिए आयोग द्वारा संचालित 'जुड़ाव' कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के जरिए पिछड़ा वर्ग समाज सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग समाजों में जागरूकता लाने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आयोग की सदस्य [illegible] नायक, [illegible] भुनेश्वर सिंह [illegible] ममता साहू और [illegible] उपस्थित थे।

■ पिछड़ा आयोग ने की माँग

आयोग सदस्य जायसवाल ने की संबलपुर में प्रकरणों की सुनवाई

पेशी में उपस्थित होने का दिया अंतिम अवसर

छात्रावास का निरीक्षण

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रयास से नवीन जातियाँ पिछड़े वर्ग की अनुसूची में जुड़ी : - छत्तर सिंह नायक

पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक

तीन विभागों की व्यवस्था खराब

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग समाज के परम हितैषी- ममता साहू

राज्य स्तरीय जुड़ाव सम्मेलन को उदबोधित करती राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य ममता साहू

पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पहल

बिलासपुर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्तमान में विभिन्न जिलों में पिछड़े वर्ग के विभिन्न समाजों का सम्मेलन जुड़ाव आयोजित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रविवार को पंडित देवकीनंदन सभागृह में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डा सोमनाथ यादव के मुख्य आतिथ्य में

लगभग 112 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग समाज के जुड़ाव के लिए प्रत्येक जिलों में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें समाज के पदाधिकारियों के सुझाव, सलाह को आयोग सुनकर उनके निराकरण करने का कार्य करती है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पहुंचे बेमेतरा

जिले में होगा जाति सत्यापन

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव ने आज के सभाकक्ष जिला कार्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक ली।

हरिभूमि न्यूज. बेमेतरा

इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया अन्य पिछड़ावर्ग आयोग के प्रत्येक सदस्य को तीन जिले का प्रभार सौंपा गया है। बेमेतरा जिले का प्रभार प्रहलाद रजक को बनाया गया है। डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने में छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दे। उन्होंने इसके लिए उच्च

मुख्यमंत्री से पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधिमण्डल की मुलाकात

रायपुर 25 अगस्त (कही अनकही)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से कल रात यहां उनके निवास पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ.सोमनाथ यादव के नेतृत्व में उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। यादव ने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा संचालित

पिछड़ा वर्ग घोषित करने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने का अनुरोध किया। उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले से आए प्रतिनिधि मण्डल ने जिला मुख्यालय कांकेर में अक्टूबर माह में आयोजित राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मण्डल में परमानंद साहू, अमृतलाल देवांगन, देवाराम साहू,

एसईसीएल सीएमडी को प्रताड़ना पर नोटिस

- पिछड़ा वर्ग आयोग ने जारी किया आदेश

पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदानिकरण में आयोग की विश्वसनीय भूमिका– ममता साहू

'जुड़ाव' के जरिए जुड़े समाज के लोग

पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण हमारा प्रथम प्रयास : शिव चन्द्राकर

पिछड़े वर्ग को भी मिलेगा न्याय

हरिभूमि न्यूज,

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य देवेन्द्र जायसवाल सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए अनेक जानकारियां पत्रकारों को दीं।

श्री जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छ.ग. में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद अनेक ...

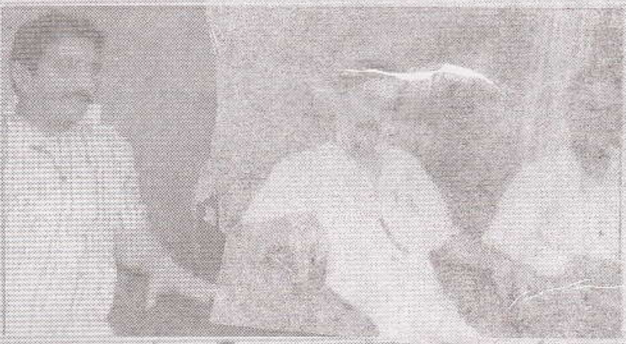

...जिलों में पिछड़ा वर्ग हॉस्टल बनाये जाने एवं नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिये जाने की मंशा मुख्यमंत्री ने जाहिर की है।

सामाजिक रूप से प्रताड़ित होने वालों एवं पौनी-पसारी कार्य को प्रभावित करने वालों पर आयोग की टीम कार्रवाई करेगी। जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को और भी सरलीकरण करने प्रस्ताव किया जायेगा।

आरक्षण कटौती का विरोध

हरिभूमि न्यूज, रायपुर

अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता साहू के नेतृत्व में जिला साहू समाज के प्रतिनिधि ...

अलग से ... इसके अलावा ... द्वारा आयो... के रूप में ...

... देवांगन समाज के ... अध्यक्ष श्री ... देवांगन ... संबोधन में समाज की ... श्री पवन देवांगन ने ... के जुड़ाव कार्यक्रम की ... करते हुए कहा कि समाज ... को एक सूत्र में बांधने का ... किया है. उन्होंने देवांगन ... के लोगों के जाति प्रमाण पत्र निराकरण हेतु विशेष पहल करने की मांग की.

इस अवसर पर समाज की संरक्षक श्रीमती शशि देवांगन, अध्यक्ष अनिता देवांगन, अधिवक्ता सुरेश देवांगन, श्याम देवांगन, कृष्णा देवांगन, कमल देवांगन, ... सिंह देवांगन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से आये देवांगन समाज के ... बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

जुड़ाव एक अनूठी पहल : शिव चन्द्राकर

घण्टो में सुलझी 10 साल की समस्या

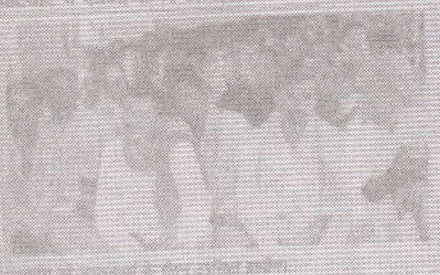

पिछड़ा वर्ग बढ़ेगा तभी छत्तीसगढ़ विकास की नवीन बुनियाद गढ़ेगा- छत्तर सिंह नायक

बेरला . ब्लाक में आंधी तूफान व आगजनी की घटना से पीड़ितों को मूल्यांकन कर राहत राशि दी गयी. इस दौरान पूर्व जनपद अध्यक्ष अवधेश चंदेल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रहलाद रजक , तहसीलदार ज्योति गुप्तेल, बीरसी सरपंच अशोक पाण्डे , हरदी सरपंच कृष्ण कुमार वर्मा , मुरारी गुप्ता , दयाशंकर पाल ,पुरन साहू ,नरोत्तम साहू, नेतराम वर्मा , कंगलु राम मांडले,रामानुज साहू,गजानंद निषाद,महानंद साहू , सहदेव वर्मा , विजय साहू, महारसिंह यादव ,संतोष वर्मा आदि उपस्थित थे .

पिछड़े नहीं बिछड़े हुए है- यादव

मछवारा महासंघ का प्रदेश स्तरीय जुड़ाव

इवनिंग टाइम्स

बिलासपुर, 19 अगस्त। प्रदेश में 50 प्रतिशत आबादी वाले पिछड़ा वर्गों को लोग भूलने की कोशिश कर रहे है। पर हमें अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हम पिछड़ा वर्ग सब चीज में सक्षम है हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम पिछड़े नहीं बिछड़े हुए हैं। उक्त बातें पिछड़ा वर्ग

पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु "जुड़ाव" एक अनूठी पहल

देवांगन समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

बिलासपुर 26 अगस्त। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्तमान में विभिन्न जिलों में पिछड़े वर्ग के विभिन्न समाजों का सम्मेलन जुड़ाव आयोजित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज स्थानीय पंडित देवकीनंदन सभागृह में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव के मुख्य आतिथ्य में देवांगन समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही

112 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग समाज के जुड़ाव के लिए प्रत्येक जिलों में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

सभी प्रबुद्धजनों को उनके समस्याओं के समाधान हेतु आयोग में आवेदन करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उनके हितों की रक्षा हेतु सदैव प्रयासरत रहेगा।

छत्तीसगढ़ देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुरूषोत्तम देवांगन ने समाज की एकता बनाए रखने विशेष जोर दिया। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ हाथ करघा संघ के अध्यक्ष पवन देवांगन ने आयोग के जुड़ाव कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। उन्होंने देवांगन समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु विशेष पहल करने की मांग की। इस अवसर पर

पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष ने सुने मामले

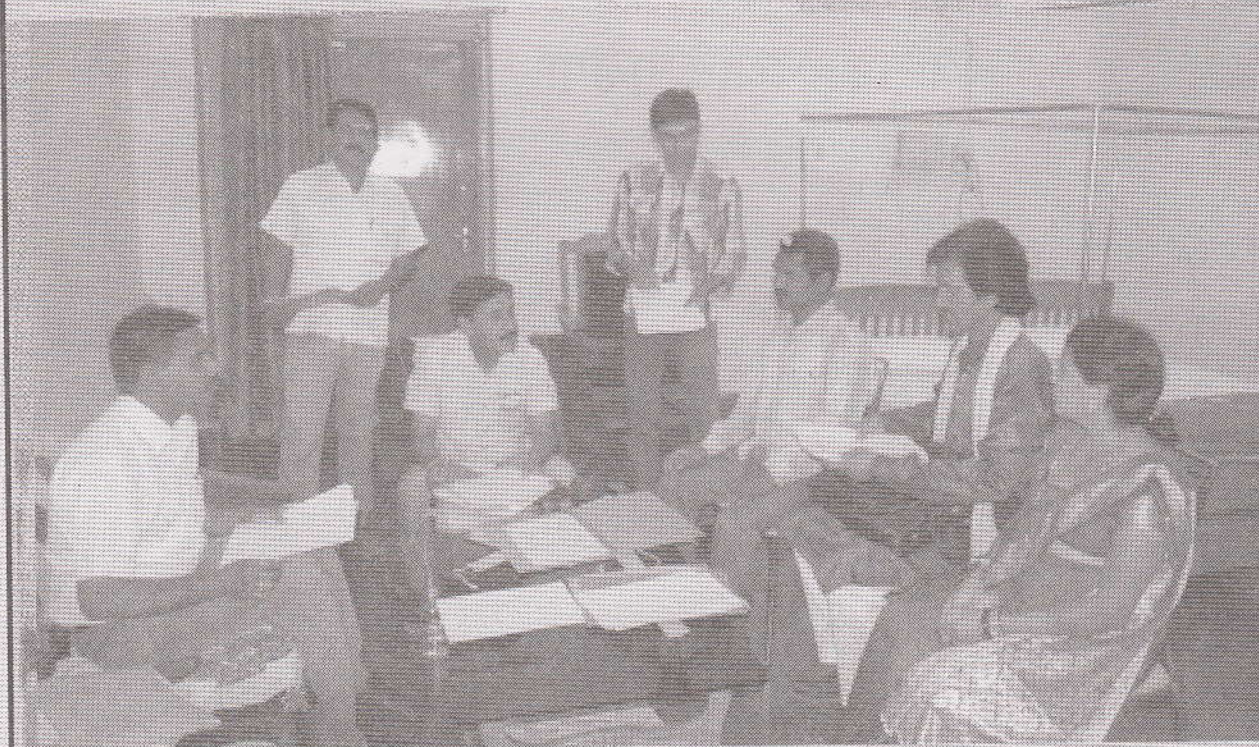

बिलासपुर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डा. सोमनाथ यादव ने छत्तीसगढ़ भवन में मामलों की सुनवाई की। उन्होंने बताया की अब तक

केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण करते हुए आयोग के
मान. सदस्य श्री शिव चन्द्राकर एवं श्री देवेन्द्र जायसवाल

छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के एक कार्यक्रम में
आयोग के मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के एक
कार्यक्रम में मान. विधानसभा अध्यक्ष
श्री धरमलाल कौशिक को
पारंपरिक वेशभूषा व पुष्प गुच्छ से सम्मानित
करते हुए आयोग के
मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

मा. मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह के साथ एक विशेष सम्मेलन मे
विशेष अतिथि के रुप में शिरकत करते हुए
आयोग की मान. सदस्य सुश्री ममता साहू

पत्रकारगणों से राज्य पिछड़ा वर्ग समाज के अनेक विषयों पर
चर्चा करते हुए आयोग के मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

विविध रचनात्मक सृजनात्मक गतिविधियों में
शरीक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारीगण

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन/फैक्स : 0771–2420352
Email : secretary_bcc@yahoo.in, Website : www.cgobc.com